



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 15 ]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 10 अप्रैल 2015-चैत्र 20, शके 1937

### भाग 3 ( 1 )

#### विज्ञापन

#### अन्य सूचनाएं

#### मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल

भोपाल, दिनांक 01 अप्रैल, 2015

क्र. 673.—जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (क्रमांक-6/1974) की धारा-12 की उपधारा-3 (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, राज्य शासन के पूर्व अनुमोदन से मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सेवा (प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी) (भर्ती तथा सेवा शर्त) विनियम, 1996 की कंडिका-5 के प्रावधान अनुसार अनुसूची-I, II, III एवं IV में निम्नानुसार संशोधन करता है,

अनुसूची-I में निम्न संशोधन किये जाते हैं अर्थात् :—

“अनुसूची-I”

(नियम-5 देखिए)

क्र.	सेवा में सम्मिलित पद	स्वीकृत पद	वर्गीकरण	वेतनमान (रुपये)
1	2	3	4	5
<b>1. यांत्रिकी सेवायें—</b>				
1.	अधीक्षण यंत्री (पर्यावरण)	13	प्रथम श्रेणी	15600-39100 ग्रेड-पे 7600
2.	अधीक्षण यंत्री (खनिज)	01	प्रथम श्रेणी	15600-39100 ग्रेड-पे 7600
3.	कार्यपालन यंत्री (पर्यावरण)	20	प्रथम श्रेणी	15600-39100 ग्रेड-पे 6600
4.	सहायक यंत्री (पर्यावरण)	85	द्वितीय श्रेणी	15600-39100 ग्रेड-पे 5400
5.	सहायक यंत्री (कम्प्यूटर)	01	द्वितीय श्रेणी	15600-39100 ग्रेड-पे 5400

1	2	3	4	5
<b>2. वैज्ञानिकी सेवायें—</b>				
1.	मुख्य वैज्ञानिक अधिकारी	06	प्रथम श्रेणी	37400-67000 ग्रेड-पे 8900
2.	वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी	14	प्रथम श्रेणी	15600-39100 ग्रेड-पे 7600
3.	मुख्य रसायनज्ञ	22	प्रथम श्रेणी	15600-39100 ग्रेड-पे 6600
4.	वैज्ञानिक	89	द्वितीय श्रेणी	15600-39100 ग्रेड-पे 5400
5.	पर्यावरण भू-वैज्ञानिक	01	द्वितीय श्रेणी	15600-39100 ग्रेड-पे 5400
<b>3. प्रशासन एवं लेखा सेवायें—</b>				
1.	वित्त अधिकारी	01	प्रथम श्रेणी	15600-39100 ग्रेड-पे 6600
2.	प्रशासकीय अधिकारी	01	प्रथम श्रेणी	15600-39100 ग्रेड-पे 6600
3.	स्टॉफ ऑफीसर	02	प्रथम श्रेणी	15600-39100 ग्रेड-पे 6600
4.	अनुभाग अधिकारी	14	द्वितीय श्रेणी	15600-39100 ग्रेड-पे 5400
5.	अनुभाग अधिकारी (बजट एवं लेखा)	04	द्वितीय श्रेणी	15600-39100 ग्रेड-पे 5400
6.	शीघ्रलेखक ग्रेड-एक	07	द्वितीय श्रेणी	15600-39100 ग्रेड-पे 5400
<b>4. जनसम्पर्क, सांख्यिकी सेवायें—</b>				
1.	सम्पर्क अधिकारी	01	प्रथम श्रेणी	15600-39100 ग्रेड-पे 6600
1.	सहायक जनसम्पर्क अधिकारी	02	द्वितीय श्रेणी	15600-39100 ग्रेड-पे 5400
2.	लायब्रेरियन	01	द्वितीय श्रेणी	15600-39100 ग्रेड-पे 5400
3.	सामाजिक पर्यावरण सर्वेक्षक	01	द्वितीय श्रेणी	15600-39100 ग्रेड-पे 5400
<b>5. विधिक सेवायें—</b>				
1.	विधि सलाहकार	01	प्रथम श्रेणी	प्रतिष्ठित अधिवक्ता से अनुबंध के आधार पर.
2.	विधि अधिकारी	01	प्रथम श्रेणी	15600-39100 ग्रेड-पे 6600
3.	सहायक विधि अधिकारी	15	द्वितीय श्रेणी	15600-39100 ग्रेड-पे 5400
<b>6. कम्प्यूटर सेवायें—</b>				
1.	कम्प्यूटर प्रोग्रामर/आपरेटर	04	द्वितीय श्रेणी	15600-39100 ग्रेड-पे 5400

अनुसूची-I में निम्न संशोधन किये जाते हैं अर्थात् :-

**“अनुसूची-II”**

(नियम-6 देखिए)

क्र.	पदनाम	श्रेणी	पद संख्या	भरे जाने का प्रतिशत	
				सीधी भरती	पदोन्नति
1	2	3	4	5	6
<b>1. यांत्रिकी सेवायें—</b>					
1.	अधीक्षण यंत्री (पर्यावरण)	प्रथम श्रेणी	13	—	100 प्रतिशत

1	2	3	4	5	6
2.	अधीक्षण यंत्री (खनिज)	प्रथम श्रेणी	01	—	100 प्रतिशत
3.	कार्यपालन यंत्री (पर्यावरण)	प्रथम श्रेणी	20	—	100 प्रतिशत
4.	सहायक यंत्री (पर्यावरण)	द्वितीय श्रेणी	85	80 प्रतिशत	20 प्रतिशत
5.	सहायक यंत्री (कम्प्यूटर)	द्वितीय श्रेणी	01	100 प्रतिशत	—
<b>2. वैज्ञानिकी सेवायें—</b>					
1.	मुख्य वैज्ञानिक अधिकारी	प्रथम श्रेणी	06	—	100 प्रतिशत
2.	वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी	प्रथम श्रेणी	14	—	100 प्रतिशत
3.	मुख्य रसायनज्ञ	प्रथम श्रेणी	22	—	100 प्रतिशत
4.	वैज्ञानिक	द्वितीय श्रेणी	89	20 प्रतिशत	80 प्रतिशत
5.	पर्यावरण भू-वैज्ञानिक	द्वितीय श्रेणी	01	100 प्रतिशत	—
<b>3. प्रशासन एवं लेखा सेवायें—</b>					
1.	वित्त अधिकारी	प्रथम श्रेणी	01	—	100 प्रतिशत
2.	प्रशासकीय अधिकारी	प्रथम श्रेणी	01	—	100 प्रतिशत
3.	स्टॉफ ऑफिसर	प्रथम श्रेणी	02	—	100 प्रतिशत
4.	अनुभाग अधिकारी	द्वितीय श्रेणी	14	50 प्रतिशत	50 प्रतिशत
5.	अनुभाग अधिकारी (बजट एवं लेखा)	द्वितीय श्रेणी	04	50 प्रतिशत	50 प्रतिशत
6.	शीघ्रलेखक ग्रेड-एक	द्वितीय श्रेणी	07	—	100 प्रतिशत
<b>4. जनसम्पर्क, सांख्यिकी सेवायें—</b>					
1.	सम्पर्क अधिकारी	प्रथम श्रेणी	01	—	100 प्रतिशत
2.	सहायक जनसम्पर्क अधिकारी	द्वितीय श्रेणी	02	100 प्रतिशत	—
3.	लायब्रेरियन	द्वितीय श्रेणी	01	100 प्रतिशत	—
4.	सामाजिक पर्यावरण सर्वेक्षक	द्वितीय श्रेणी	01	100 प्रतिशत	सम्पर्क अधिकारी में पदोन्नति उपरांत पद समाप्त माना जायेगा.
<b>5. विधिक सेवायें—</b>					
1.	विधि सलाहकार	प्रथम श्रेणी	01	—	अनुबंध के आधार पर.
2.	विधि अधिकारी	प्रथम श्रेणी	01	—	100 प्रतिशत
3.	सहायक विधि अधिकारी	द्वितीय श्रेणी	15	80 प्रतिशत	20 प्रतिशत
<b>6. कम्प्यूटर सेवायें—</b>					
1.	कम्प्यूटर प्रोग्रामर/आपरेटर	द्वितीय श्रेणी	04	—	75 प्रतिशत पद सहायक यंत्री/ वैज्ञानिक संवर्ग से. 25 प्रतिशत पद डाटा असिस्टेंट ग्रेड-1 के पद से.

अनुसूची-I में निम्न संशोधन किये जाते हैं अर्थात् :—

**“अनुसूची-III”**

(नियम-8 देखिए)

क्रमांक	पदनाम	निम्नतर आयु सीमा	अधिकतम आयु सीमा	निर्धारित शैक्षणिक योग्यता	चयन समिति
1	2	3	4	5	6
<b>1. यांत्रिकी सेवायें—</b>					
	सहायक यंत्री (पर्यावरण)	21	40*	पर्यावरण इंजीनियरिंग में बी.ई./बी.टेक अथवा सिविल/केमिकल के साथ पर्यावरण इंजीनियरिंग में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर उपाधि.	अध्यक्ष द्वारा नामांकित समिति या संस्था.
	सहायक यंत्री (कम्प्यूटर)	21	40*	कम्प्यूटर इंजीनियरिंग/कम्प्यूटर विज्ञान/सूचना प्रौद्योगिकी/इलेक्ट्रॉनिक्स में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बी.ई./बी.टेक.	अध्यक्ष द्वारा नामांकित समिति या संस्था.
<b>2. वैज्ञानिक सेवायें—</b>					
	वैज्ञानिक	21	40*	जीव विज्ञान/पर्यावरण विज्ञान/वनस्पति शास्त्र/रसायन शास्त्र में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तरकी उपाधि.	अध्यक्ष द्वारा नामांकित समिति या संस्था.
	पर्यावरण भू-वैज्ञानिक	21	40*	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से भू-विज्ञान विषय में स्नातकोत्तर उपाधि/पर्यावरण भू-विज्ञान में एमटेक.	अध्यक्ष द्वारा नामांकित समिति या संस्था.
<b>3. प्रशासन एवं लेखा सेवायें—</b>					
	अनुभाग अधिकारी	21	40*	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि एवं वित्त अथवा मानव संसाधन में स्नातकोत्तर उपाधि अथवा सीए उपाधि.	अध्यक्ष द्वारा नामांकित समिति या संस्था.
<b>4. जनसम्पर्क एवं सांख्यिकी सेवायें—</b>					
	1. सहायक जनसम्पर्क अधिकारी	21	40*	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन/जर्नलिज्म/पब्लिक रिलेशन में स्नातकोत्तर उपाधि व संबंधित क्षेत्र में कार्य करने का कम से कम तीन वर्ष का अनुभव.	अध्यक्ष द्वारा नामांकित समिति या संस्था.
	2. लायब्रेरियन	21	40*	लायब्रेरी विज्ञान में स्नातक उपाधि के साथ ख्याति प्राप्त लायब्रेरी में कार्य करने का 5 वर्ष का अनुभव.	अध्यक्ष द्वारा नामांकित समिति या संस्था.
	3. सामाजिक पर्यावरण सर्वेक्षक	21	40*	एन्थ्रोपोलॉजी विषय में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर उपाधि व कम से कम तीन वर्ष तक स्वास्थ्य के संबंध में डाटा कलेक्शन एवं रिपोर्टिंग का सर्वेक्षण कार्य का अनुभव.	अध्यक्ष द्वारा नामांकित समिति या संस्था.

1	2	3	4	5	6
<b>5. विधिक सेवायें—</b>					
	सहायक विधि अधिकारी	21	40*	विधि विषय में स्नातक के साथ-साथ न्यायालय में 2 वर्ष तक वकालत का अनुभव.	अध्यक्ष द्वारा नामांकित समिति या संस्था.

**नोट—\*** सेवाओं में सीधी भर्ती से भरे जाने वाले पदों पर नियुक्ति के लिये अधिकतम आयु सीमा मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय के पत्र क्रमांक सी-3-11/12/13/1/3, भोपाल, दिनांक 03-11-12 एवं संशोधित आदेश दिनांक 20-12-12 के अनुसार रखी गई है, उपरोक्त संशोधन के उपरांत मध्यप्रदेश शासन द्वारा आयु सीमा के संबंध में भविष्य में किये जाने वाले संशोधन बोर्ड में स्वतः लागू माने जायेंगे.

अनुसूची-I में निम्न संशोधन किये जाते हैं अर्थात् :—

**“अनुसूची-IV”**

(नियम-6 एवं 7 देखिए)

क्र.	पद का नाम जिससे पदोन्नत किया जाना है	पद का नाम जिस पर पदोन्नत किया जाना है	आवश्यक शैक्षणिक योग्यता व अनुभव	पदोन्नति समिति के सदस्य
1	2	3	4	5
<b>यांत्रिकी सेवायें—</b>				
1.	कार्यपालन यंत्री (पर्यावरण) (प्रथम श्रेणी)	अधीक्षण यंत्री (पर्यावरण) (प्रथम श्रेणी)	कार्यपालन यंत्री के पद पर 05 वर्ष की लगातार नियमित सेवा.	1. सदस्य सचिव, म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अध्यक्ष. 2. मुख्य अभियंता, लोक स्वा. यांत्रिकी विभाग, सदस्य. 3. उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन आ. एवं पर्या. विभाग, सदस्य. 4. बोर्ड के प्रशासन के प्रभारी अधिकारी, संयोजक (अध्यक्ष की अनुमति से विषय विशेषज्ञ भी सदस्य की हैसियत से बुलाये जा सकते हैं.)
2.	सहायक यंत्री (पर्यावरण) (द्वितीय श्रेणी)	कार्यपालन यंत्री (पर्यावरण) (प्रथम श्रेणी)	सहायक यंत्री के पद पर 05 वर्ष की लगातार नियमित सेवा.	1. सदस्य सचिव, म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अध्यक्ष. 2. मुख्य अभियंता, लोक स्वा. यांत्रिकी विभाग, सदस्य. 3. उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन आ. एवं पर्या. विभाग, सदस्य. 4. बोर्ड के प्रशासन के प्रभारी अधिकारी, संयोजक (अध्यक्ष की अनुमति से विषय विशेषज्ञ भी सदस्य की हैसियत से बुलाये जा सकते हैं.)
3.	उप यंत्री (तृतीय श्रेणी)	सहायक यंत्री (पर्यावरण) (द्वितीय श्रेणी)	सिविल अभियांत्रिकी में पत्रोपाधि के साथ उपयंत्री पद पर 08 वर्ष की लगातार सेवा अथवा सिविल अभियांत्रिकी में उपाधि के साथ उपयंत्री के पद पर 5 वर्ष की लगातार नियमित सेवा.	1. सदस्य सचिव, म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अध्यक्ष. 2. मुख्य अभियंता, लोक स्वा. यांत्रिकी विभाग, सदस्य. 3. अधीक्षण यंत्री (पर्यावरण) सदस्य.

1	2	3	4	5
				4. बोर्ड के प्रशासन के प्रभारी अधिकारी, संयोजक (अध्यक्ष की अनुमति से विषय विशेषज्ञ भी सदस्य की हैसियत से बुलाये जा सकते हैं.)
4. मुख्य मानचित्रकार/ मानचित्रकार (तृतीय श्रेणी)	सहायक यंत्री (पर्यावरण) (द्वितीय श्रेणी)	मुख्य मानचित्रकार/मानचित्रकार पद पर 12 वर्ष की लगातार सेवा, सेवा के दौरान बी. ई. डिग्री प्राप्त करने वाले कर्मचारियों के लिये उपरोक्त पद पर 8 वर्ष की लगातार नियमित सेवा.		1. सदस्य सचिव, म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अध्यक्ष. 2. मुख्य अभियंता, लोक स्वा. यांत्रिकी विभाग, सदस्य. 3. अधीक्षण यंत्री (पर्यावरण) सदस्य. 4. बोर्ड के प्रशासन के प्रभारी अधिकारी, संयोजक (अध्यक्ष की अनुमति से विषय विशेषज्ञ भी सदस्य की हैसियत से बुलाये जा सकते हैं.)
<b>वैज्ञानिक सेवायें—</b>				
1. वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी (प्रथम श्रेणी)	मुख्य वैज्ञानिक अधिकारी (प्रथम श्रेणी)	वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी के पद पर 05 वर्ष की लगातार नियमित सेवा.		1. सदस्य सचिव, म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अथवा अध्यक्ष. म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा नामांकित कोई अधिकारी—अध्यक्ष. 2. मुख्य अभियंता, लोक स्वा. यांत्रिकी विभाग, सदस्य. 3. उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन आ. एवं पर्या. विभाग, सदस्य. 4. बोर्ड के प्रशासन के प्रभारी अधिकारी, संयोजक (अध्यक्ष की अनुमति से विषय विशेषज्ञ भी सदस्य की हैसियत से बुलाये जा सकते हैं.)
2. मुख्य रसायनज्ञ (प्रथम श्रेणी)	वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी (प्रथम श्रेणी)	मुख्य रसायनज्ञ के पद पर 05 वर्ष की लगातार नियमित सेवा.		1. सदस्य सचिव, म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अध्यक्ष. 2. मुख्य अभियंता, लोक स्वा. यांत्रिकी विभाग, सदस्य. 3. उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन आ. एवं पर्या. विभाग, सदस्य. 4. बोर्ड के प्रशासन के प्रभारी अधिकारी, संयोजक (अध्यक्ष की अनुमति से विषय विशेषज्ञ भी सदस्य की हैसियत से बुलाये जा सकते हैं.)
3. वैज्ञानिक (द्वितीय श्रेणी)	मुख्य रसायनज्ञ (प्रथम श्रेणी)	वैज्ञानिक के पद पर 05 वर्ष की लगातार नियमित सेवा.		1. सदस्य सचिव, म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अध्यक्ष. 2. मुख्य अभियंता, लोक स्वा. यांत्रिकी विभाग, सदस्य.

1	2	3	4	5
				3. उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन आ. एवं पर्या. विभाग, सदस्य. 4. बोर्ड के प्रशासन के प्रभारी अधिकारी, संयोजक (अध्यक्ष की अनुमति से विषय विशेषज्ञ भी सदस्य की हैसियत से बुलाये जा सकते हैं.)
4. कनिष्ठ वैज्ञानिक (तृतीय श्रेणी)	वैज्ञानिक (द्वितीय श्रेणी)	1. एम. एस. सी. उपाधि के साथ कनिष्ठ वैज्ञानिक के पद पर 03 वर्ष की लगातार नियमित सेवा. 2. बी.एस.सी. उपाधि के साथ कनिष्ठ वैज्ञानिक के पद पर 06 वर्ष की लगातार नियमित सेवा.		1. सदस्य सचिव, म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अध्यक्ष. 2. मुख्य अभियंता, लोक स्वा. यांत्रिकी विभाग, सदस्य. 3. अधीक्षण यंत्री (पर्यावरण) सदस्य. 4. बोर्ड के प्रशासन के प्रभारी अधिकारी, संयोजक (अध्यक्ष की अनुमति से विषय विशेषज्ञ भी सदस्य की हैसियत से बुलाये जा सकते हैं.)

#### प्रशासन एवं लेखा सेवायें—

1. अनुभाग अधिकारी (द्वितीय श्रेणी)	वित्त अधिकारी (प्रथम श्रेणी)	अनुभाग अधिकारी के पद पर 05 वर्ष की लगातार नियमित सेवा.		1. सदस्य सचिव, म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अध्यक्ष. 2. मुख्य अभियंता, लोक स्वा. यांत्रिकी विभाग, सदस्य. 3. उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन आ. एवं पर्या. विभाग, सदस्य. 4. बोर्ड के प्रशासन के प्रभारी अधिकारी, संयोजक (अध्यक्ष की अनुमति से विषय विशेषज्ञ भी सदस्य की हैसियत से बुलाये जा सकते हैं.)
2. अनुभाग अधिकारी (द्वितीय श्रेणी)	प्रशासकीय अधिकारी (प्रथम श्रेणी)	अनुभाग अधिकारी के पद पर 05 वर्ष की लगातार नियमित सेवा.		1. सदस्य सचिव, म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अध्यक्ष. 2. मुख्य अभियंता, लोक स्वा. यांत्रिकी विभाग, सदस्य. 3. उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन आ. एवं पर्या. विभाग, सदस्य. 4. बोर्ड के प्रशासन के प्रभारी अधिकारी, संयोजक (अध्यक्ष की अनुमति से विषय विशेषज्ञ भी सदस्य की हैसियत से बुलाये जा सकते हैं.)
3. शीघ्रलेखक ग्रेड-एक (द्वितीय श्रेणी)	स्टॉफ ऑफिसर (प्रथम श्रेणी)	शीघ्रलेखक ग्रेड-एक के पद पर 05 वर्ष की लगातार नियमित सेवा.		1. सदस्य सचिव, म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अध्यक्ष. 2. मुख्य अभियंता, लोक स्वा. यांत्रिकी विभाग, सदस्य.

1	2	3	4	5
				3. उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन आ. एवं पर्या. विभाग, सदस्य. 4. बोर्ड के प्रशासन के प्रभारी अधिकारी, संयोजक (अध्यक्ष की अनुमति से विषय विशेषज्ञ भी सदस्य की हैसियत से बुलाये जा सकते हैं.)
4.	अधीक्षक/वरिष्ठ लेखापाल (तृतीय श्रेणी)	अनुभाग अधिकारी (द्वितीय श्रेणी)	अधीक्षक/वरिष्ठ लेखापाल के पद पर 05 वर्ष की लगातार नियमित सेवा.	1. सदस्य सचिव, म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अध्यक्ष. 2. मुख्य अभियंता, लोक स्वा. यांत्रिकी विभाग, सदस्य. 3. अधीक्षण यंत्री (पर्यावरण) सदस्य. 4. बोर्ड के प्रशासन के प्रभारी अधिकारी, संयोजक (अध्यक्ष की अनुमति से विषय विशेषज्ञ भी सदस्य की हैसियत से बुलाये जा सकते हैं.)
5.	स्टेनोग्राफर ग्रेड-2 (तृतीय श्रेणी)	स्टेनोग्राफर ग्रेड-1 (द्वितीय श्रेणी)	स्टेनोग्राफर ग्रेड-2 के पद पर 05 वर्ष की लगातार नियमित सेवा.	1. सदस्य सचिव, म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अध्यक्ष. 2. मुख्य अभियंता, लोक स्वा. यांत्रिकी विभाग, सदस्य. 3. अधीक्षण यंत्री (पर्यावरण) सदस्य. 4. बोर्ड के प्रशासन के प्रभारी अधिकारी, संयोजक (अध्यक्ष की अनुमति से विषय विशेषज्ञ भी सदस्य की हैसियत से बुलाये जा सकते हैं.)
6.	वरिष्ठ आडिटर/ समकक्ष वेतनमान के कर्मचारी (तृतीय श्रेणी)	अनुभाग अधिकारी (बजट एवं ऑडिट) (द्वितीय श्रेणी)	(1) ग्रेड-पे 4200 के पद पर 05 वर्ष की लगातार नियमित सेवा. (2) बी. कॉम के साथ-साथ वित्तीय प्रबंधन में एमबीए डिग्री.	1. सदस्य सचिव, म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अध्यक्ष. 2. मुख्य अभियंता, लोक स्वा. यांत्रिकी विभाग, सदस्य. 3. अधीक्षण यंत्री (पर्यावरण) सदस्य. 4. बोर्ड के प्रशासन के प्रभारी अधिकारी, संयोजक (अध्यक्ष की अनुमति से विषय विशेषज्ञ भी सदस्य की हैसियत से बुलाये जा सकते हैं.)

### 1. जनसम्पर्क एवं सांख्यिकी सेवायें—

सामाजिक पर्यावरण सर्वेक्षक.	सम्पर्क अधिकारी	सामाजिक पर्यावरण सर्वेक्षक के पद पर लगातार 05 वर्ष की सेवा.	1. सदस्य सचिव, म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अध्यक्ष. 2. मुख्य अभियंता, लोक स्वा. यांत्रिकी विभाग, सदस्य.
-----------------------------	-----------------	---	--



1	2	3	4	5
				3. उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन आ. एवं पर्या. विभाग, सदस्य. 4. बोर्ड के प्रशासन के प्रभारी अधिकारी, संयोजक (अध्यक्ष की अनुमति से विषय विशेषज्ञ भी सदस्य की हैसियत से बुलाये जा सकते हैं.)

## 1. विधि सेवायें—

सहायक विधि अधिकारी (द्वितीय श्रेणी)	विधि अधिकारी (प्रथम श्रेणी)	सहायक विधि अधिकारी के पद पर 05 वर्ष की लगातार नियमित सेवा.	1. सदस्य सचिव, म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अध्यक्ष. 2. मुख्य अभियंता, लोक स्वा. यांत्रिकी विभाग, सदस्य. 3. उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन आ. एवं पर्या. विभाग, सदस्य. 4. बोर्ड के प्रशासन के प्रभारी अधिकारी, संयोजक (अध्यक्ष की अनुमति से विषय विशेषज्ञ भी सदस्य की हैसियत से बुलाये जा सकते हैं.)
2. विधि सहायक (तृतीय श्रेणी)	सहायक विधि अधिकारी (द्वितीय श्रेणी)	विधि सहायक ग्रेड-1 के पद पर 05 वर्ष की लगातार नियमित सेवा.	1. सदस्य सचिव, म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अध्यक्ष. 2. मुख्य अभियंता, लोक स्वा. यांत्रिकी विभाग, सदस्य. 3. अधीक्षण यंत्री (पर्यावरण) सदस्य. 4. बोर्ड के प्रशासन के प्रभारी अधिकारी, संयोजक (अध्यक्ष की अनुमति से विषय विशेषज्ञ भी सदस्य की हैसियत से बुलाये जा सकते हैं.)

## कम्प्यूटर सेवायें—

1. डाटा सहायक ग्रेड-1 (तृतीय श्रेणी)	कम्प्यूटर प्रोग्रामर (द्वितीय श्रेणी)	डाटा सहायक ग्रेड-1 के पद पर 05 वर्ष की लगातार नियमित सेवा.	1. सदस्य सचिव, म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अध्यक्ष. 2. मुख्य अभियंता, लोक स्वा. यांत्रिकी विभाग, सदस्य. 3. अधीक्षण यंत्री (पर्यावरण) सदस्य. 4. बोर्ड के प्रशासन के प्रभारी अधिकारी, संयोजक (अध्यक्ष की अनुमति से विषय विशेषज्ञ भी सदस्य की हैसियत से बुलाये जा सकते हैं.)
---	--	--	--

मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के लिए  
तथा आदेशानुसार.

**AMENDMENT**Bhopal, Dated 1<sup>st</sup> April, 2015

No. 673.— In exercise of the powers conferred by sub-section 3 (A) of section 12 of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (6 of 1974) the Madhya Pradesh Pollution Control Board with the prior approval of the State Government, hereby amend the Madhya Pradesh Pollution Control Board Service (**Class I and II**) (Recruitment and Conditions of Service) Regulation, 1996 in regulation 5 in schedule-I, II, III and IV as follows :—

Following amendments are substituted in Schedule I:—

**“SCHEDULE-I”**

(See Clause-5)

S. No.	Post included in the service	Sanctioned Posts	Classification	Scale of Pay (Rs)
1	2	3	4	5
<b>1. ENGINEERING SERVICES—</b>				
1.	Superintending Engineer (Environment)	13	Class-I	PB 15600-39100 GP 7600
2.	Superintending Engineer (Mining)	01	Class-I	PB 15600-39100 GP 7600
3.	Executive Engineer (Environment)	20	Class-I	PB 15600-39100 GP 6600
4.	Assistant Engineer (Environment)	85	Class-II	PB 15600-39100 GP 5400
5.	Assistant Engineer (Computer)	01	Class-II	PB 15600-39100 GP 5400
<b>2. SCIENTIFIC SERVICES—</b>				
1.	Chief Scientific Officer	06	Class-I	PB 37400-67000 GP 8900
2.	Senior Scientific Officer	14	Class-I	PB 15600-39100 GP 7600
3.	Chief Chemist	22	Class-I	PB 15600-39100 GP 6600
4.	Scientist	89	Class-II	PB 15600-39100 GP 5400
5.	Environmental Geological Scientist	01	Class-II	PB 15600-39100 GP 5400
<b>3. ADMINISTRATION AND ACCOUNTS SERVICES—</b>				
1.	Finance Officer	01	Class-I	PB 15600-39100 GP 6600
2.	Administrative Officer	01	Class-I	PB 15600-39100 GP 6600
3.	Staff Officer	02	Class-I	PB 15600-39100 GP 6600
4.	Section Officer	14	Class-II	PB 15600-39100 GP 5400
5.	Section Officer (Budget & Accounts)	04	Class-II	PB 15600-39100 GP 5400
6.	Stenographer Gr.-I	07	Class-II	PB 15600-39100 GP 5400
<b>4. PUBLIC RELATION &amp; STATISTICAL SERVICE—</b>				
1.	Relation Officer	01	Class-I	PB 15600-39100 GP 6600
2.	Asst. Public Relation Officer	02	Class-II	PB 15600-39100 GP 5400
3.	Librarian	01	Class-II	PB 15600-39100 GP 5400
4.	Social and Environmental Surveyor	01	Class-II	PB 15600-39100 GP 5400
<b>5. LEGAL SERVICE—</b>				
1.	Legal Advisor	01	Class-I	Reputed Advocate to be
2.	Law Officer	01	Class-I	PB 15600-39100 GP 6600
3.	Assistant Law Officer	15	Class-II	PB 15600-39100 GP 5400

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

**6. COMPUTER SERVICE—**

1.	Computer Programmer/Operator	04	Class-II	PB 15600-39100 GP 5400
----	------------------------------	----	----------	------------------------

Following amendments are substituted in Schedule II:—

**“SCHEDULE-II”**

(See clause-6)

S. No.	Name of Service/Post	Class	Total No. of Post	Percentage of no. of post to be filled in	
				By direct recruitment	By promotion
1	2	3	4	5	6
<b>1. ENGINEERING SERVICES—</b>					
1.	Superintending Engineer (Environment)	Class-I	13	—	100%
2.	Superintending Engineer (Mining)	Class-I	01	—	100%
3.	Executive Engineer (Environment)	Class-I	20	—	100%
4.	Assistant Engineer (Environment)	Class-II	85	80%	20%
5.	Assistant Engineer (Computer)	Class-II	01	100%	—
<b>2. SCIENTIFIC SERVICES—</b>					
1.	Chief Scientific Officer	Class-I	06	—	100%
2.	Senior Scientific Officer	Class-I	14	—	100%
3.	Chief Chemist	Class-I	22	—	100%
4.	Scientist	Class-II	89	20%	80%
5.	Environmental Geological Scientist.	Class-II	01	100%	—
<b>3. ADMINISTRATION AND ACCOUNTS SERVICE—</b>					
1.	Finance Officer	Class-I	01	—	100%
2.	Administrative Officer	Class-I	01	—	100%
3.	Staff Officer	Class-I	02	—	100%
4.	Section Officer	Class-II	14	50%	50%
5.	Section Officer (Budget & Accounts)	Class-II	04	50%	50%
6.	Stenographer Gr.-I	Class-II	07	—	100%
<b>4. PUBLIC RELATION &amp; STATISTICAL SERVICE—</b>					
1.	Relation Officer	Class-I	01	—	100%
2.	Assistant Public Relation Officer.	Class-II	02	100%	—
3.	Librarian	Class-II	01	100%	—
4.	Social Environmental Surveyor.	Class-II	01	100%	Post will be abolished after the promotion to Relation Officer.

1	2	3	4	5	6
<b>5. LEGAL SERVICE—</b>					
1.	Legal Advisor	Class-I	01	—	On Contract basis
2.	Law Officer	Class-I	01	—	100%
3.	Assistant Law Officer	Class-II	15	80%	20%
<b>6. COMPUTER SERVICE—</b>					
1.	Computer Programmer/ Operator.	Class-II	04	—	75% posting from the cadre of Assistant Engineer (Environment)/Scientist working in the Board. 25% posting from data Assistant (Gr. I).

Following amendments are substituted in Schedule III:—

**“SCHEDULE-III”**

(See Clause-8)

S. No.	Name of Post	Minimum Age (In years)	Upper Age	Educational Qualification	Selection Committee
1	2	3	4	5	6
<b>1. ENGINEERING SERVICE—</b>					
I.	Assistant Engineer (Environment).	21	40*	B.E./B. Tech.Environmental Engineer or Civil/Chemical/ with Master Degree in Environmental Engineering from recognized University.	A committee or an organization nominated by Chairman.
II.	Assistant Engineer (Computer).	21	40*	B.E./B. Tech. in Computer Engineering/Computer Science/IT/Electronics from recognized University.	A committee or an organization nominated by Chairman.
<b>2. SCIENTIFIC SERVICE —</b>					
	Scientist	21	40*	Post Graduate degree in Zoology/Botany/Chemistry/ Environmental Science from recognized University from.	A committee or an organization nominated by Chairman.
	Environmental Geological Scientist.	21	40*	M. Sc. (Geology)/M. Tech. from recognized University.	A committee or an organization nominated by Chairman.
<b>3. ADMINISTRATION AND ACCOUNTS SERVICE—</b>					
	Section Officer	21	40*	Graduate with Post Graduate in finance/HR or CA from recognized University.	A committee or an organization nominated by Chairman.
<b>4. PUBLIC RELATION &amp; STATISTICAL SERVICE—</b>					
I.	Assistant Public Relation Officer.	21	40*	Post Graduate degree in Mass Communication/ Journalism/Public Relation from recognized University & at least 3 years experience in the relevant field.	A committee or an organization nominated by Chairman.

1	2	3	4	5	6
II.	Librarian	21	40*	Graduate with Bachelor Degree in Library Science & 5 years service experience as a Librarian in a reputed Library.	A committee or an organization nominated by Chairman.
II.	Social and Environmental Surveyor.	21	40*	Post Graduate degree in Anthropology from recognized University & at least 3 years experience in survey of data collection and reporting in health.	A committee or an organization nominated by Chairman.
<b>5. LEGAL SERVICE—</b>					
	Assistant Law Officer	21	40*	Graduate in Law from reputed University and 2 years court experience as advocate.	A committee or an organization nominated by Chairman.

\*The maximum age limit for direct recruiting will be as per order issued vide letter No. C-3-11/12/13/1/3 Bhopal dated 03/11/12 by Govt. of MP, General Administration Department, Mantralaya and revised order issued on dated 20/12/12. In this regards any amendment made by the Government in future shall be applicable to the Board.

Following amendments are substituted in Schedule IV:—

**“SCHEDULE-IV”**

(See Regulation-6 and 7)

S. No.	Name of the Post from which promotion is to be made	Name of the Post to which promotion is to be made	Experience & Qualification and required Experience	Name of the Member of the Promotion Committee
1	2	3	4	5
<b>ENGINEERING SERVICE—</b>				
1.	Executive Engineer (Environment) (Class-I)	Superintending Engineer (Environment) (Class-I)	5 years continuous service as Executive Engineer.	1. Member Secretary MP Pollution Control Board, Bhopal—Chairman 2. Chief Engineer, Public Health, Engineering Deptt.-Member. 3. Deputy Secretary, Housing & Environment Department- Member. 4. An Officer of Board in charge of Administration-Convener. (With the permission of Chairman a subject specialist can be co-opted as a member).
2.	Asstt. Engineer (Environment) (Class-II)	Executive Engineer (Environment) (Class-I)	5 years continuous service as Asstt. Engineer (Environment)	1. Member Secretary M.P. Pollution Control Board, Bhopal—Chairman 2. Chief Engineer, Public Health, Engineering Deptt.-Member.

1	2	3	4	5
3.	Sub Engineer (Class-III)	Asstt.Engineer (Environment) (Class-II)	08 years continuous service as Sub- Engineer (Diploma Holder) or 5 years continuous service as Sub-Engineer for Degree Holder.	3. Deputy Secretary Housing& Environment Department-Member. 4. An Officer of Board in charge of Administration- Convener. (With the permission of Chairman a subject specialist can be co- opted as a member). 1. Member Secretary M.P. Pollution Control Board, Bhopal—Chairman. 2. Chief Engineer/Chief Scientific Officer-Member. 3.Superintending Engineer Member. 4. An Officer of Board in charge of Administration- Convener. (With the permission of Chairman a subject specialist can be co- opted as a member).
4.	Head Draftsman/ Draftsman (Class-III)	Asstt.Engineer (Environment) (Class-II)	12 years continuous service as Head Draftsman/ Draftsman or 8 years continuous service for employees who have obtained B.E. Degree during their services in the Board.	1. Member Secretary M.P. Pollution Control Board, Bhopal—Chairman. 2. Chief Engineer/Chief Scientific Officer-Member. 3.Superintending Engineer Member. 4. An Officer of Board in charge of Administration- Convener. (With the permission of Chairman a subject specialist can be co- opted as a member).
<b>SCIENTIFIC SERVICE—</b>				
1.	Senior Scientific Officer. (Class-I)	Chief Scientific Officer. (Class-I)	5 years continuous service as Senior Scientific Officer.	1. Member Secretary, M.P. Pollution Control Board, Bhopal or any other officer designated by the Chairman. M. P. Pollution Control Board-Chairman. 2. Chief Engineer, Public Health, Engineering Deptt.- Member. 3. Deputy Secretary, Housing& Environment Department- Member. 4. An Officer of Board in charge of Administration- Convener. (With the permission of Chairman a subject specialist can be co- opted as a member).

1	2	3	4	5
2.	Chief Chemist (Class-I)	Senior Scientific Officer. (Class-I)	5 years continuous service as Chief Chemist.	1. Member Secretary, M.P. Pollution Control Board, Bhopal Chairman. 2. Chief Engineer, Public Health, Engineering Deptt.- Member. 3. Deputy Secretary, Housing & Environment Department- Member. 4. An Officer of Board in charge of Administration- Convener. (With the permission of Chairman a subject specialist can be co- opted as a member).
3.	Scientist (Class-II)	Chief Chemist (Class-I)	5 years continuous service as Scientist.	1. Member Secretary, M.P. Pollution Control Board, Bhopal Chairman. 2. Chief Engineer, Public Health Engineering Deptt.- Member. 3. Deputy Secretary, Housing & Environment Department- Member. 4. An Officer of Board in charge of Administration- Convener. (With the permission of Chairman a subject specialist can be co- opted as a member).
4.	Junior Scientist (Class-III)	Scientist (Class-II)	1. M.Sc. post graduate degree & 3 years continuous service on the post of Junior Scientist. 2. B.Sc. degree & 6 years continuous service as Junior Scientist.	1. Member Secretary, M.P. Pollution Control Board, Bhopal Chairman. 2. Chief Engineer/Chief Scientific Officer- Member. 3. Superintending Engineer Member. 4. An Officer of Board in charge of Administration- Convener. (With the permission of Chairman a subject specialist can be co- opted as a member).
<b>ADMINISTRATION AND ACCOUNTS—</b>				
1.	Section Officer (Class-II)	Finance Officer (Class-I)	5 years continuous service as Section Officer.	1. Member Secretary, M.P. Pollution Control Board, Bhopal—Chairman. 2. Chief Engineer, Public Health Engineering Deptt.- Member. 3. Deputy Secretary, Housing & Environment Department. Member. 4. An Officer of Board in charge of Administration- Convener. (With the permission of Chairman a subject specialist can be co- opted as a member).

1	2	3	4	5
2.	Section Officer (Class-II)	Administrative Officer (Class-I)	5 years continuous service as Section Officer.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Member Secretary, M.P. Pollution Control Board, Bhopal-Chairman.</li> <li>2. Chief Engineer, Public Health Engineering Deptt.-Member.</li> <li>3. Deputy Secretary, Housing &amp; Environment Department-Member.</li> <li>4. An Officer of Board in charge of Administration-Convener. (With the permission of Chairman a subject specialist can be co-opted as a member).</li> </ol>
3.	Stenographer Gr. I (Class-II)	Staff Officer (Class-I)	5 years continuous service as Stenographer Gr. I	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Member Secretary, M.P. Pollution Control Board, Bhopal-Chairman.</li> <li>2. Chief Engineer, Public Health, Engineering Deptt.-Member.</li> <li>3. Deputy Secretary, Housing &amp; Environment Department-Member.</li> <li>4. An Officer of Board in charge of Administration-Convener. (With the permission of Chairman a subject specialist can be co-opted as a member).</li> </ol>
4.	Superintendent/Sr. Accountant (Class-III)	Section Officer (Class-II)	5 years continuous service as Superintendent/Sr. Accountant	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Member Secretary, M.P. Pollution Control Board, Bhopal-Chairman.</li> <li>2. Chief Engineer/Chief Scientific Officer- Member.</li> <li>3. Superintending Engineer-Member.</li> <li>4. An Officer of Board in charge of Administration-Convener. (With the permission of Chairman a subject specialist can be co-opted as a member).</li> </ol>
5.	Stenographer Gr. II (Class-III)	Stenographer Gr. I (Class-II)	5 years continuous service as Stenographer Gr. II	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Member Secretary, M.P. Pollution Control Board, Bhopal-Chairman.</li> <li>2. Chief Engineer/Chief Scientific Officer- Member.</li> <li>3. Superintending Engineer-Member.</li> <li>4. An Officer of Board in charge of Administration-Convener. (With the permission of Chairman a subject specialist can be co-opted as a member).</li> </ol>



1	2	3	4	5
6.	Senior Auditor employees in same pay scale (Class-III)	Section Officer (Budget & Audit) (Class-II)	(1) Grade Pay 4200/- along with 5 years continuous service. (2) B.com. along with MBA in Finance.	1. Member Secretary, M.P. Pollution Control Board, Bhopal-Chairman. 2. Chief Engineer/Chief Scientific Officer- Member. 3. Superintending Engineer-Member. 4. An Officer of Board in charge of Administration-Convener. (With the permission of Chairman a subject specialist can be co-opted as a member).

**PUBLIC RELATION & STATISTICAL SERVICE—**

1.	Social Environmental Surveyor (Class-II)	Relation Officer (Class-I)	5 years continuous service as Social Environmental Surveyor.	1. Member Secretary, M.P. Pollution Control Board, Bhopal-Chairman. 2. Chief Engineer, Public Health, Engineering Deptt.-Member. 3. Deputy Secretary, Housing & Environment Department-Member. 4. An Officer of Board in charge of Administration-Convener. (With the permission of Chairman a subject specialist can be co-opted as a member).
----	--	----------------------------	--	--

**LEGAL SERVICE—**

1.	Asstt. Law Officer (Class-II)	Law Officer (Class-I)	5 years continuous service as Asstt. Law Officer.	1. Member Secretary, M.P. Pollution Control Board, Bhopal-Chairman. 2. Chief Engineer, Public Health Engineering Deptt.-Member. 3. Deputy Secretary. 4. Housing & Environment Department- Member. 5. An Officer of Board in charge of Administration-Convener. (With the permission of Chairman a subject specialist can be co-opted as a member).
2.	Legal Assistant (Class-III)	Assistant Law Officer (Class-II)	5 years continuous service as Legal Assistant.	1. Member Secretary, M.P. Pollution Control Board, Bhopal-Chairman. 2. Chief Engineer/Chief Scientific Officer-Member.

1	2	3	4	5
				3. Superintending Engineer-Member.
				4. An Officer of Board in charge of Administration-Convener. (With the permission of Chairman a subject specialist can be co-opted as a member).
<b>COMPUTER SERVICE—</b>				
1.	Data Assistant Grade-I (Class-III)	Computer Programmer (Class-II)	5 years continuous service as Data Entry Operator Grade-I.	1. Member Secretary, M.P. Pollution Control Board, Bhopal-Chairman. 2. Chief Engineer, Public Health Engineering Deptt.-Member. 3. Superintending Engineer-Member. 4. An Officer of Board in charge of Administration-Convener. (With the permission of Chairman a subject specialist can be co-opted as a member).

(01-A-B.)

**For and on behalf of M.P. Pollution Control Board.**

भोपाल, दिनांक 01 अप्रैल, 2015

क्र. 674.—जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (क्रमांक-6/1974) की धारा-12 की उपधारा-3 (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, राज्य शासन के पूर्व अनुमोदन से मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सेवा (तृतीय श्रेणी) (भर्ती तथा सेवा शर्त) विनियम, 1996 की कंडिका-5 के प्रावधान अनुसार अनुसूची-I, II, III एवं IV में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है—

अनुसूची-I में निम्न संशोधन किये जाते हैं अर्थात :—

**“ अनुसूची-I ”**

(नियम-5 देखिए)

क्र.	सेवा में सम्मिलित पदों के नाम	स्वीकृत पद	वर्गीकरण	वेतनमान (रुपये)
1	2	3	4	5
<b>1. यांत्रिकी सेवायें—</b>				
1.	मुख्य मानचित्रकार	01	तृतीय श्रेणी	9300-34800+4200 ग्रेड-पे
2.	मानचित्रकार	03	तृतीय श्रेणी	9300-34800+3200 ग्रेड-पे
3.	उपयंत्री	18	तृतीय श्रेणी	9300-34800+3200 ग्रेड-पे
4.	सहायक मानचित्रकार	06	तृतीय श्रेणी	5200-20200+2400 ग्रेड-पे रिक्त 03 पद समाप्त किये जायेंगे.
5.	अनुरेखक	11	तृतीय श्रेणी	5200-20200+1900 ग्रेड-पे रिक्त 10 पद समाप्त किये जायेंगे.
<b>2. वैज्ञानिकी सेवायें—</b>				
1.	कनिष्ठ वैज्ञानिक	41	तृतीय श्रेणी	9300-34800+4200 ग्रेड-पे
2.	रसायनज्ञ	143	तृतीय श्रेणी	9300-34800+3600 ग्रेड-पे
3.	प्रयोगशाला सहायक/सेम्पलर	49	तृतीय श्रेणी	5200-20200+2400 ग्रेड-पे

1	2	3	4	5
<b>3. प्रशासन एवं लेखा सेवायें—</b>				
1.	अधीक्षक/वरिष्ठ लेखापाल	21	तृतीय श्रेणी	9300-34800+4200 ग्रेड-पे
2.	वरिष्ठ अंकेक्षक	01	तृतीय श्रेणी	9300-34800+4200 ग्रेड-पे
3.	स्टेनोग्राफर ग्रेड-2	13	तृतीय श्रेणी	9300-34800+4200 ग्रेड-पे
4.	स्टेनोग्राफर ग्रेड-3	21	तृतीय श्रेणी	9300-34800+4200 ग्रेड-पे
5.	सहायक अधीक्षक/लेखापाल/अंकेक्षक	34	तृतीय श्रेणी	9300-34800+3600 ग्रेड-पे
6.	उच्च श्रेणी लिपिक/लेखा लिपिक	37	तृतीय श्रेणी	5200-20200+2400 ग्रेड-पे
7.	निम्न श्रेणी लिपिक/स्टेनोग्राफर/टाइपिस्ट/टेलीफोन ऑपरेटर	91	तृतीय श्रेणी	5200-20200+1900 ग्रेड-पे
8.	मैकेनिक	01	तृतीय श्रेणी	5200-20200+2100 ग्रेड-पे
9.	वाहन चालक	113	तृतीय श्रेणी	5200-20200+1900 ग्रेड-पे
10.	सुपरवाइजर ग्रेड-1	01	तृतीय श्रेणी	5200-20200+2100 ग्रेड-पे
11.	सुपरवाइजर ग्रेड-2	03	तृतीय श्रेणी	5200-20200+1900 ग्रेड-पे
12.	इलैक्ट्रीशियन/डीजी सेट ऑपरेटर	04	तृतीय श्रेणी	5200-20200+1900 ग्रेड-पे
13.	कृषि सहायक	01	तृतीय श्रेणी	9300-34800+3200 ग्रेड-पे
<b>4. जनसम्पर्क एवं सांख्यिकी सेवायें—</b>				
1.	प्रचार सहायक	02	तृतीय श्रेणी	9300-34800+3200 ग्रेड-पे
<b>5. विधिक सेवायें—</b>				
1.	विधि सहायक	15	तृतीय श्रेणी	9300-34800+4200 ग्रेड-पे
<b>6. कम्प्यूटर सेवायें—</b>				
1.	डाटा सहायक ग्रेड-1	02	तृतीय श्रेणी	9300-34800+3600 ग्रेड-पे
2.	डाटा सहायक ग्रेड-2	02	तृतीय श्रेणी	9300-34800+3200 ग्रेड-पे
3.	डाटा एन्ट्री ऑपरेटर	85	तृतीय श्रेणी	5200-20200+2400 ग्रेड-पे आउट सोर्सिंग के माध्यम से.

अनुसूची-I में निम्न संशोधन किये जाते हैं अर्थात :-

**“ अनुसूची-II ”**

(नियम-6 देखिए)

क्र.	सेवा में सम्मिलित पदों के नाम	पद संख्या	भरे जाने का प्रतिशत	
			सीधी भर्ती से	पदोन्नति से
1	2	3	4	5
<b>1. यांत्रिकी सेवायें—</b>				
1.	मुख्य मानचित्रकार	01	—	100 प्रतिशत
2.	मानचित्रकार	03	—	100 प्रतिशत
3.	उपयंत्री	18	100 प्रतिशत	—
4.	सहायक मानचित्रकार	06	50 प्रतिशत	50 प्रतिशत
5.	अनुरेखक	11	100 प्रतिशत	—

1	2	3	4	5
<b>2. वैज्ञानिकी सेवायें—</b>				
1.	कनिष्ठ वैज्ञानिक	41	—	100 प्रतिशत
2.	रसायनज्ञ	143	75 प्रतिशत	25 प्रतिशत
3.	प्रयोगशाला सहायक/ सेम्पलर	49	50 प्रतिशत	50 प्रतिशत
<b>3. प्रशासन एवं लेखा सेवायें—</b>				
1.	अधीक्षक/वरिष्ठ लेखापाल	21	—	100 प्रतिशत
2.	वरिष्ठ अंकेक्षक	01	—	100 प्रतिशत
3.	स्टेनोग्राफर ग्रेड-2	13	—	100 प्रतिशत
4.	स्टेनोग्राफर ग्रेड-3	21	75 प्रतिशत	25 प्रतिशत
5.	सहायक अधीक्षक/लेखापाल/अंकेक्षक	34	—	100 प्रतिशत
6.	उच्च श्रेणी लिपिक/लेखा लिपिक	37	—	100 प्रतिशत
7.	निम्न श्रेणी लिपिक/स्टेनोग्राफिस्ट/ टाइपिस्ट/टेलीफोन ऑपरेटर	91	75 प्रतिशत	25 प्रतिशत
8.	मैकेनिक	01	—	100 प्रतिशत
9.	वाहन चालक	113	100 प्रतिशत	—
10.	सुपरवाइजर ग्रेड-1	01	—	100 प्रतिशत
11.	सुपरवाइजर ग्रेड-2	03	—	100 प्रतिशत
12.	इलेक्ट्रीशियन/डीजी सेट ऑपरेटर	04	100 प्रतिशत	—
13.	कृषि सहायक	01	100 प्रतिशत	—
<b>4. जनसम्पर्क एवं सांख्यिकी सेवायें—</b>				
1.	प्रचार सहायक	02	100 प्रतिशत	—
<b>5. विधिक सेवायें—</b>				
1.	विधि सहायक	15	100 प्रतिशत	—
<b>6. कम्प्यूटर सेवायें—</b>				
1.	डाटा सहायक ग्रेड-1	02	—	100 प्रतिशत
2.	डाटा सहायक ग्रेड-2	02	—	100 प्रतिशत
3.	डाटा एन्ट्री ऑपरेटर	85	100 प्रतिशत	—
आउट सोर्सिंग के माध्यम से.				

अनुसूची-I में निम्न संशोधन किये जाते हैं अर्थात :-

**“ अनुसूची-III ”**

(नियम-8 देखिए)

क्रमांक	पदनाम	निम्नतर आयु सीमा	अधिकतम आयु सीमा	निर्धारित शैक्षणिक योग्यता	चयन समिति
1	2	3	4	5	6
<b>1. यांत्रिकी सेवायें—</b>					
1.	उपयंत्री	21	40*	मान्यता प्राप्त संस्थान से सिविल अभियांत्रिकी में डिप्लोमा.	अध्यक्ष द्वारा नामांकित समिति या संस्था.
2.	सहायक मानचित्रकार	21	40*	मान्यता प्राप्त संस्थान से सिविल अभियांत्रिकी में डिप्लोमा.	अध्यक्ष द्वारा नामांकित समिति या संस्था.
3.	अनुरेखक	21	40*	हायर सेकेण्ड्री परीक्षा उत्तीर्ण एवं मान्यता प्राप्त संस्थान से ड्राइंग का प्रमाण-पत्र.	अध्यक्ष द्वारा नामांकित समिति या संस्था.
<b>2. वैज्ञानिक सेवायें—</b>					
1.	रसायनज्ञ	21	40*	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से जीव विज्ञान/पर्यावरण विज्ञान/वनस्पति शास्त्र/रसायन शास्त्र विषय में स्नातक उपाधि.	अध्यक्ष द्वारा नामांकित समिति या संस्था.
2.	सेम्पलर/प्रयोगशाला सहायक	21	40*	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बी. एससी. उपाधि.	अध्यक्ष द्वारा नामांकित समिति या संस्था.
<b>3. प्रशासन एवं लेखा सेवायें—</b>					
1.	शीघ्रलेखक ग्रेड-3	21	40*	माध्यमिक शिक्षा मण्डल मध्यप्रदेश से हायर सेकेण्ड्री परीक्षा उत्तीर्ण तथा यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/मुक्त विश्वविद्यालय/डीओईएसीसी से डिप्लोमा/शासकीय पोलिटेक्निक कॉलेज से मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट कोर्स/ शासकीय आईटीआई द्वारा एक वर्षीय कम्प्यूटर ऑपरेटर एवं प्रोग्रामिंग प्रमाण-पत्र. 30 शब्द प्रति मिनट की गति से व्यापम द्वारा प्रदाय कम्प्यूटर टायपिंग दक्षता प्रमाण-पत्र तथा मान्यता प्राप्त संस्थाओं / परिषद से 100 शब्द प्रति मिनट गति से शार्टहैंण्ड उत्तीर्ण होने का प्रमाण-पत्र.	अध्यक्ष द्वारा नामांकित समिति या संस्था.
2.	स्टेनोग्राफिस्ट	21	40*	माध्यमिक शिक्षा मण्डल मध्यप्रदेश से हायर सेकेण्ड्री परीक्षा उत्तीर्ण तथा यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/मुक्त विश्वविद्यालय/डीओईएसीसी से डिप्लोमा/शासकीय पोलिटेक्निक कॉलेज से मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट कोर्स/ शासकीय आईटीआई द्वारा एक वर्षीय कम्प्यूटर ऑपरेटर एवं प्रोग्रामिंग असिस्टेंट प्रमाण-पत्र.	अध्यक्ष द्वारा नामांकित समिति या संस्था.

1	2	3	4	5	6
				30 शब्द प्रति मिनट की गति से व्यापम द्वारा प्रदाय कम्प्यूटर टायपिंग दक्षता प्रमाण-पत्र तथा हिन्दी शीघ्रलेखक में 80 शब्द प्रति मिनट की गति.	
3. निम्न श्रेणी लिपिक/टेलीफोन ऑपरेटर	21	40*	माध्यमिक शिक्षा मण्डल मध्यप्रदेश से हायर सेकेण्ड्री परीक्षा उत्तीर्ण तथा यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/मुक्त विश्वविद्यालय/डीओईएसीसी से डिप्लोमा/शासकीय पोलीटेक्निक कॉलेज से मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट कोर्स/ शासकीय आईटीआई द्वारा एक वर्षीय कम्प्यूटर ऑपरेटर एवं प्रोग्रामिंग असिस्टेंट प्रमाण-पत्र.	अध्यक्ष द्वारा नामांकित समिति या संस्था.	
4. वाहन चालक	18	40*	कक्षा 8वीं परीक्षा उत्तीर्ण तथा हल्के तथा भारी वाहनों का वाहन अधिनियम के तहत लाईसेंस.	अध्यक्ष द्वारा नामांकित समिति या संस्था.	
5. कृषि सहायक	21	40*	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कृषि स्नातक.	अध्यक्ष द्वारा नामांकित समिति या संस्था.	
6. इलेक्ट्रिशियन/डीजीसेट ऑपरेटर	18	40*	आठवीं पास तथा वायरमैन का म. प्र. लायसेंसिंग बोर्ड का प्रमाण-पत्र.	अध्यक्ष द्वारा नामांकित समिति या संस्था.	
<b>4. जनसम्पर्क एवं सांख्यिकी सेवायें—</b>					
1. प्रचार सहायक	21	40*	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिन्दी विषय में स्नातकोत्तर उपाधि एवं (अ) अंग्रेजी का ज्ञान (ब) दैनिक समाचार-पत्र के साथ एक वर्ष का कार्य अनुभव जैसे कम्पायलेशन/कॉलम रायटिंग अथवा समाचार एकत्रण.	अध्यक्ष द्वारा नामांकित समिति या संस्था.	
<b>5. विधिक सेवायें—</b>					
1. विधि सहायक ग्रेड-2	21	40*	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधि स्नातक तथा स्टेट बार काउंसिल से पंजीकृत.	अध्यक्ष द्वारा नामांकित समिति या संस्था.	
<b>6. कम्प्यूटर सेवायें—</b>					
1. डाटा एन्ट्री ऑपरेटर	21	40*	माध्यमिक शिक्षा मंडल से हायर सेकेण्ड्री 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण तथा कम्प्यूटर विज्ञान में डिप्लोमा.	अध्यक्ष द्वारा नामांकित समिति या संस्था.	

**\*नोट—** 1. सेवाओं में सीधी भर्ती से भरे जाने वाले पदों पर नियुक्ति के लिये अधिकतम आयु सीमा मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय के पत्र क्रमांक सी-3-11/12/13/1/3 भोपाल, दिनांक 03-11-12 एवं संशोधित आदेश दिनांक 20-12-12 के अनुसार रखी गई है, उपरोक्त संशोधन के उपरांत मध्यप्रदेश शासन द्वारा आयु सीमा के संबंध में भविष्य में किये जाने वाले संशोधन बोर्ड में स्वतः लागू माने जायेंगे.

**नोट—** 2. मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय के आदेश क्रमांक सी-3-8/2013/1/3 भोपाल, दिनांक 1 जुलाई, 13 के पैरा 1 के बिन्दु क्रमांक 4 अनुसार दिनांक 31 दिसम्बर, 2014 तक उक्त नवीन व्यवस्था के तहत शीघ्रलेखक ग्रेड-3, स्टेनोटाइपिस्ट एवं निम्न श्रेणी लिपिक के पद हेतु पूर्व निर्धारित योग्यता (मैन्यूअल टायपिंग प्रमाण-पत्र) को भी मान्य किया जायेगा.

अनुसूची-I में निम्न संशोधन किये जाते हैं अर्थात् :-

**“ अनुसूची-IV ”**

(नियम-6 एवं 7 देखिए)

क्र.	पद का नाम जिससे पदोन्नत किया जाना है	पद का नाम जिस पर पदोन्नत किया जाना है	आवश्यक शैक्षणिक योग्यता व अनुभव	पदोन्नति समिति के सदस्य
1	2	3	4	5
<b>यांत्रिकी सेवायें—</b>				
1.	सहायक मानचित्रकार (तृतीय श्रेणी)	मानचित्रकार (तृतीय श्रेणी)	सहायक मानचित्रकार के पद पर 05 वर्ष की लगातार नियमित सेवा.	1. सदस्य सचिव, म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अध्यक्ष. 2. मुख्य अभियंता/मुख्य वैज्ञानिक अधिकारी, म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सदस्य. 3. अधीक्षण यंत्री (पर्यावरण), सदस्य. 4. बोर्ड के प्रशासन के प्रभारी अधिकारी, संयोजक.
2.	अनुरेखक (तृतीय श्रेणी)	सहायक मानचित्रकार (तृतीय श्रेणी)	अनुरेखक के पद पर 05 वर्ष की लगातार नियमित सेवा.	1. सदस्य सचिव, म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अध्यक्ष. 2. मुख्य अभियंता/मुख्य वैज्ञानिक अधिकारी, म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सदस्य. 3. अधीक्षण यंत्री (पर्यावरण), सदस्य. 4. बोर्ड के प्रशासन के प्रभारी अधिकारी, संयोजक.
<b>वैज्ञानिकी सेवायें—</b>				
1.	रसायनज्ञ (तृतीय श्रेणी)	कनिष्ठ वैज्ञानिक (तृतीय श्रेणी)	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से पी.एच.डी. उपाधि के साथ एक वर्ष, एम. एससी. उपाधि के साथ तीन वर्ष, बी. एससी. उपाधि के साथ 6 वर्ष की लगातार रसायनज्ञ के पद पर नियमित सेवा.	1. सदस्य सचिव, म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अध्यक्ष. 2. मुख्य अभियंता/मुख्य वैज्ञानिक अधिकारी, म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सदस्य. 3. अधीक्षण यंत्री (पर्यावरण), सदस्य. 4. बोर्ड के प्रशासन के प्रभारी अधिकारी, संयोजक.
2.	प्रयोगशाला सहायक/सेम्पलर/कृषि सहायक (तृतीय श्रेणी)	रसायनज्ञ (तृतीय श्रेणी)	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एम. एससी. उपाधि के साथ तीन वर्ष, बी. एससी. उपाधि के साथ 6 वर्ष की लगातार प्रयोगशाला सहायक/सेम्पलर/कृषि सहायक के पद पर नियमित सेवा.	1. सदस्य सचिव, म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अध्यक्ष. 2. मुख्य अभियंता/मुख्य वैज्ञानिक अधिकारी, म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सदस्य. 3. अधीक्षण यंत्री (पर्यावरण), सदस्य. 4. बोर्ड के प्रशासन के प्रभारी अधिकारी, संयोजक.

1	2	3	4	5
3.	प्रयोगशाला परिचारक (चतुर्थ श्रेणी)	प्रयोगशाला सहायक/ सेम्पलर (तृतीय श्रेणी)	विज्ञान विषय में हायर सेकेण्ड्री के साथ प्रयोगशाला परिचारक के पद पर 8 वर्ष की लगातार नियमित सेवा.	1. सदस्य सचिव, म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अध्यक्ष. 2. मुख्य अभियंता/मुख्य वैज्ञानिक अधिकारी, म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सदस्य. 3. अधीक्षण यंत्री (पर्यावरण), सदस्य. 4. बोर्ड के प्रशासन के प्रभारी अधिकारी, संयोजक.
<b>प्रशासन एवं लेखा—</b>				
1.	सहायक अधीक्षक/लेखापाल (तृतीय श्रेणी)	अधीक्षक/वरिष्ठ लेखापाल (तृतीय श्रेणी)	सहायक अधीक्षक/लेखापाल के पद पर 05 वर्ष की लगातार नियमित सेवा.	1. सदस्य सचिव, म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अध्यक्ष. 2. मुख्य अभियंता/मुख्य वैज्ञानिक अधिकारी, म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सदस्य. 3. अधीक्षण यंत्री (पर्यावरण), सदस्य. 4. बोर्ड के प्रशासन के प्रभारी अधिकारी, संयोजक.
2.	शीघ्रलेखक ग्रेड 3 (तृतीय श्रेणी)	शीघ्रलेखक ग्रेड 2 (तृतीय श्रेणी)	शीघ्रलेखक ग्रेड 3 के पद पर 05 वर्ष की लगातार नियमित सेवा.	1. सदस्य सचिव, म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अध्यक्ष. 2. मुख्य अभियंता/मुख्य वैज्ञानिक अधिकारी, म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सदस्य. 3. अधीक्षण यंत्री (पर्यावरण), सदस्य. 4. बोर्ड के प्रशासन के प्रभारी अधिकारी, संयोजक.
3.	उच्च श्रेणी लिपिक/ लेखा लिपिक (तृतीय श्रेणी)	सहायक अधीक्षक/ लेखापाल (तृतीय श्रेणी)	उच्च श्रेणी लिपिक/लेखा लिपिक के पद पर 05 वर्ष की लगातार नियमित सेवा.	1. सदस्य सचिव, म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अध्यक्ष. 2. मुख्य अभियंता/मुख्य वैज्ञानिक अधिकारी, म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सदस्य. 3. अधीक्षण यंत्री (पर्यावरण), सदस्य. 4. बोर्ड के प्रशासन के प्रभारी अधिकारी, संयोजक.
4.	निम्न श्रेणी लिपिक/ टायपिस्ट/टेलीफोन ऑपरेटर (तृतीय श्रेणी)	उच्च श्रेणी लिपिक/ लेखा लिपिक (तृतीय श्रेणी)	निम्न श्रेणी लिपिक/टेलीफोन ऑपरेटर के पद पर 05 वर्ष की लगातार नियमित सेवा.	1. सदस्य सचिव, म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अध्यक्ष. 2. मुख्य अभियंता/मुख्य वैज्ञानिक अधिकारी, म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सदस्य. 3. अधीक्षण यंत्री (पर्यावरण), सदस्य. 4. बोर्ड के प्रशासन के प्रभारी अधिकारी, संयोजक.



1	2	3	4	5
5.	स्टेनो टायपिस्ट (तृतीय श्रेणी)	शीघ्रलेखक ग्रेड 3 (तृतीय श्रेणी)	स्टेनो टायपिस्ट के पद पर 05 वर्ष की लगातार नियमित सेवा एवं 100 शब्द प्रति मिनट की शार्टहैंड की गति.	1. सदस्य सचिव, म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अध्यक्ष. 2. मुख्य अभियंता/मुख्य वैज्ञानिक अधिकारी, म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सदस्य. 3. अधीक्षण यंत्री (पर्यावरण), सदस्य. 4. बोर्ड के प्रशासन के प्रभारी अधिकारी, संयोजक.
6.	वाहन चालक (तृतीय श्रेणी)	मैकेनिक (तृतीय श्रेणी)	वाहन चालक के पद पर 15 वर्ष की लगातार नियमित सेवा.	1. सदस्य सचिव, म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अध्यक्ष. 2. मुख्य अभियंता/मुख्य वैज्ञानिक अधिकारी, म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सदस्य. 3. अधीक्षण यंत्री (पर्यावरण), सदस्य. 4. बोर्ड के प्रशासन के प्रभारी अधिकारी, संयोजक.
7.	टेलीफोन अटेंडेंट/ दफ्तरी/चपरासी/ चौकीदार/प्रयोगशाला परिचारक (चतुर्थ श्रेणी)	निम्न श्रेणी लिपिक/ टेलीफोन ऑपरेटर (तृतीय श्रेणी)	हायर सेकेण्ड्री के साथ टेलीफोन अटेंडेंट/दफ्तरी/चपरासी/ चौकीदार/प्रयोगशाला परिचारक के पद पर 05 वर्ष की लगातार नियमित सेवा.	1. सदस्य सचिव, म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अध्यक्ष. 2. मुख्य अभियंता/मुख्य वैज्ञानिक अधिकारी, म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सदस्य. 3. अधीक्षण यंत्री (पर्यावरण), सदस्य. 4. बोर्ड के प्रशासन के प्रभारी अधिकारी, संयोजक.
8.	सुपरवाइजर ग्रेड-2 (तृतीय श्रेणी)	सुपरवाइजर ग्रेड-1 (तृतीय श्रेणी)	सुपरवाइजर ग्रेड-2 के पद पर 08 वर्ष की लगातार नियमित सेवा.	1. सदस्य सचिव, म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अध्यक्ष. 2. मुख्य अभियंता/मुख्य वैज्ञानिक अधिकारी, म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सदस्य. 3. अधीक्षण यंत्री (पर्यावरण), सदस्य. 4. बोर्ड के प्रशासन के प्रभारी अधिकारी, संयोजक.
9.	दफ्तरी/चपरासी/ चौकीदार (चतुर्थ श्रेणी)	सुपरवाइजर ग्रेड-2 (तृतीय श्रेणी)	कक्षा 8वीं के साथ दफ्तरी/ चपरासी/चौकीदार के पद पर 08 वर्ष की लगातार नियमित सेवा.	1. सदस्य सचिव, म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अध्यक्ष. 2. मुख्य अभियंता/मुख्य वैज्ञानिक अधिकारी, म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सदस्य. 3. अधीक्षण यंत्री (पर्यावरण), सदस्य. 4. बोर्ड के प्रशासन के प्रभारी अधिकारी, संयोजक.

1	2	3	4	5
<b>कम्प्यूटर सेवायें—</b>				
1. डाटा सहायक ग्रेड-2 (तृतीय श्रेणी)	डाटा सहायक ग्रेड-1 (तृतीय श्रेणी)	डाटा सहायक ग्रेड-2 के पद पर 05 वर्ष की लगातार नियमित सेवा.	1. सदस्य सचिव, म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अध्यक्ष. 2. मुख्य अभियंता/मुख्य वैज्ञानिक अधिकारी, म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सदस्य. 3. अधीक्षण यंत्री (पर्यावरण), सदस्य. 4. बोर्ड के प्रशासन के प्रभारी अधिकारी, संयोजक.	
2. डाटा एन्ट्री ऑपरेटर (तृतीय श्रेणी)	डाटा सहायक ग्रेड-2 (तृतीय श्रेणी)	डाटा एन्ट्री ऑपरेटर के पद पर 05 वर्ष की लगातार नियमित सेवा.	1. सदस्य सचिव, म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अध्यक्ष. 2. मुख्य अभियंता/मुख्य वैज्ञानिक अधिकारी, म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सदस्य. 3. अधीक्षण यंत्री (पर्यावरण), सदस्य. 4. बोर्ड के प्रशासन के प्रभारी अधिकारी, संयोजक.	

**मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के लिये**

**तथा आदेशानुसार.**

(01-B-B.)

Bhopal, Dated 1<sup>st</sup> April, 2015

No. 674.—In exercise of the powers conferred by sub-section 3 (A) of section 12 of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (6 of 1974) the Madhya Pradesh Pollution Control Board, with the prior approval of the State Government, hereby amend the Madhya Pradesh Pollution Control Board Service (Class III) (Recruitment and Conditions of Service) Regulation 1996 in regulation 5 in Schedule-I, II, III and IV as follows :-

Following amendments are substituted in Schedule I :-

**“SCHEDULE-I”**

(See Clause 5)

S.No.	Post Included in the service	Sanctioned post	Classification	Scale of Pay
1	2	3	4	5
<b>1. ENGINEERING SERVICES</b>				
1.	Head Draftsman	01	Class III	PB 9300-34800 GP - 4200
2.	Draftsman	03	Class III	PB 9300-34800 GP - 3200
3.	Sub-Engineer	18	Class III	PB 9300-34800 GP- 3200
4.	Assistant Draftsman	06	Class III	PB 5200-20200 GP - 2400 Three vacant post will be abolished.
5.	Tracer	11	Class III	PB 5200-20200 GP - 1900 Ten vacant post will be abolished.
<b>2. SCIENTIFIC SERVICE</b>				
1.	Junior Scientist	41	Class III	PB 9300-34800 GP-4200

1	2	3	4	5
	2. Chemist	143	Class III	PB 9300-34800 GP - 3600
	3. Laboratory Asst./Sampler	49	Class III	PB 5200-20200 GP - 2400
<b>3.</b>	<b>ADMINISTRATION AND ACCOUNTS SERVICES</b>			
	1. Superintendent/Sr. Accountant	21	Class III	PB 9300-34800 GP - 4200
	2. Senior Auditor	01	Class III	PB 9300-34800 GP - 4200
	3. Stenographer Gr.-II	13	Class III	PB 9300-34800 GP - 4200
	4. Stenographer Gr.-III	21	Class III	PB 9300-34800 GP - 3600
	5. Asstt. Superintendent/ Accountant/Auditor	34	Class III	PB 9300-34800 GP- 3600
	6. Upper Division Clerk/ Accountant Clerk	37	Class III	PB 5200-20200 GP - 2400
	7. Lower Division Clerk/Steno Typist/Typist/ Telephone Operator	91	Class III	PB 5200-20200 GP - 1900
	8. Mechanic	01	Class III	PB 5200-20200 GP-2100
	9. Driver	113	Class III	PB 5200-20200 GP- 1900
	10. Supervisor Grade I	01	Class III	PB 5200-20200 GP- 2100
	11. Supervisor Grade II	03	Class III	PB 5200-20200 GP - 1900
	12. Electrician/DG Set Operator	04	Class III	PB 5200-20200 GP - 1900
	13. Agriculture Assistant	01	Class III	PB 5200-20200 GP - 3200
<b>4.</b>	<b>PUBLIC RELATION STATISTICAL SERVICE</b>			
	Publicity Assistant	02	Class III	PB 9300-34800 GP - 3200
<b>5.</b>	<b>LEGAL SERVICE</b>			
	Legal Assistant	15	Class III	PB 9300-34800 GP- 4200
<b>6.</b>	<b>COMPUTER SERVICE</b>			
	Data Assistant Grade I	02	Class III	PB 9300-34800 GP- 3600
	Data Assistant Grade II	02	Class III	PB 9300-34800 GP - 3200
	Data Entry Operator	85	Class III	PB 5200-20200 GP- 2400 Through Out Sourcing.

Following amendments are substituted in **Schedule II:-**

**“SCHEDULE-II”**

(See clause 6)

S. No.	Name of the Service/Post	Total No. of Post	Percentage of No. of Post to be filled in	
			By Direct Recruitment	By Pramotion
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>ENGINEERING SERVICES</b>			
	Chief Draftsman	01	—	100%
	Draftsman	03	—	100 %
	Sub-Engineer	18	100 %	—
	Assistant Draftsman	06	50 %	50 %
	Tracer	11	100 %	—

1	2	3	4	5
<b>2.</b>	<b>SCIENTIFIC SERVICES</b>			
	Junior Scientist	41	—	100 %
	Chemist	143	75 %	25 %
	Laboratory Asst./Sampler	49	50 %	50 %
<b>3.</b>	<b>ADMINISTRATION AND ACCOUNTS SERVICES</b>			
	Superintendent/Sr. Accountant	21	—	100 %
	Senior Auditor	01	—	100 %
	Stenographer Gr. II	13	—	100 %
	Stenographer Gr. III	21	75 %	25 %
	Asstt. Superintendent/ Accountant/Auditor	34	—	100 %
	Upper Division Clerk/ Accountant Clerk	37	—	100 %
	Lower Division Clerk/ Steno Typist/Typist/ Telephone Operator	91	75 %	25 %
	Mechanic	01	—	100 %
	Driver	113	100 %	—
	Supervisor Grade I	01	—	100 %
	Supervisor Grade II	03	—	100 %
	Electrician/ DG Set Operator	04	100 %	—
	Agriculture Assistant	01	100 %	—
<b>4.</b>	<b>PUBLIC RELATION AND STATISTICAL SERVICE</b>			
	Publicity Assistant	02	100%	—
<b>5.</b>	<b>LEGAL SERVICE</b>			
	Legal Assistant	15	100 %	—
<b>6.</b>	<b>COMPUTER SERVICE</b>			
	Data Assistant Grade I	02	—	100 %
	Data Assistant Grade II	02	—	100 %
	Data Entry Operator	85	100%	—
			Through Out Sourcing	

Following amendments are substituted in Schedule III :-

**“SCHEDULE-III”**

(See Clause-8)

S. No.	Name of Post	Minimum Age (In Year's)	Upper Age	Educational Qualification	Selection
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>ENGINEERING SERVICES—</b>				
	1. Sub Engineer	21	40*	Diploma in Civil Engineering from recognized University.	A committee or an organization nominated by Chairman.
	2. Assistant Draftsman	21	40*	Diploma in Civil Engineering from recognized University.	A committee or an organization nominated by Chairman.

1	2	3	4	5	6
3. Tracer		21	40*	Higher Secondary passed & Drawing Certificate from recognized Institute.	A committee or an organization nominated by Chairman.
<b>2. SCIENTIFIC SERVICES—</b>					
1. Chemist		21	40*	Graduate degree in Zoology/ Botany/Chemistry/Environmental Science from recognized University.	A committee or an organization nominated by Chairman.
2. Sampler/Lab Assistant		21	40*	B.Sc. Graduate degree from recognized University.	A committee or an organization nominated by Chairman.
<b>3. ADMINISTRATION AND ACCOUNTS —</b>					
1. Stenographer Gr. III		21	40*	Higher Secondary passed from the Board of Secondary Education MP. & Diploma from recognized University / Open University of UGC/ Diploma from DOACC/ Modern Office Management course from Govt. Poly technique College/One year certificate of Operator and Programming from Govt. I.T.I./Typing speed certificate of 30 words/min. from Vyapam & certificate of Short hand 100 words/ min. from recognized Institute/ Parishad.	A committee or an organization nominated by Chairman.
2. Steno Typist		21	40*	Higher Secondary passed from the Board of Secondary Education MP. & Diploma from recognized University / Open University of UGC/ Diploma from DOACC/ Modern Office Management course from Govt. Poly technique College/One year certificate of Operator and Programming from Govt. I.T.I./Typing speed certificate of 30 words/min. from Vyapam & certificate of Short hand 80 words/ min. from recognized Institute/ Parishad.	A committee or an organization nominated by Chairman.
3. Lower Division Clerk/ Tele phone Operater		21	40*	Higher Secondary passed from the Board of Secondary Education MP. & Diploma from recognized University / Open University of UGC/ Diploma from DOACC/ Modern Office Management course from Govt. Poly technique College/One year certificate of Operator and Programming from Govt. I.T.I./Typing speed certificate of 30 words/min. from Vyapam.	A committee or an organization nominated by Chairman.

1	2	3	4	5	6
4. Vehicle Driver		18	40*	Passed 8th & Light and Heavy Motor vehicle License from Motor Vehicle Act.	A committee or an organization nominated by Chairman.
5. Agriculture Assistant		21	40*	Graduate with Bachelor Degree in Agriculture from recognized University.	A committee or an organization nominated by Chairman.
6. Electrician/ DG Set Operator		18	40*	Passed 8th & Certificate of Wireman from MP License Board.	A committee or an organization nominated by Chairman.
<b>4. PUBLIC RELATION &amp; STATISTICAL SERVICE—</b>					
Publicity Assistant		21	40*	Post Graduate with Bachelor Degree in Hindi from recognized University & A. English knowledge B. 1 year experience with daily news paper. For Example Compilation / Column writing Or News collection.	A committee or an organization nominated by Chairman.
<b>5. LEGAL SERVICES—</b>					
Legal Assistant		21	40*	Graduate with Law Degree from recognized University & Registered from State Bar Council.	A committee or an organization nominated by Chairman.
<b>6. COMPUTER SERVICES—</b>					
Data Entry Operator		21	40*	Passed Higher Secondary 10+2 Examination from M.P. Board of Secondary Education & having Diploma in Computer Science.	A committee or an organization nominated by Chairman.

\* **Note-1** The maximum age limit for direct recruiting will be as per order issued vide letter No. C-3-11/12/13/1/3, Bhopal dated 03/11/12 by Govt, of MP, General Administration Department, Mantralaya and revised order issued on dated 20/12/12. In this regards any amendment made by the Government in future shall be applicable to the Board.

**Note-2** As per the para one of point no. 4 of circular issued by Govt, of MP, General Administration Department, Mantralaya issued vide office order no. C-3-8/2013/1/3 Bhopal dated 01 July 2013; the qualification (Manual Typing Certificate) of Stenographer Gr. III, Steno typist and Lower Division Clark will also be applicable up to 31<sup>st</sup> December, 2014.

Following amendments are substituted in Schedule IV:-

**“ SCHEDULE-IV ”**

(See Regulation-6 and 7)

S. No.	Name of the Post from which promotion is to be made	Name of the Post to which promotion is to be made	Experience & Qualification and required Experience	Name of the Member of the Promotion Committee
1	2	3	4	5
<b>ENGINEERING SERVICE—</b>				
1.	Assistant Draftsman (Class-III)	Draftsman (Class-III)	5 year's continuous service as Asst. Draftsman.	1. Member Secretary MPPCB. Chairman.

1	2	3	4	5
				2. Chief Engineer / Chief Scientific Officer-Member. 3. Superintending Engineer (Environment)-Member. 4. Officer in charge of Administration of the Board Convener (With the permission of Chairman a subject specialist can be co-opted as a member).
2.	Tracer (Class-III)	Assistant Draftsman (Class-III)	5 year's continuous service as Tracer.	1. Member Secretary MPPCB. Chairman. 2. Chief Engineer / Chief Scientific Officer-Member. 3. Superintending Engineer (Environment)-Member. 4. Officer in charge of Administration of the Board Convener (With the permission of Chairman a subject specialist can be co-opted as a member).

**SCIENTIFIC SERVICE—**

1.	Chemist (Class-III)	Junior Scientist (Class-III)	Ph.D & 1 year M.Sc & 3 year B.Sc & 6 year's continuous service as Chemist.	1. Member Secretary MPPCB. Chairman. 2. Chief Engineer / Chief Scientific Officer-Member. 3. Superintending Engineer (Environment)-Member. 4. Officer in charge of Administration of the Board Convener (With the permission of Chairman a subject specialist can be co-opted as a member).
2.	Lab Assistant/ Sampler/Agricultural Asstt. (Class-III)	Chemist (Class-III)	M.Sc & 3 year B.Sc & 6 year's continuous service as Lab Assistant/ Sampler/Agricultural Asstt.	1. Member Secretary MPPCB. Chairman. 2. Chief Engineer / Chief Scientific Officer-Member. 3. Superintending Engineer (Environment)-Member. 4. Officer in charge of Administration of the Board Convener (With the permission of Chairman a subject specialist can be co-opted as a member).

1	2	3	4	5
3.	Lab Attendant (Class-IV)	Lab Assistant/ Sampler (Class-III)	Passed Higher Secondary (Science) & 8 year's experience as Lab Attendant.	1. Member Secretary MPPCB. Chairman. 2. Chief Engineer / Chief Scientific Officer-Member. 3. Superintending Engineer (Environment)-Member. 4. Officer in charge of Administration of the Board Convener (With the permission of Chairman a subject specialist can be co-opted as a member).

#### ADMINISTRATION AND ACCOUNTS SERVICES—

1.	Assistant Superintendent/ Accountant Auditor (Class-III)	Superintendent/ Sr. Accountant (Class-III)	5 year's continuous service as Asst. Superintendent/ Accountant Auditor.	1. Member Secretary MPPCB. Chairman. 2. Chief Engineer / Chief Scientific Officer-Member. 3. Superintending Engineer (Environment)-Member. 4. Officer in charge of Administration of the Board Convener (With the permission of Chairman a subject specialist can be co-opted as a member).
2.	Steno Grapher III (Class-III)	Steno Grapher II (Class-III)	5 year's continuous service as Steno Grapher III.	1. Member Secretary MPPCB. Chairman. 2. Chief Engineer / Chief Scientific Officer-Member. 3. Superintending Engineer (Environment)-Member. 4. Officer in charge of Administration of the Board Convener (With the permission of Chairman a subject specialist can be co-opted as a member).
3.	Upper Division Clerk/Accountant Clerk (Class-III)	Asst. Superintendent/ Account Auditor (Class-III)	5 year's continuous service as Upper Division Clerk/ Account Clerk.	1. Member Secretary MPPCB. Chairman. 2. Chief Engineer / Chief Scientific Officer-Member. 3. Superintending Engineer (Environment)-Member. 4. Officer in charge of Administration of the Board Convener (With the permission of Chairman a subject specialist can be co-opted as a member).



1	2	3	4	5
4.	Lower Division Clerk/Typist/Telephone operator (Class-III)	Upper Divivision Clerk/Account Clerk (Class-III)	5 year's continuous service as Lower Division Clerk/Typist/Telephone operator.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Member Secretary MPPCB. Chairman.</li> <li>2. Chief Engineer / Chief Scientific Officer-Member.</li> <li>3. Superintending Engineer (Environment)-Member.</li> <li>4. Officer in charge of Administration of the Board Convener (With the permission of Chairman a subject specialist can be co-opted as a member).</li> </ol>
5.	Steno typist (Class-III)	Steno Grapher III (Class-III)	5 year's continuous service as Steno typist with minimum 100 words per min. shorthand speed.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Member Secretary MPPCB. Chairman.</li> <li>2. Chief Engineer / Chief Scientific Officer-Member.</li> <li>3. Superintending Engineer (Environment)-Member.</li> <li>4. Officer in charge of Administration of the Board Convener (With the permission of Chairman a subject specialist can be co-opted as a member).</li> </ol>
6.	Vehicle driver (Class-III)	Mechanic (Class-III)	15 year's continuous service as Vehicle driver with vehicle mechanic.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Member Secretary MPPCB. Chairman.</li> <li>2. Chief Engineer / Chief Scientific Officer-Member.</li> <li>3. Superintending Engineer (Environment)-Member.</li> <li>4. Officer in charge of Administration of the Board Convener (With the permission of Chairman a subject specialist can be co-opted as a member).</li> </ol>
7.	Telephone attended/ Daftari/Peon/Gate keeper/Lab Attendant (Class-IV)	Lower Division Clerk/Telephone operator (Class-III)	Higher Secondary and 5 year's continuous service as Telephone attended/ Daftari/Peon/Gate keeper/Lab Attendant.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Member Secretary MPPCB. Chairman.</li> <li>2. Chief Engineer / Chief Scientific Officer-Member.</li> <li>3. Superintending Engineer (Environment)-Member.</li> <li>4. Officer in charge of Administration of the Board Convener (With the permission of Chairman a subject specialist can be co-opted as a member).</li> </ol>

1	2	3	4	5
8.	Supervisor Grade II (Class-III)	Supervisor Grade I (Class-III)	8 year's continuous service as Supervisor Grade II.	1. Member Secretary MPPCB. Chairman. 2. Chief Engineer / Chief Scientific Officer-Member. 3. Superintending Engineer (Environment)-Member. 4. Officer in charge of Administration of the Board Convener (With the permission of Chairman a subject specialist can be co-opted as a member).
9.	Daftari/Peon/ Gatekeeper (Class-IV)	Supervisor Grade II (Class-III)	Passed 8 class & 8 year's continuous service as Daftari/ Peon/Gatekeeper.	1. Member Secretary MPPCB. Chairman. 2. Chief Engineer / Chief Scientific Officer-Member. 3. Superintending Engineer (Environment)-Member. 4. Officer in charge of Administration of the Board Convener (With the permission of Chairman a subject specialist can be co-opted as a member).

**COMPUTER SERVICES—**

1.	Data Assistant Grade II (Class-III)	Data Assistant Grade I (Class-III)	5 year's continuous service as Data Assistant Grade II.	1. Member Secretary MPPCB. Chairman. 2. Chief Engineer / Chief Scientific Officer-Member. 3. Superintending Engineer (Environment)-Member. 4. Officer in charge of Administration of the Board Convener (With the permission of Chairman a subject specialist can be co-opted as a member).
2.	Data Entry operator (Class-III)	Data Assistant Grade II (Class-III)	5 year's continuous service as Data Entry operator.	1. Member Secretary MPPCB. Chairman. 2. Chief Engineer / Chief Scientific Officer-Member. 3. Superintending Engineer (Environment)-Member. 4. Officer in charge of Administration of the Board Convener (With the permission of Chairman a subject specialist can be co-opted as a member).

\*The maximum age limit for direct recruiting will be as per order issued vide letter No. C-3-11/12/13/1/3, Bhopal, dated 03/11/12 by Govt, of MP, General Administration Department, Mantralaya and revised order issued on dated 20/12/12. In this regards any amendment made by the Government in future shall be applicable to the Board.

(01-C-B.)

**For & on behalf of M.P. Pollution Control Board**

भोपाल दिनांक 01 अप्रैल, 2015

क्र. 675.—जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (क्रमांक-6/1974) की धारा-12 की उपधारा-3 (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, राज्य शासन के पूर्व अनुमोदन से मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सेवा (चतुर्थ श्रेणी) (भर्ती तथा सेवा शर्त) विनियम, 1996 की कंडिका-5 के प्रावधान अनुसार अनुसूची-I, II, III एवं IV में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है।

अनुसूची-I में निम्न संशोधन किये जाते हैं अर्थात् :—

**“ अनुसूची-I ”**

(नियम-5 देखिए)

क्र.	सेवा में सम्मिलित पदों के नाम	स्वीकृत पद	वर्गीकरण	वेतनमान (रुपये)
1	2	3	4	5
1.	1. प्रयोगशाला परिचारक	75	चतुर्थ श्रेणी	5200-20200+1800 ग्रेड-पे
	2. टेलीफोन अटेन्डेन्ट	01	चतुर्थ श्रेणी	4440-7440+1400 ग्रेड-पे
	3. दफ्तरी	39	चतुर्थ श्रेणी	4440-7440+1400 ग्रेड-पे
	4. चपरासी/चौकीदार/ स्वीपर.	180	चतुर्थ श्रेणी	4440-7440+1300 ग्रेड-पे
		—	चतुर्थ श्रेणी	4440-7440+1300 ग्रेड-पे

अनुसूची-I में निम्न संशोधन किये जाते हैं अर्थात् :—

**“ अनुसूची-II ”**

(नियम-6 देखिए)

क्र.	सेवा में सम्मिलित पदों के नाम	पद संख्या	भरे जाने का प्रतिशत	
			सीधी भरती से	पदोन्नति से
1	2	3	4	5
1.	1. प्रयोगशाला परिचारक	75	100 प्रतिशत	—
	2. टेलीफोन अटेन्डेन्ट	01	100 प्रतिशत	—
	3. दफ्तरी	39	—	100 प्रतिशत
	4. चपरासी/चौकीदार/ स्वीपर.	180	100 प्रतिशत	—
		—	—	—

अनुसूची-I में निम्न संशोधन किये जाते हैं अर्थात् :—

**“ अनुसूची-III ”**

(नियम-8 देखिए)

क्रमांक	पदनाम	निम्नतर आयु सीमा	अधिकतम आयु सीमा	निर्धारित शैक्षणिक योग्यता	चयन समिति
1	2	3	4	5	6
1.	प्रयोगशाला परिचारक	21	40*	मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मण्डल से विज्ञान विषय के साथ हायर सेकेण्ड्री 10+2	1. सदस्य सचिव, म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अध्यक्ष. 2. मुख्य अभियंता/मुख्य वैज्ञानिक अधिकारी, सदस्य. 3. अधीक्षण यंत्री (पर्यावरण) सदस्य. 4. बोर्ड के प्रशासन के प्रभारी अधिकारी, संयोजक.

1	2	3	4	5	6
2.	टेलीफोन अटेंडेन्ट	18	40*	मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मण्डल से हाईस्कूल परीक्षा उत्तीर्ण.	1. सदस्य सचिव, म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अध्यक्ष. 2. मुख्य अभियंता/मुख्य वैज्ञानिक अधिकारी, सदस्य. 3. अधीक्षण यंत्री (पर्यावरण) सदस्य. 4. बोर्ड के प्रशासन के प्रभारी अधिकारी, संयोजक.
3.	चपरासी/चौकीदार	18	40*	कक्षा 8वीं पास	1. सदस्य सचिव, म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अध्यक्ष. 2. मुख्य अभियंता/मुख्य वैज्ञानिक अधिकारी, सदस्य. 3. अधीक्षण यंत्री (पर्यावरण) सदस्य. 4. बोर्ड के प्रशासन के प्रभारी अधिकारी, संयोजक.
4.	स्वीपर	18	40*	—	1. सदस्य सचिव, म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अध्यक्ष. 2. मुख्य अभियंता/मुख्य वैज्ञानिक अधिकारी, सदस्य. 3. अधीक्षण यंत्री (पर्यावरण) सदस्य. 4. बोर्ड के प्रशासन के प्रभारी अधिकारी, संयोजक.

**नोट—** \*आयु सीमा संबंधी प्रावधान मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय के पत्र क्रमांक सी-3-11/12/13/1/3 भोपाल, दिनांक 03-11-12 एवं संशोधित आदेश दिनांक 20-12-12 के अनुसार प्रतिस्थापित की जाती है. उपरोक्त संशोधन के उपरांत मध्यप्रदेश शासन द्वारा आयु सीमा के संबंध में भविष्य में किये जाने वाले संशोधन बोर्ड में स्वतः लागू माने जायेंगे.

अनुसूची-I में निम्न संशोधन किये जाते हैं अर्थात् :-

**“ अनुसूची-IV ”**

(नियम-6 एवं 7 देखिए)

क्र.	पद का नाम जिससे पदोन्नत किया जाना है	पद का नाम जिस पर पदोन्नत किया जाना है	आवश्यक शैक्षणिक योग्यता व अनुभव	पदोन्नति समिति के सदस्य
1	2	3	4	5
1.	चपरासी/चौकीदार (चतुर्थ श्रेणी)	दफ्तरी (चतुर्थ श्रेणी)	चपरासी चौकीदार के पद पर 08 वर्ष की लगातार नियमित सेवा.	1. सदस्य सचिव, म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अध्यक्ष. 2. मुख्य अभियंता, लोक स्वा. यांत्रिकी विभाग, सदस्य. 3. उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन आ. एवं पर्या. विभाग, सदस्य. 4. बोर्ड के प्रशासन के प्रभारी अधिकारी, संयोजक

मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के लिए  
तथा आदेशानुसार.

Bhopal, Dated : 01<sup>st</sup> April, 2015

No. 675.—In exercise of the powers conferred by sub-section 3(A) of section 12 of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (6 of 1974) the Madhya Pradesh Pollution Control Board, with the prior approval of the State Government, hereby amend the Madhya Pradesh Pollution Control Board Service (Class IV) (Recruitment and Conditions of Service) Regulation 1996 in regulation 5 in schedule-I, II, and III as follows:-

Following amendments are substituted in Schedule I:-

**“ SCHEDULE-I ”**

(See Clause 5)

S. No.	Post Included in the service	Sanctioned Post	Classification	Scale of Pay
1	2	3	4	5
1.	Lab Attendant	75	Class IV	PB 5200-20200 GP - 1800
2.	Telephone Attendant	01	Class IV	PB 4440-7440 GP - 1400
3.	Daftari	39	Class IV	PB 4440-7440 GP - 1400
4.	Peon/Gatekeeper	180	Class IV	PB 4440-7440 GP - 1300
5.	Sweeper		Class IV	PB 4440-7440 GP - 1300

Following amendments are substituted in Schedule I:-

**“ SCHEDULE-II ”**

(See Clause 6)

S. NO.	Post Included in the service	Old post	Percentage of No. of Post to be filled in	
			By direct recruitment	By Promotion
1	2	3	4	5
1.	Lab Attendant	75	100 %	—
2.	Telephone Attendant	01	100 %	—
3.	Daftari	39	—	100 %
4.	Peon/Gatekeeper	180	100 %	—
5.	Sweeper		—	100 %

Following amendments are substituted in Schedule III :-

**“ SCHEDULE-III ”**

(See Clause 8)

S.No.	Name of Post	Minimum Age (In Year's)	Upper Age	Educational qualification	Selection Committee
1	2	3	4	5	6
1.	Lab Attendant	21	40*	Passed Higher Secondary 10+2 (Science) from MP Board of Secondary Education, Bhopal.	1. Member Secretary MPPCB. Chairman. 2. Chief Engineer / Chief Scientific Officer-Member. 3. Superintending Engineer (Environment)-Member. 4. Officer in charge of Administration of the Board Convener (With the permission of Chairman a subject specialist can be co-opted as a member).

1	2	3	4	5	6
2.	Telephone Attendant	18	40*	Passed High School from MP Board of Secondary Education, Bhopal.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Member Secretary MPPCB. Chairman.</li> <li>2. Chief Engineer / Chief Scientific Officer-Member.</li> <li>3. Superintending Engineer (Environment)-Member.</li> <li>4. Officer in charge of Administration of the Board Convener (With the permission of Chairman a subject specialist can be co-opted as a member).</li> </ol>
3.	Peon/Gatekeeper	18	40*	Passed 8th.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Member Secretary MPPCB. Chairman.</li> <li>2. Chief Engineer / Chief Scientific Officer-Member.</li> <li>3. Superintending Engineer (Environment)-Member.</li> <li>4. Officer in charge of Administration of the Board Convener (With the permission of Chairman a subject specialist can be co-opted as a member).</li> </ol>
4.	Sweeper	18	40*	—	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Member Secretary MPPCB. Chairman.</li> <li>2. Chief Engineer / Chief Scientific Officer-Member.</li> <li>3. Superintending Engineer (Environment)-Member.</li> <li>4. Officer in charge of Administration of the Board Convener (With the permission of Chairman a subject specialist can be co-opted as a member).</li> </ol>

\* **Note-1** The maximum age limit for direct recruiting will be as per order issued vide letter No. C-3-11/12/13/1/3, Bhopal, dated 03/11/12 by Govt. of MP, General Administration Department, Mantralaya and revised order issued on dated 20/12/12. In this regards any amendment made by the Government in future shall be applicable to the Board.

Following amendments are substituted in Schedule IV:-

**“ SCHEDULE-IV ”**

(See Clause-6 and 7)

S. No.	Name of the Post from which promotion is to be made	Name of the Post to which promotion is to be made	Experience & Qualification and required Experience	Selection Committee
1	2	3	4	5
1.	Peon/Gatekeeper (Class-IV)	Daftari (Class-IV)	5 year's continuous service as Peon/ Gatekeeper.	1. Member Secretary MP Pollution Control Board, Chairman. 2. Chief Engineer/ Chief Scientific Officer Member. 3. Superintending Engineer (Environment)- Member. 4. Officer in charge of Administration of the Board -Convener.

**For & on behalf of**

**M.P. Pollution Control Board.**

(01-E-B.)

भोपाल दिनांक 01 अप्रैल, 2015

क्र. 676.—जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (क्रमांक-6/1974) की धारा-12 की उपधारा-3 (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, राज्य शासन के पूर्व अनुमोदन से मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सेवा (प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी) (भर्ती तथा सेवा शर्त) विनियम, 1996 की कंडिका-5 के प्रावधान अनुसार अनुसूची-I, II एवं IV में निम्नानुसार संशोधन करता है।

अनुसूची-I में निम्नानुसार संशोधन प्रतिस्थापित किये जायें :-

**“ अनुसूची-I ”**

(नियम-5 देखिए)

क्र.	सेवा में सम्मिलित पद	स्वीकृत पद	नवीन पद	वर्गीकरण	वेतनमान (रुपये)
1	2	3	4	5	6
1.	<b>यांत्रिकी सेवायें</b>				
	1. मुख्य अभियन्ता (डायरेक्टर, पर्यावरण).	—	07	प्रथम श्रेणी	37400-67000 ग्रेड-पे 10000

अनुसूची-II में निम्नानुसार संशोधन प्रतिस्थापित किये जायें अर्थात् :-

**“ अनुसूची-II ”**

(नियम-6 देखिए)

क्र.	पदनाम	श्रेणी	पद		भरे जाने का प्रतिशत	
			संख्या		सीधी भरती	पदोन्नति
1	2	3	4		5	6
1.	<b>यांत्रिकी सेवायें</b>					
	1. मुख्य अभियन्ता (डायरेक्टर, पर्यावरण).	प्रथम श्रेणी	07	—	—	100 प्रतिशत

संशोधन उपरांत अनुसूची-IV को निम्नानुसार पढ़ा जाये, अर्थात् :—

**“ अनुसूची-IV ”**

(नियम-6 एवं 7 देखिए)

क्र.	पद का नाम जिससे पदोन्नत किया जाना है	पद का नाम जिस पर पदोन्नत किया जाना है	आवश्यक शैक्षणिक योग्यता व अनुभव	पदोन्नति समिति के सदस्य
1	2	3	4	5
<b>1. यांत्रिकी सेवायें</b>				
1.	अधीक्षण यंत्री (पर्यावरण) (प्रथम श्रेणी)	मुख्य अभियंता (डायरेक्टर, पर्यावरण) (प्रथम श्रेणी)	अधीक्षण यंत्री (पर्यावरण) के पद पर 05 वर्ष की लगातार नियमित सेवा.	1. सदस्य सचिव, म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अथवा अध्यक्ष, म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा नामांकित कोई अधिकारी-अध्यक्ष. 2. मुख्य अभियंता, लोक स्वा. यांत्रिकी विभाग, सदस्य. 3. उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन आ. एवं पर्या. विभाग, सदस्य. 4. बोर्ड के प्रशासन के प्रभारी अधिकारी, संयोजक (अध्यक्ष की अनुमति से विषय विशेषज्ञ भी सदस्य की हैसियत से बुलाये जा सकते हैं.)

(01-F-B.)

मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के लिए  
तथा आदेशानुसार.

Bhopal, Dated : 01 April, 2015

No. 676.—In exercise of the powers conferred by sub-section 3(A) of section 12 of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (6 of 1974) the Madhya Pradesh Pollution Control Board, with the prior approval of the State Government, hereby amend the Madhya Pradesh Pollution Control Board Service (Class I and II) (Recruitment and Conditions of Service) Regulation 1996 in regulation 5 in schedule-I, II, and IV as follows:-

Following amendment shall be substituted in Schedule I:-

**“SCHEDULE-I”**  
(See Clause 5)

S. No.	Post Included in the service	Sanctioned Posts	New Posts	Classification	Scale of Pay
1	2	3	4	5	6
1.	ENGINEERING SERVICES				
1.	Chief Engineer (Director, Environment)	—	07	Class I	PB 37400-67000 GP - 10000

Following shall be substituted in Schedule II:-

**“ SCHEDULE-II ”**  
(See Clause 6)

S. No.	Name of the Service/Post	Class	Total No. of Post	Percentage of No. of Post to be filled in	
				By direct recruitment	By Promotion
1	2	3	4	5	6
1	ENGINEERING SERVICES				
1.	Chief Engineer (Director, Environment)	Class I	07	—	100 %



Following amendments shall be substituted in the end of Schedule IV :-

**“SCHEDULE-IV ”**

(See Regulation-6 and 7)

S. No.	Name of the Post from which promotion is to be made	Name of the Post to which promotion is to be made	Experience & Qualification and required Experience	Name of the Member of the Promotion Committee
1	2	3	4	5
1.	Superintending Engineer. (Environment) (Class-I)	Chief Engineer. (Director) (Environment) (Class-I)	5 years continuous service as Superintending Engineer. (Environment).	1. Member Secretary M.P. Pollution Control Board, Bhopal or any other officer designated by the Chairman M.P. Pollution Control Board—Chairman 2. Chief Engineer, Public Health, Engineering Deptt.-Member. 3. Deputy Secretary Housing & Environment Department- Member. 4. An Officer of Board in charge of Administration-Convener (With the permission of Chairman a subject specialist can be co-opted as a member).

(01-G-B.)

**For & on behalf of  
M.P. Pollution Control Board**

भोपाल दिनांक 01 अप्रैल, 2015

क्र. 678..—जल तथा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम के तहत उद्योगों को दूषित जल या वायु निस्सारण हेतु राज्य बोर्ड की सम्मति प्राप्त करने तथा उसका नवीनीकरण कराने हेतु बोर्ड के आदेश क्रमांक 289 दिनांक 7 जनवरी 1995 द्वारा उद्योगों के लाल, नारंगी एवं हरी श्रेणी में वर्गीकरण किया गया था जिसके स्थान पर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के निर्देश दिनांक 25-6-2012 के अनुसार राज्य बोर्ड की 135 वीं बैठक दिनांक 13-2-2015 में लिये गये निर्णयानुसार निम्नानुसार वर्गीकृत किया जाता है :—

**Madhya Pradesh Pollution Control Board**

**(I) List of Industries/activities/projects under “Red Category”**

R-17

Sr. No.	Industries/activities/projects
1.	Aluminum smelter
2.	Pharmaceuticals (excluding formulation)
3.	Chlor-Alkali
4.	Cement (clinker plant, Cement grinding/blending)
5.	Copper Smelter
6.	Dyes and Dye-Intermediates
7.	Distilleries
8.	Fertilizer (Basic) (Excluding formulation).
9.	Iron and Steel (involving processing from ore /scrap/integrated steel plants and/or Sponge iron units)
10.	Tanneries
11.	Oil Refinery ( Mineral Oil or Petro Refineries)
12.	Pesticides /Insecticides/ Fungicides/ Herbicides/ Agro chemical formulation (Technical) (including formulation)

13. Pulp and Paper (Paper manufacturing with or without pulping)
14. Petrochemicals (Manufacturing and not merely use as raw material)
15. Sugar (excluding Khandsari)
16. Thermal Power Plants
17. Zinc Smelter

**R-54**

Sr. No.	Industries/activities/projects
1.	Anodizing
2.	Asbestos and asbestos based industries
3.	Automobiles Manufacturing (integrated facilities, metal finishing)
4.	Ceramics, Refractories
5.	Basic Chemicals, petrochemical and electrochemical and its derivatives including manufacture of acids.
6.	Chlorates, perchlorates and peroxides
7.	Chlorine, fluorine, bromine, iodine and their compounds
8.	Coke making, liquefaction, coal tar distillation or fuel gas making by fossil fuel
9.	Common treatment and disposal facilities (CETP, CTSDF, E-Waste recycling, CBMWTF, Effluent conveyance project, Solvent/Acid recovery plant, MSW sanitary landfill sites, STP)
10.	Dry Coal processing/ mineral processing, industries involving ore sintering, pelletisation, grinding, pulverization etc.
11.	Explosives, detonators, fuses including management and handling activities,
12.	Fermentation industry including manufacture of yeast, beer and so on
13.	Fire Crackers manufacturing and Bulk storage facilities.
14.	Foundry operations
15.	Glass
16.	Glue and gelatin
17.	Heavy engineering including ship building (With investment on Plant & Machineries more than Rs 10 Crs.)
18.	Hospitals establishment (More than 50 beds)
19.	Hot mix plants
20.	Hydrocyanic acid and its derivative
21.	Incineration plants
22.	Industrial carbon including electrodes and graphite blocks, activated carbon, carbon black
23.	Industrial or inorganic gases namely:- (a) Chemical gases: Acetylene, hydrogen, chlorine, fluorine, ammonia, sulphur dioxide, ethylene, hydrogen sulphide, phosphine. (b) Hydrocarbon gases: Methane, ethane, propane.
24.	Industry or process involving electroplating
25.	Industry or process involving foundry operations
26.	Industry or process involving metal surface treatment or process such as surface coating/ pickling/paint stripping/ paint baking/ heat treatment/ phosphating or finishing/ enameling/ galvanizing
27.	Lead re-processing and manufacturing including Lead smelting
28.	Lime manufacturing (using lime kiln)
29.	Lubricating oils, greases or petroleum based products.
30.	Milk processing and dairy products (integrated project)
31.	Mining and ore beneficiation
32.	Organic chemicals manufacturing
33.	Parboiled rice mills (more than 10 TPD)

34. Paints & Varnishes(excluding blending/ mixing)
35. Petroleum Products manufacturing and oil/cruide oil/residues reprocessing
36. Phosphate rock processing plant
37. Phosphorous and its compounds
38. Photographic films and its chemicals
39. Pigments and intermediates
40. Potable Alcohol (IMFL) by blending or distillation of alcohol
41. Power Generation Plants (excluding DG sets)
42. Processes involving chlorinated hydrocarbons
43. Ship breaking activities
44. Slaughter houses (As per the notification S.O.270(E) dated 26.03.2001) and meat processing industries, bone mill, processing of animal horns, hoofs and other body parts.
45. Steel and steel products including coke plants involving use of any of the equipments such as blast furnaces, open hearth furnace, induction furnace or an arc furnace and so on or any of the operations of processes such as heat treatment acid pickling, rolling or galvanising and so on.
46. Stone crushers
47. Surgical and medical products involving prophylactics and latex
48. Synthetic detergents and soaps (excluding formulation)
49. Synthetic fibres including rayon, tyre cord, polyester filament yarn
50. Synthetic resins
51. Synthetic rubber excluding molding
52. Tobacco products including cigarettes and tobacco processing
53. Vegetable oils including solvent extraction and refinery/ hydrogenated oils
54. Yarn/ textile processing involving any effluent/ emission- generating process , bleaching, dyeing, printing and scouring.

#### R-Others

Sr. No.	Industries/activities/projects
1.	(a) Building & construction projects > 20,000 Sq. mtr. built up area and (b) Land/area development project > 50 hectare built up area or EIA notification.
2.	Airports and commercial Air Strips
3.	CFL, tube light, bulb etc. (using mercury & its compound)
4.	Coal Washeries
5.	Emulsion of oil & water.
6.	Ferrous and Non ferrous metal extraction involving different furnaces through melting, refining reprocessing, Casting and alloy making
7.	Fiber glass production and processing (excluding moulding)
8.	Flakes from rejected PET bottles
9.	Fly ash export, transport and disposal facilities.
10.	Heavy water manufacturing
11.	Hotels (3 Star & above) and/or Hotels having 100 rooms & above
12.	Industrial estates/ parks/ complexes/ areas/ export processing zone/ SEZs/ Biotech parks/ leather complex
13.	Industries engaged in recycling /reprocessing/recovery /reuse of Hazardous Waste under schedule IV of Hazardous Waste (M, H&TBM) Rules, 2008 and its amendments
14.	Isolated storage of hazardous chemicals (as per schedule of Manufacture, Storage & Import of Hazardous Chemicals Rules, 1989 as amended)

15. Lead acid battery manufacturing (excluding assembling & charging of acid lead battery in micro scale [ $<$  Rs. 25 lakhs])
  16. LPG Bottling Plant
  17. Mineral grinding
  18. Mineral stack yards/Railway sidings
  19. New Highway construction projects
  20. Non alcoholic beverage (soft drink) & bottling of alcoholic/non-alcoholic products (capital investment on plant & machinery  $>$  Rs. 1 crore)
  21. Nuclear Power Plants
  22. Oil & Gas extraction including CBM
  23. Oil and gas transportation pipeline
  24. Plyboard manufacturing (including veneer & laminate) having resin manufacturing plant
  25. Ports & Harbours, Jetties and Dredging Operations
  26. Power Generation Plants - DG set of capacity  $>$  5 MW (Except Wind, Solar, Mini Hydel Power plants of capacity  $<$ 25 MW and Biomass based power plant of capacity  $<$ 15 MW)
  27. Processing of nuclear fuel
  28. Producer gas plant using conventional up-drift coal gasification (linked to rolling mills , glass and ceramic industry, refractories for dedicated fuel supply)
  29. Railway Locomotive workshops / Integrated Road transport workshop/ Authorised service centres
  30. Railway station  $>$  10,000 passenger (classification as per Indian railway)
  31. Reprocessing of used oils and waste oils
  32. Rock wool
  33. Starch/Sago
  34. Synthetic leather and related products except isolated moulding
- Note—** Any industry/activity/project which is not covered in above list having coal fired boiler with steam generation capacity more than 5 T/hour will be covered under RED Category.

**(II) List of Industries/activities/projects under Orange category**

Sr. No.	Industries/activities/projects
1.	Almirah, Grill Manufacturing
2.	Aluminium and copper extraction from scrap using oil fired furnace
3.	Ayurvedic , Unani and Homeopathic medicine manufacturing
4.	Bakery & confectionery units with production capacity $>$ 1 TPD
5.	Biaxially oriented PP film along with metalising operation
6.	Brickfields (excluding fly ash brick manufacturing using lime process)
7.	Cashew nut processing
8.	Chilling plant, cold storage and Ice making
9.	Coffee seed processing
10.	Coke briquetting (sun drying)
11.	Cotton spinning and weaving (medium and large scale)
12.	Dairy and dairy products (small scale) (capital investment on plant & machinery $<$ Rs. 1.crore)
13.	Dal Mills/Tilli mill/Arwa Rice mill
14.	Dry cell battery (excluding manufacturing of electrodes) & assembling & charging of acid lead battery in micro scale [ $<$ Rs. 25 lakhs]
15.	Emery powder(fine dust of sand) manufacturing
16.	Fertiliser (granulation and formulation only)
17.	Fish feed, poultry feed and cattle feed
18.	Foam manufacturing
19.	Food & food processing including fruits & vegetable processing
20.	Food additives, nutrients and flavours

21. Footwear
22. Forging of ferrous & non-ferrous metal (using oil or gas fired boilers)
23. Formulation/paletization of camphor tablets, naphthalene balls from camphor/naphthalene powders
24. Fragrances and industrial perfumes.
25. Glass, ceramic, earthen potteries and tile manufacturing using oil or gas fired kiln, Coating on glasses using cerium fluoride, magnesium fluoride etc.
26. Glue from starch (physical mixing)
27. Guar and guar gum
28. Ice cream
29. Khandsari sugar
30. laboratory - wares
31. Laboratory chemicals involving distillation, purification process.
32. Liquid floor cleaner, black phenyl, liquid soap, glycerol monostearate manufacturing.
33. Malted food
34. Manufacture of mirror from sheet glass
35. Manufacturing of iodized salt from crude/raw salt
36. Manufacturing of mosquito repellent coil
37. Manufacturing of Plaster of paris
38. Manufacturing of toothpowder, toothpaste, talcum powder and other cosmetic items
39. Organic nutrients
40. Paint blending & mixing (Ball mill)
41. Pharmaceutical formulation and for R&D purpose(for sustained release/extended release of drugs only and not for commercial purpose)
42. Plyboard manufacturing (including veneer & laminate) with oil fired boiler/ thermic fluid heater (without resin plant)
43. Printing ink manufacturing (formulation only)
44. Printing or etching of glass sheet using hydrofluoric acid
45. Pulverisation of bamboo and scrapwood
46. Reprocessing of waste plastic (excluding PVC)
47. Rolling Mill (oil or gas fired) and cold Rolling mill
48. Surgical and medical products not involving emission generating processes.
49. Synthetic rubber and foam (only moulding )
50. Tamarind powder manufacturing
51. Tea processing
52. Thermocol manufacturing
53. Thermometer making
54. Wire drawing & Wire netting
55. Excavation of sand from the river bed. (Excluding manual excavation)
56. (a) Building & construction projects more than 2,000 Sq. mtr. built up area and  
(b) land/area development project < 50 hectare and >= 01 hectare
57. Infrastructure development project
58. Township and area development project >1 Ha and or dwelling units >\_50
59. Automobile servicing, repairing and painting (excluding only fuel dispensing)
60. Chanachur and ladoo from puffed and beaten rice (muri and chiwra)using husk fired oven
61. Cutting sizing and polishing of granite, kota stone and other stones
62. Cutting, sizing and polishing of marble stones
63. DG Set of capacity (1 to 5 MW)
64. Digital printing on PVC cloth
65. Dismantling of rolling stocks(wagons/coaches )
66. Engineering and fabrication unit (with investment on Plant & Machineries <Rs. 10 Crores)

67. Facility of handling, storage and transportation of food grains in bulk.
68. Flour mills (excluding Domestic Aatta Chakki)
69. Gems and jewellery except tiny unit
70. Gravure printing, digital printing on flex, vinyl
71. Heat treatment using oil fired furnace (excluding cyaniding)
72. Hotels (Less than 3 star); Hotels having > 20 rooms and less than 100 rooms
73. Jute processing without dyeing
74. Mechanized laundry using oil fired boiler
75. Metal handicraft unit having furnaces or chemical treatment facility.
76. Modular wooden furniture from particle board , MDF, swan timber etc, Ceiling tiles/partition board from saw dust, wood chips etc. & other agricultural waste using synthetic adhesive resin, wooden box making
77. Packing materials manufacturing from non asbestos fibre, vegetable fibre yarn
78. Power press
79. Pulverizing units
80. Repairing of electric motor & generator
81. Restaurant/Banquet Hall > 36 seats or 100 Sqm area
82. Rice mill less than 10 TPD & rice hullers
83. Saw mill
84. Seasoning of wood in steam heated chamber.
85. Silk screen printing, Saree printing by wooden blocks
86. Spice grinding (> 20 HP motor)
87. Spray painting, paint baking, paint stripping (Job work)
88. Stone carving unit using power more than 10 hp
89. Transformer repairing/manufacturing
90. Tyres and tubes vulcanization/hot retreading
91. Water treatment plant (> 1 MLD)
92. Wet mix macadam
93. Yarn and textile manufacturing/processing not involving scouring, bleaching, dyeing, printing or any effluent/emission generating process including spinning /weaving unit.

**Industries/activities/projects under 'Green category'**

Sr. No.	List of Industries/activities/projects
1.	Aluminium utensils from aluminium circles.
2.	Assembly of air coolers/conditioners, repairing & servicing.
3.	Assembly of bicycles, baby carriage and other small non-motorised vehicles
4.	Ayurvedic, Unani and Homeopathic medicine Manufacturing (without boiler)
5.	Bakery /confectionary/ Sweets production ( with production capacity <ltpd with oil, gas or electrical oven)
6.	Bio fertilizer & bio-pesticide without using inorganic chemical.
7.	Biomass Briquettes (sun drying)without using toxic or hazardous wastes
8.	Biscuit/egg trays etc. from rolled PVC/paper board sheet (using automatic vacuum forming machine)
9.	Blending of melamine resins & different powder, additives by physical mixing
10.	Brass & Bell metal utensils manufacturing from circle (without re-Rolling facility)
11.	Candy
12.	Cardboard or corrugated box and paper products (excluding paper or pulp manufacturing and without using boiler)
13.	Cement products (without using Asbestos) like pipe, pillar, jafri, well ring, blocks/tiles etc. (> 1 TPD)
14.	Ceramic colour manufacturing (not using boiler and wastewater recycling process)
15.	Chalk making from plaster of paris.

16. Chilling plant and Ice making without use of ammonia
17. Coated electrode manufacturing
18. Compact disc, computer floppy & cassette manufacturing
19. Compressed oxygen gas from crude liquid oxygen
20. CO<sub>2</sub> recovery
21. Cotton and woolen hosiery making (SSI & Cottage industries)
22. Cotton spinning & weaving (small scale)
23. Decoration of ceramic cups & plates by electric furnace
24. Distilled water (> 1 KLD)
25. Electric lamp (bulb) manufacturing (without using mercury)
26. Electrical & electronic items assembling
27. Flavoured beetle nut production/grinding.
28. Flour mills (dry process)
29. Fly ash bricks/blocks manufacturing
30. Fountain pen manufacturing
31. Glass ampules & vials making from glass tubes.
32. Glass putty and sealant
33. Glass, ceramic, earthen potteries and tile manufacturing using electrical kiln or not involving fossil fuel kilns
34. Groundnut decorticating (dry)
35. Handloom/ Carpet weaving (without dyeing and bleaching operation)
36. Insulation and other coated papers (excluding paper or pulp manufacturing) manufacturing
37. Leather cutting and stitching (more than 10 machines and using motor)
38. Leather footwear and leather products (excluding tanning and hide processing) except cottage scale
39. Lubricating oils, greases or petroleum based products (only blending at normal temperature)
40. Manufacturing of coir items from coconut husk
41. Manufacturing of metal caps, containers etc. by metal pressing only.
42. Manufacturing of optical lenses (using electrical furnace)
43. Manufacturing of pasted veneers without using boiler or Thermic Fluid Heater or by sun-drying
44. Manufacturing of shoe brush & wire brush
45. Manufacturing of silica gel (without furnace)
46. Medical oxygen
47. Mineralized/package drinking water
48. Oil mill ghani & extraction (no hydrogenation/refining)
49. Organic and inorganic nutrients (by physical mixing)
50. Organic manure (manual mixing).
51. Paints and varnishes (mixing and blending) (without ball mill)
52. Paper pins and U-clips
53. Phenyl/ Toilet cleaner formulation & Bottling
54. Reel manufacturing
55. Polythene & plastic processed products manufacturing (virgin plastics)
56. Puffed rice (muri) (using oil, gas or electrical heating system)
57. Ready mix cement concrete
58. Reprocessing of waste cotton
59. Rope (Cotton & Plastic)
60. Rubber goods industry (with baby boiler only)
61. Scientific and mathematical instruments manufacturing
62. Soap manufacturing (Handmade without steam boiling)
63. Solar module (Non conventional energy apparatus) manufacturing unit
64. Steeping and processing of grains

65. Surgical and medical products not involving effluent/emission generating processes
66. Synthetic detergent formulation
67. Teflon based products
68. Shoe lace manufacturing, apparel making
69. Bamboo & Cane product (only dry operations, candles)
70. Manufacture of steel trunks and suit case
71. Sports goods
72. Optical frames
73. Musical instrument manufacturing
74. Plastic processed goods
75. Polythene, plastic and PVC goods through extrusion moulding
76. Radio assembling
77. Steeping and processing of grains
78. Toys
79. Candles
80. Assembling of Acid Lead Battery ( up to 10 batteries /day. excluding lead plate casting)
81. Automobile fuel outlet (only dispensing)
82. Bailing (hydraulic Press) waste papers, plastic waste etc. (> 10 TPD)
83. Blending and packaging of Tea
84. Block making for printing without foundry (excluding wooden block making)
85. Carpentry and wooden furniture manufacturing(excluding saw mill) with the help of electrical (motorized) machines such as electric wood planner, steel saw cutting circular blade etc.
86. Diesel Generator sets (15 KVA to 1 MVA)
87. Diesel pump repairing & servicing
88. Gold and Silver smithy (purification with acid, smelting operation and sulfuric acid polishing operation) (using > 1 liter of Sulphuric Acid / Nitric Acid per day)
89. Hotels (upto 20 rooms)
90. Jobbing and machining
91. Packing of powdered milk
92. Poultry, hatchery, Piggery
93. Power looms (without dyeing and bleaching)
94. Printing press
95. Solar power generation through solar photovoltaic cell, wind power, mini hydel power (< 25 MW) and biomass based power plant < 15 MW.
96. pice grinding (< 20 HP motor)
97. Steel furniture without spray painting
98. Tyres and tubes retreading (without boiler)
99. Garments stitching/Garment making/Tailoring
100. Gold and silver thread zari work
101. Aerial ropeway
102. Washing of used sand by hydraulic discharge

**Note :** The industries which do not fall in any of the above mentioned 3 categories, decision with regard to their classification will be taken by a committee at Head Office level comprising of the Member Secretary and two senior officer of the Board/committee.

**For & on behalf of**  
**M.P. Pollution Control Board**  
**A. A. Mishra**  
 Member Secretary.



### नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि हमारे पक्षकार श्री मांगीलाल उर्फ मनोज पिता श्री रामगोपाल गुप्ता एवं माता श्रीमती कलाबाई गुप्ता, स्थाई पता-1091, हॉस्पिटल रोड, सुवासरा, तहसील सुवासरा, जिला मंदसौर (म.प्र.) द्वारा अपने समस्त उद्देश्यों के लिये अपना नाम मांगीलाल से मनोज परिवर्तित कर लिया है जिस कारण आज दिनांक के पश्चात् सभी उद्देश्यों के लिये हमारे पक्षकार 'मांगीलाल गुप्ता' के स्थान पर मनोज गुप्ता के नाम से जाने जायेंगे. सो सूचित हों.

(04-बी.)

जी. एल. पालीबाल,

(एडवोकेट)

201, बी-द्वितीय मंजिल, 'सुख सागर',

514, एम. जी. रोड, इन्दौर.

### उप-नाम परिवर्तन

मैं, राजेन्द्र कुमार कारयानी, आयु 45 साल, वार्ड नं. 44, टिकुरिया टोला, जिला सतना, मध्यप्रदेश का निवासी हूँ. यह कि दिनांक 01.11.2008 के पहले मेरा नाम राजेन्द्र कुमार लालवानी पिता घनश्यामदास लालवानी था. परन्तु दिनांक 01 नवम्बर, 2008 से मेरा नाम राजेन्द्र कुमार कारयानी हो गया है तथा वर्तमान में मेरा यही नाम यानी राजेन्द्र कुमार कारयानी माना जाये, पढ़ा जाये, सुना जाये तथा समझा जाये.

पुराना नाम :

( राजेन्द्र कुमार लालवानी )

(05-बी.)

नया नाम :

( राजेन्द्र कुमार कारयानी )

पता-वार्ड नं. 44, टिकुरिया टोला,

जिला सतना (म.प्र.).

### नाम परिवर्तन

मैं, अनिता मालवीय पुत्री स्व. श्री शंकर लाल मालवीय, आयु लगभग 45 साल, निवासी 92/38 जी, तुलसी नगर, भोपाल मध्यप्रदेश की हूँ, मेरे द्वारा दिनांक 18.03.2005 को धर्म स्वतंत्रता अधिनियम के अंतर्गत अपना नाम परिवर्तन कर अनिता मालवीय से आमना रईस रख लिया है. अब मुझे इसी नाम से ही जाना, पहचाना जावेगा. अतः सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे साथ अनिता मालवीय के स्थान पर आमना रईस नाम से ही समस्त समव्यवहार, सम्पर्क किया जाए.

पुराना नाम :

( अनिता मालवीय )

(06-बी.)

नया नाम :

( आमना रईस )

निवासी-92/38 जी, तुलसी नगर, भोपाल (म.प्र.).

### आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मैसर्स महालक्ष्मी आरा मशीन एण्ड फर्नीचर मार्ट, गुना, वार्ड नं. 15, शॉप नं. 56, बजरंगढ़ रोड, गुना (म.प्र.) में दिनांक 19 मार्च, 2012 को भागीदार श्री मोहन लाल मंगल पुत्र श्री सुगनचन्द जी मंगल, निवासी लक्ष्मीगंज, गुना का स्वर्गवास हो जाने से वह फर्म से पृथक् हो गये एवं दिनांक 01 अप्रैल, 2012 से उनकी धर्मपत्नि श्रीमती राधादेवी मंगल पत्नि श्री मोहनलाल मंगल, निवासी लक्ष्मीगंज, गुना फर्म में सम्मिलित हो गई हैं. सर्वजन एवं आमजन सूचित हों.

फर्म—महालक्ष्मी आरा मशीन एण्ड फर्नीचर मार्ट, गुना,

संजीव कुमार मंगल,

पता-वार्ड नं. 15, शॉप नं. 56, बजरंगढ़ रोड, गुना.

द्वारा—हेमंत सिरसट

(कर सलाहकार)

(03-बी.)

सोगानी एण्ड कम्पनी, नया बाजार, लशकर, ग्वालियर.

### जाहिर सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी फर्म मैसर्स दीप कन्स्ट्रक्शन कम्पनी, 8, सपना मेन्सन, गोविन्दपुरी, ग्वालियर म.प्र. ने 04.03.2015 को अपनी साझेदारी फर्म में संशोधन कर श्रीमति कुसुम शर्मा पत्नि श्री प्रदीप कुमार शर्मा, आयु 44 वर्ष, निवासी 8, सपना मेन्सन गोविन्दपुरी, ग्वालियर व श्री जगदीश प्रसाद शर्मा पुत्र श्री भोगीराम शर्मा, आयु 55 वर्ष, निवासी भिण्ड फर्म से स्वेच्छा से पृथक् हो गये हैं तथा उनके स्थान पर श्री संदीप शर्मा पुत्र श्री प्रदीप कुमार शर्मा, आयु 27 वर्ष, निवासी 8, सपना मेन्सन गोविन्दपुरी ग्वालियर जो कि नवीन पक्षकारों के रूप में

शामिल हुए हैं. फर्म से पृथक् हुए पक्षकार भविष्य में फर्म से संबंधित किसी भी प्रकार के लेन-देन या अन्य कार्यों में इनका कोई लेना देना शेष नहीं रहा है तथा भविष्य में फर्म से संबंधित किसी भी प्रकार के लेन-देन या अन्य कार्यों में अपने शेयर के मुताबिक शेष साझेदार जिम्मेदार होंगे और वे फर्म के चालू रहने वाले अन्य साझेदार को स्वीकार है.

M/s Deep Construction Company,  
ANIL KUMAR SHARMA,  
(Partner).

(07-बी.)

## विविध

### न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट, वृत्त हिरदारामनगर ( बैरागढ़ ), जिला भोपाल

भोपाल, दिनांक 26 मार्च, 2015

[ मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1951 की धारा-5 (1) के अन्तर्गत ]

समक्ष रजिस्ट्रार पब्लिक ट्रस्ट, जिला भोपाल.

क्र.11/बी-113/बैरा. वृत्त/15.—जैसाकि श्री रमेश कुमार आसूदानी, अध्यक्ष स्व. श्रीमती ईश्वरी देवी मंघूमल आसूदानी चैरिटेबल, ट्रस्ट, द्वारा संचालित माँ ईश्वरी-सुशीला भवन, सीहोर नाका, शिखर होटल के पीछे संत हिरदारामनगर भोपाल, जिला भोपाल द्वारा मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1951 की धारा-4 के अन्तर्गत आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है.

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त आवेदन मेरे न्यायालय में मेरे द्वारा दिनांक 16 अप्रैल, 2015 को विचार में लिया जावेगा. यदि कोई व्यक्ति या संस्था जो ट्रस्ट में या सम्पत्ति में हित रखता हो और आपत्ति या सुझाव देना चाहता हो तो लिखित में दो प्रतियों में सूचना के प्रकाशन के एक माह में मेरे समक्ष उपस्थित होकर अपनी लिखित आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है. उपर्युक्त अवधि समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

### अनुसूची

ट्रस्ट का नाम व पता	..	स्व. श्रीमती ईश्वरी देवी मंघूमल आसूदानी चैरिटेबल, ट्रस्ट, द्वारा संचालित माँ ईश्वरी-सुशीला भवन, सीहोर नाका, शिखर होटल के पीछे संत हिरदारामनगर भोपाल, जिला भोपाल.
अचल सम्पत्ति	..	सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया बैरागढ़, भोपाल, खाता नं.-3445643343, जमा राशि रुपये 2100.00.

सी. पी. निगम,

अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार.

(219)

## अन्य सूचनाएं

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय

( आदेश )

भोपाल, दिनांक 08 जनवरी, 2015

क्र. ई-1/317/2014/5/एक.—सुश्री स्वाती मीणा, भाप्रसे (2007) द्वारा प्रस्तुत आवेदन के संबंध में भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली के ओ. एम. क्रमांक 19016/1/87-Estt. (A), दिनांक 12 मार्च, 1987 में निहित प्रावधानानुसार "सुश्री स्वाती मीणा" का नाम परिवर्तन कर अब "श्रीमती स्वाती मीणा नायक" (Smt. Swati Meena Naik) करने की अनुमति प्रदान की जाती है. तदनुसार सभी कार्यालयीन प्रजोजनों के लिये अब उन्हें श्रीमती स्वाती मीणा नायक (Smt. Swati Meena Naik) नाम से जाना जाएगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,


अश्विनी कुमार राय,  
प्रमुख सचिव 'कार्मिक'  
मध्यप्रदेश शासन  
सामान्य प्रशासन विभाग.

(209)

**कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, दक्षिण ( सा. ), वनमण्डल, बालाघाट**

बालाघाट, दिनांक 19 मार्च, 2015

आ.क्र./मा.चि./स्था.आं./112.—सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि निम्नानुसार आकृति का हेमर कुण्डा बीट के परिक्षेत्र हट्टा (सा.) को इस कार्यालय के चालान क्रमांक 14, दिनांक 27 सितम्बर, 1979 के द्वारा प्रदाय किया गया था. परिक्षेत्र अधिकारी हट्टा (सा.) परिक्षेत्र ने अपने कार्यालयीन पत्र क्रमांक 459, दिनांक 10 नवम्बर, 2011 के द्वारा इस कार्यालय को सूचित किया है, कि श्री परमानन्द उईके, वनरक्षक बीट गार्ड कुण्डा के द्वारा बीट भ्रमण के दौरान बीट हेमर दिनांक 18 सितम्बर, 2011 को गुम हो चुका है, खोज की गई किन्तु नहीं मिला. गुमशुदा हेमर की रिपोर्ट पुलिस थाना हट्टा में की गई. उक्त हेमर की खोज के समस्त प्रयास असफल रहे. अतः वन वित्तिय नियम-124 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये उक्त गुमशुदा हेमर को हेमर रजिस्टर से अपलेखित किया जाता है.



उक्त बीट हेमर की कीमत की राशि रुपये 21.00 (रुपये इक्कीस मात्र) श्री परमानन्द उईके, वनरक्षक, बीट गार्ड कुण्डा वर्तमान बीट गार्ड वंजीपार, परिक्षेत्र हट्टा (सा.) से वसूल करने के लिये आदेश दिया जाता है तथा शासकीय कार्य में उदासीनता तथा लापरवाही बरतने के कारण भविष्य के लिये चरित्रावली चेतावनी दी जाती है.

निम्न दर्शित हेमर यदि किसी व्यक्ति को मिले तो उक्त हेमर को निकटतम पुलिस थाना अथवा वन विभाग के कार्यालय में तत्काल ही जमा करें. यदि कोई व्यक्ति उक्त हेमर को अवैधानिक रूप से अपने पास रखते हुये प्रयोग करते हुये पाया जावेगा, तो उस पर भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा-63 बी के अनुसार अभियोजन चलाया जावेगा तथा वह दण्ड का भागीदार होगा. गुमशुदा हेमर की आकृति दर्शित है.

**अशोक कुमार,**  
वनमण्डलाधिकारी.

(218)

**कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन**

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

कार्यालयीन आदेश क्र.866, दिनांक 09 अप्रैल, 2014 द्वारा तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बघेरा, जिसका पंजीयन क्रमांक 582, दिनांक 14 जून, 1982 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री आर. एस. सोलंकी, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की लेनदारी एवं देनदारी सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 16 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(210)

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

कार्यालयीन आदेश क्रमांक 866, दिनांक 09 अप्रैल, 2014 द्वारा तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., काठबड़ोदा, जिसका पंजीयन क्रमांक 597, दिनांक 23 जनवरी, 1982 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री आर. एस. सोलंकी, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की लेनदारी एवं देनदारी सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना

क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 16 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

मनोज जायसवाल,  
उप-पंजीयक.

(210-A)

### कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला रायसेन

चन्द्रशेखर आजाद मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्या., कायमपुर, तहसील रायसेन, जिला रायसेन, पंजीयन क्रमांक 385, दिनांक 29 फरवरी, 1988 को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/13/1344, रायसेन, दिनांक 12 सितम्बर, 2013 के द्वारा परिसमापन में लाया गया था.

संस्था के सदस्यों द्वारा संस्था को पुनर्जीवित करने हेतु संस्था के परिसमापक को आवेदन प्रस्तुत करने के फलस्वरूप परिसमापक द्वारा नियमानुसार विशेष आमसभा आयोजित की गई. आमसभा के द्वारा संस्था को पुनर्जीवित करने का प्रस्ताव सर्व सम्मति से पारित कर संस्था के परिसमापक की अनुशंसा सहित प्रस्ताव इस कार्यालय को प्राप्त हुआ है. परिसमापक के प्रतिवेदन संलग्न दस्तावेजों का परीक्षण कार्यालय के वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक श्री एस. के. श्रीवास्तव से कराया गया, जिसमें संस्था पुनर्जीवित करने योग्य पाया गया है.

अतः पारित प्रस्ताव/ठहराव एवं परिसमापक की अनुशंसा पर विचार करते हुए कार्यालयीन परीक्षणोपरान्त सदस्यों की रुचि एवं उनके आर्थिक विकास को ध्यान में रखते हुये मैं, विनोद कुमार सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, रायसेन मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (4) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग भोपाल के आदेश क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये चन्द्रशेखर आजाद मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्या., कायमपुर, तहसील रायसेन, जिला रायसेन पंजीयन क्रमांक 385, दिनांक 29 फरवरी, 1988 को निम्नांकित शर्तों के अधीन पुनर्जीवित करता हूँ.

1. संस्था अविलंब उपविधि के अनुसार कार्य प्रारम्भ करेगी.
2. संस्था के द्वारा की गई प्रगति से कार्यालय को समय-समय पर अवगत कराया जाएगा.
3. संस्था सहकारी विधान अन्तर्गत अपना रिकार्ड संधारण कर अंकेक्षण करायेगी.

संस्था के कार्य संचालन हेतु निम्नानुसार तदर्थ प्रबन्धकारिणी समिति तीन माह के लिये नामांकित करता हूँ.

- |                       |           |
|-----------------------|-----------|
| 1. श्री हीरालाल       | अध्यक्ष   |
| 2. श्रीमती प्रेमबाई   | उपाध्यक्ष |
| 3. श्री निरपत सिंह    | संचालक    |
| 4. श्री रतिराम        | संचालक    |
| 5. श्री हनमत सिंह     | संचालक    |
| 6. श्री रमेश सहरिया   | संचालक    |
| 7. श्री अमरसिंह       | संचालक    |
| 8. श्रीमति सुशीला बाई | संचालक    |
| 9. श्री दिनेश सहरिया  | संचालक    |
| 10. श्री आजाद सिंह    | संचालक    |
| 11. श्री मालमसिंह     | संचालक    |

यह आदेश आज दिनांक 07 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

विनोद कुमार सिंह,  
उप-पंजीयक..

(211)

### कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शिवपुरी

शिवपुरी, दिनांक 13 मार्च, 2015

कारण बताओ सूचना-पत्र

[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत ]

क्र./परि./2015/723.— नाम संस्था-शुभांकर गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., शिवपुरी, पंजीयन क्रमांक 482, दिनांक 11 सितम्बर, 2003 जयें कारण बताओ सूचना-पत्र आपको सूचित किया जाता है कि मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-58(1)(क) के प्रावधान

अनुसार आपको रजिस्ट्रार द्वारा अनुमोदित संपरीक्षक पैनल/विभागीय अंकेक्षण से संस्था का अंकेक्षण कराना था और इस बावत् संस्था के संचालक मण्डल की बैठक में निर्णय पारित कर उसका अनुमोदन वार्षिक आमसभा में किया जाकर अंकेक्षण प्रस्ताव कार्यालय सहायक आयुक्त अंकेक्षण सहकारिता, जिला शिवपुरी को भिजवाना था. इस हेतु कार्यालय के सहकारी निरीक्षक श्री व्ही. डी. अग्रवाल द्वारा आपको दिनांक 05 नवम्बर, 2014 को पत्र देकर सूचित किया गया था तथा कई बार समक्ष में एवं मोबाइल पर भी सम्पर्क कर अंकेक्षण प्रस्ताव देने हेतु कहा गया किन्तु आपके द्वारा आज दिनांक तक वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 के अंकेक्षण प्रस्ताव कार्यालय सहायक आयुक्त अंकेक्षण सहकारिता, जिला शिवपुरी को नहीं भेजे गये हैं. इससे स्पष्ट है कि आपकी संस्था ने इस अधिनियम, नियमों तथा उपविधियों के अधीन शर्तों का जो रजिस्ट्रीकरण अथवा प्रबंध से सम्बंधित हैं, का अनुपालन बंद कर दिया है.

उपरोक्त गम्भीर अनियमितताओं के रहते संस्था का अस्तित्व में रहना नियम विरुद्ध हैं अतः मैं, एस. के. सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, शिवपुरी मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-01-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से पदत शक्तियों का प्रयोग करते हुये शुभांकर गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., शिवपुरी, पंजीयन क्रमांक 482, दिनांक 11 सितम्बर, 2003 के समस्त सदस्यों को मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम की धारा-69 (2) के अन्तर्गत संस्था को परिसमापन में लाने हेतु सूचना-पत्र जारी करता हूँ एवं समस्त सदस्य-मार्फत संचालक मण्डल द्वारा यह अपेक्षा करता हूँ कारण बताओ सूचना-पत्र का जबाव 15 दिवस के भीतर कार्यालय में उपस्थित होकर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें, अन्यथा की दशा में यह माना जाकर कि आपको अपना पक्ष समर्थन नहीं करना है एकतरफा वैधानिक कार्यवाही की जावेगी जिसके लिये आपका स्वयं का उत्तरदायित्व होगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 13 मार्च, 2015 को मेरे पदनाम एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

एस. के. सिंह,  
उप-पंजीयक.

(212)

### कार्यालय परिसमापक कृष्णा महिला साख सहकारी संस्था मर्या., खरगोन

दिनांक 10 नवम्बर, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 की धारा-57 (ग) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2015/Q-1.—कृष्णा महिला साख सहकारी संस्था मर्या., खरगोन, जिला खरगोन, जिसका पंजीयन क्रमांक 1418, दिनांक 20 अप्रैल, 2005 है, को कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, खरगोन के आदेश क्रमांक 1317, दिनांक 29 अक्टूबर, 2014 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में किया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अतः मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1962 के नियम क्रमांक-57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से दो माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो, तो मुझे लिखितरूप में प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वांछित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा क्लेम मान्य नहीं किया जावेगा. संस्था का लेखापुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

सूचना आज दिनांक 10 नवम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

भारती मंडलोई,  
वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक एवं परिसमापक.

(213)

### कार्यालय परिसमापक श्री बालाजी महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., खरगोन

दिनांक 10 नवम्बर, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 की धारा-57 (ग) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2015/Q-1.—श्री बालाजी महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., खरगोन, जिला खरगोन, जिसका पंजीयन क्रमांक 1327, दिनांक 15 जनवरी, 2002 है, को कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, खरगोन के आदेश क्रमांक 1317, दिनांक 29 अक्टूबर, 2014 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में किया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अतः मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1962 के नियम क्रमांक-57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से दो माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो, तो मुझे लिखितरूप में प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वांछित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि दो माह की

अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा क्लेम मान्य नहीं किया जावेगा. संस्था का लेखापुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

सूचना आज दिनांक 10 नवम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

प्रभा बघेल,

(214)

सहकारी निरीक्षक एवं परिसमापक.

### कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद

होशंगाबाद, दिनांक 07 मार्च, 2015

[ मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत ]

क्र./परि./2015/337.—दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, धनासरी, पंजीयन क्रमांक 2452, दिनांक 08 जनवरी, 2002 को कार्यालय के पत्र क्रमांक/परिसमापन/2014/1286, दिनांक 07 अगस्त, 2014 द्वारा निम्नलिखित कारणों से परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था.—

1. संस्था ने अधिनियम, नियम तथा उपविधियों का पालन करना बंद कर दिया है.
2. संस्था द्वारा वर्षवार नियमित अंकेक्षण नहीं कराया गया है.
3. संस्था द्वारा पंजीकृत उपविधि में वर्णित उद्देश्य अनुसार कार्य नहीं किया गया है.
4. संस्था निर्वाचन कराने में असफल रही है.
5. संस्था द्वारा वार्षिक आमसभा का आयोजन नहीं किया गया है.
6. संस्था द्वारा विधिवत् रिकॉर्ड संधारित नहीं किया गया है.
7. संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है.
8. संस्था द्वारा निर्धारित समयावधि में वित्तीय पत्रक प्रस्तुत नहीं किये गये हैं.
9. प्रबंधकारिणी समिति एवं संस्था के सदस्यों का कार्य संचालन एवं प्रगति में कोई रुचि नहीं है.

इस कारण बताओ सूचना-पत्र से निर्देशित किया गया था कि सूचना-पत्र प्राप्त होने के 15 दिवस के अन्दर वर्णित आरोपों के सम्बन्ध में लिखित स्पष्टीकरण इस कार्यालय में प्रस्तुत करें अन्यथा समिति को परिसमापन में लाया जावेगा.

जारी कारण बताओ सूचना-पत्र का निर्धारित समयावधि में समिति द्वारा कोई भी लिखित प्रति उत्तर कार्यालय को प्रस्तुत नहीं किया गया.

पूर्व में सहायक पंजीयक, अंकेक्षण, होशंगाबाद द्वारा पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2014/105, होशंगाबाद, दिनांक 01 मार्च, 2014 के द्वारा 136 सहकारी समितियों को परिसमापन में लाने की अनुशंसा की थी. पुनः सहायक आयुक्त सहकारिता (अंकेक्षण) होशंगाबाद के कार्यालयीन पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2014/261, होशंगाबाद, दिनांक 01 अगस्त, 2014 से 179 समितियों द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम एवं संस्था उपविधियों में वर्णित प्रावधानों का पालन नहीं करने के कारण परिसमापन में लाने की अनुशंसा की गई है.

उपरोक्त कारणों से मेरा यह समाधान हो गया है कि समिति अकार्यशील है एवं आगे कोई कार्य करने हेतु इच्छुक नहीं है तथा समिति को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक है.

अतः मैं, काडमू पाटनकर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/ एफ-5-2-2010-15-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा पंजीयक की मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त वर्णित कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, धनासरी को परिसमापन में लाता हूँ एवं समिति की आस्तियों एवं देयताओं के निराकरण हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री एस. एस. पगारे, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 05 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(207-X)

होशंगाबाद, दिनांक 07 मार्च, 2015

[ मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत ]

क्र./परि./2015/337.—जय दुर्गे सहकारी समिति मर्यादित, मनवाड़ा, पंजीयन क्रमांक 3027, दिनांक 28 फरवरी, 2009 को कार्यालय के

पत्र क्रमांक/परिसमापन/2014/1286, दिनांक 07 अगस्त, 2014 द्वारा निम्नलिखित कारणों से परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था.—

1. संस्था ने अधिनियम, नियम तथा उपविधियों का पालन करना बंद कर दिया है.
2. संस्था द्वारा वर्षवार नियमित अंकेक्षण नहीं कराया गया है.
3. संस्था द्वारा पंजीकृत उपविधि में वर्णित उद्देश्य अनुसार कार्य नहीं किया गया है.
4. संस्था निर्वाचन कराने में असफल रही है.
5. संस्था द्वारा वार्षिक आमसभा का आयोजन नहीं किया गया है.
6. संस्था द्वारा विधिवत् रिकॉर्ड संधारित नहीं किया गया है.
7. संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है.
8. संस्था द्वारा निर्धारित समयावधि में वित्तीय पत्रक प्रस्तुत नहीं किये गये हैं.
9. प्रबंधकारिणी समिति एवं संस्था के सदस्यों का कार्य संचालन एवं प्रगति में कोई रुचि नहीं है.

इस कारण बताओ सूचना-पत्र से निर्देशित किया गया था कि सूचना-पत्र प्राप्त होने के 15 दिवस के अन्दर वर्णित आरोपों के सम्बन्ध में लिखित स्पष्टीकरण इस कार्यालय में प्रस्तुत करें अन्यथा समिति को परिसमापन में लाया जावेगा.

जारी कारण बताओ सूचना-पत्र का निर्धारित समयावधि में समिति द्वारा कोई भी लिखित प्रति उत्तर कार्यालय को प्रस्तुत नहीं किया गया.

पूर्व में सहायक पंजीयक, अंकेक्षण, होशंगाबाद द्वारा पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2014/105, होशंगाबाद, दिनांक 01 मार्च, 2014 के द्वारा 136 सहकारी समितियों को परिसमापन में लाने की अनुशंसा की थी. पुनः सहायक आयुक्त सहकारिता (अंकेक्षण) होशंगाबाद के कार्यालयीन पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2014/261, होशंगाबाद, दिनांक 01 अगस्त, 2014 से 179 समितियों द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम एवं संस्था उपविधियों में वर्णित प्रावधानों का पालन नहीं करने के कारण परिसमापन में लाने की अनुशंसा की गई है.

उपरोक्त कारणों से मेरा यह समाधान हो गया है कि समिति अकार्यशील है एवं आगे कोई कार्य करने हेतु इच्छुक नहीं है तथा समिति को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक है.

अतः मैं, काडमू पाटनकर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/ एफ-5-2-2010-15-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा पंजीयक की मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त वर्णित कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत जय दुर्गे सहकारी समिति मर्यादित, मनवाड़ा को परिसमापन में लाता हूँ एवं समिति की आस्तियों एवं देयताओं के निराकरण हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत एम. के. महतो, उप-अंकेक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 05 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(207-Z)

होशंगाबाद, दिनांक 07 मार्च, 2015

[ मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत ]

क्र./परि./2015/337.—महावीर महिला सहकारी समिति मर्यादित, नवलगांव, पंजीयन क्रमांक 42, दिनांक 24 सितम्बर, 2013 को कार्यालय के पत्र क्रमांक/परिसमापन/2014/1286, दिनांक 07 अगस्त, 2014 द्वारा निम्नलिखित कारणों से परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था.—

1. संस्था ने अधिनियम, नियम तथा उपविधियों का पालन करना बंद कर दिया है.
2. संस्था द्वारा वर्षवार नियमित अंकेक्षण नहीं कराया गया है.
3. संस्था द्वारा पंजीकृत उपविधि में वर्णित उद्देश्य अनुसार कार्य नहीं किया गया है.
4. संस्था निर्वाचन कराने में असफल रही है.
5. संस्था द्वारा वार्षिक आमसभा का आयोजन नहीं किया गया है.
6. संस्था द्वारा विधिवत् रिकॉर्ड संधारित नहीं किया गया है.
7. संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है.

8. संस्था द्वारा निर्धारित समयावधि में वित्तीय पत्रक प्रस्तुत नहीं किये गये हैं.
9. प्रबंधकारिणी समिति एवं संस्था के सदस्यों का कार्य संचालन एवं प्रगति में कोई रुचि नहीं है.

इस कारण बताओ सूचना-पत्र से निर्देशित किया गया था कि सूचना-पत्र प्राप्त होने के 15 दिवस के अन्दर वर्णित आरोपों के सम्बन्ध में लिखित स्पष्टीकरण इस कार्यालय में प्रस्तुत करें अन्यथा समिति को परिसमापन में लाया जावेगा.

जारी कारण बताओ सूचना-पत्र का निर्धारित समयावधि में समिति द्वारा कोई भी लिखित प्रति उत्तर कार्यालय को प्रस्तुत नहीं किया गया.

पूर्व में सहायक पंजीयक, अंकेक्षण, होशंगाबाद द्वारा पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2014/105, होशंगाबाद, दिनांक 01 मार्च, 2014 के द्वारा 136 सहकारी समितियों को परिसमापन में लाने की अनुशंसा की थी. पुनः सहायक आयुक्त सहकारिता (अंकेक्षण) होशंगाबाद के कार्यालयीन पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2014/261, होशंगाबाद, दिनांक 01 अगस्त, 2014 से 179 समितियों द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम एवं संस्था उपविधियों में वर्णित प्रावधानों का पालन नहीं करने के कारण परिसमापन में लाने की अनुशंसा की गई है.

उपरोक्त कारणों से मेरा यह समाधान हो गया है कि समिति अकार्यशील है एवं आगे कोई कार्य करने हेतु इच्छुक नहीं है तथा समिति को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक है.

अतः मैं, काडमू पाटनकर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/ एफ-5-2-2010-15-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा पंजीयक की मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त वर्णित कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत महावीर महिला सहकारी समिति मर्यादित, नवलगांव को परिसमापन में लाता हूँ एवं समिति की अस्तित्वों एवं देयताओं के निराकरण हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री सुखदेव परतेती, उप-अंकेक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 05 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(215)

होशंगाबाद, दिनांक 07 मार्च, 2015

[ मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत ]

क्र./परि./2015/337.—वैभव लक्ष्मी सहकारी समिति मर्यादित, तरोनकला, पंजीयन क्रमांक 34, दिनांक 15 जुलाई, 2003 को कार्यालय के पत्र क्रमांक/परिसमापन/2014/1286, दिनांक 07 अगस्त, 2014 द्वारा निम्नलिखित कारणों से परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था.—

1. संस्था ने अधिनियम, नियम तथा उपविधियों का पालन करना बंद कर दिया है.
2. संस्था द्वारा वर्षवार नियमित अंकेक्षण नहीं कराया गया है.
3. संस्था द्वारा पंजीकृत उपविधि में वर्णित उद्देश्य अनुसार कार्य नहीं किया गया है.
4. संस्था निर्वाचन कराने में असफल रही है.
5. संस्था द्वारा वार्षिक आमसभा का आयोजन नहीं किया गया है.
6. संस्था द्वारा विधिवत् रिकॉर्ड संधारित नहीं किया गया है.
7. संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है.
8. संस्था द्वारा निर्धारित समयावधि में वित्तीय पत्रक प्रस्तुत नहीं किये गये हैं.
9. प्रबंधकारिणी समिति एवं संस्था के सदस्यों का कार्य संचालन एवं प्रगति में कोई रुचि नहीं है.

इस कारण बताओ सूचना-पत्र से निर्देशित किया गया था कि सूचना-पत्र प्राप्त होने के 15 दिवस के अन्दर वर्णित आरोपों के सम्बन्ध में लिखित स्पष्टीकरण इस कार्यालय में प्रस्तुत करें अन्यथा समिति को परिसमापन में लाया जावेगा.

जारी कारण बताओ सूचना-पत्र का निर्धारित समयावधि में समिति द्वारा कोई भी लिखित प्रति उत्तर कार्यालय को प्रस्तुत नहीं किया गया.

पूर्व में सहायक पंजीयक, अंकेक्षण, होशंगाबाद द्वारा पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2014/105, होशंगाबाद, दिनांक 01 मार्च, 2014 के द्वारा 136 सहकारी समितियों को परिसमापन में लाने की अनुशंसा की थी. पुनः सहायक आयुक्त सहकारिता (अंकेक्षण) होशंगाबाद के कार्यालयीन पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2014/261, होशंगाबाद, दिनांक 01 अगस्त, 2014 से 179 समितियों द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम एवं संस्था उपविधियों में वर्णित प्रावधानों का पालन नहीं करने के कारण परिसमापन में लाने की अनुशंसा की गई है.



उपरोक्त कारणों से मेरा यह समाधान हो गया है कि समिति अकार्यशील है एवं आगे कोई कार्य करने हेतु इच्छुक नहीं है तथा समिति को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक है।

अतः मैं, काडमू पाटनकर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/ एफ-5-2-2010-15-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा पंजीयक की मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त वर्णित कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत वैभव लक्ष्मी सहकारी समिति मर्यादित, तरोनकला को परिसमापन में लाता हूँ एवं समिति की आस्तियों एवं देयताओं के निराकरण हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री संतोष कतिया, व. स. नि. को परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 05 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(215-A)

होशंगाबाद, दिनांक 07 मार्च, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत ]

क्र./परि./2015/337.—अमरावती महिला सहकारी समिति मर्यादित, गाडरिया, पंजीयन क्रमांक 31, दिनांक 17 जून, 2003 को कार्यालय के पत्र क्रमांक/परिसमापन/2014/1286, दिनांक 07 अगस्त, 2014 द्वारा निम्नलिखित कारणों से परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था.—

1. संस्था ने अधिनियम, नियम तथा उपविधियों का पालन करना बंद कर दिया है।
2. संस्था द्वारा वर्षवार नियमित अंकेक्षण नहीं कराया गया है।
3. संस्था द्वारा पंजीकृत उपविधि में वर्णित उद्देश्य अनुसार कार्य नहीं किया गया है।
4. संस्था निर्वाचन कराने में असफल रही है।
5. संस्था द्वारा वार्षिक आमसभा का आयोजन नहीं किया गया है।
6. संस्था द्वारा विधिवत् रिकॉर्ड संधारित नहीं किया गया है।
7. संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है।
8. संस्था द्वारा निर्धारित समयावधि में वित्तीय पत्रक प्रस्तुत नहीं किये गये हैं।
9. प्रबंधकारिणी समिति एवं संस्था के सदस्यों का कार्य संचालन एवं प्रगति में कोई रुचि नहीं है।

इस कारण बताओ सूचना-पत्र से निर्देशित किया गया था कि सूचना-पत्र प्राप्त होने के 15 दिवस के अन्दर वर्णित आरोपों के सम्बन्ध में लिखित स्पष्टीकरण इस कार्यालय में प्रस्तुत करें अन्यथा समिति को परिसमापन में लाया जावेगा।

जारी कारण बताओ सूचना-पत्र का निर्धारित समयावधि में समिति द्वारा कोई भी लिखित प्रति उत्तर कार्यालय को प्रस्तुत नहीं किया गया।

पूर्व में सहायक पंजीयक, अंकेक्षण, होशंगाबाद द्वारा पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2014/105, होशंगाबाद, दिनांक 01 मार्च, 2014 के द्वारा 136 सहकारी समितियों को परिसमापन में लाने की अनुशंसा की थी। पुनः सहायक आयुक्त सहकारिता (अंकेक्षण) होशंगाबाद के कार्यालयीन पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2014/261, होशंगाबाद, दिनांक 01 अगस्त, 2014 से 179 समितियों द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम एवं संस्था उपविधियों में वर्णित प्रावधानों का पालन नहीं करने के कारण परिसमापन में लाने की अनुशंसा की गई है।

उपरोक्त कारणों से मेरा यह समाधान हो गया है कि समिति अकार्यशील है एवं आगे कोई कार्य करने हेतु इच्छुक नहीं है तथा समिति को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक है।

अतः मैं, काडमू पाटनकर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/ एफ-5-2-2010-15-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा पंजीयक की मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त वर्णित कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत अमरावती महिला सहकारी समिति मर्यादित, अमरावती को परिसमापन में लाता हूँ एवं समिति की आस्तियों एवं देयताओं के निराकरण हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री सुखदेव परतेती, उप-अंकेक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 05 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(215-B)

होशंगाबाद, दिनांक 07 मार्च, 2015

[ मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत ]

क्र./परि./2015/337.—माँ नर्मदा महिला सहकारी समिति मर्यादित, होशंगाबाद, पंजीयन क्रमांक 11, दिनांक 29 जुलाई, 2002 को कार्यालय के पत्र क्रमांक/परिसमापन/2014/1286, दिनांक 07 अगस्त, 2014 द्वारा निम्नलिखित कारणों से परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था.—

1. संस्था ने अधिनियम, नियम तथा उपविधियों का पालन करना बंद कर दिया है.
2. संस्था द्वारा वर्षवार नियमित अंकेक्षण नहीं कराया गया है.
3. संस्था द्वारा पंजीकृत उपविधि में वर्णित उद्देश्य अनुसार कार्य नहीं किया गया है.
4. संस्था निर्वाचन कराने में असफल रही है.
5. संस्था द्वारा वार्षिक आमसभा का आयोजन नहीं किया गया है.
6. संस्था द्वारा विधिवत् रिकॉर्ड संधारित नहीं किया गया है.
7. संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है.
8. संस्था द्वारा निर्धारित समयावधि में वित्तीय पत्रक प्रस्तुत नहीं किये गये हैं.
9. प्रबंधकारिणी समिति एवं संस्था के सदस्यों का कार्य संचालन एवं प्रगति में कोई रुचि नहीं है.

इस कारण बताओ सूचना-पत्र से निर्देशित किया गया था कि सूचना-पत्र प्राप्त होने के 15 दिवस के अन्दर वर्णित आरोपों के सम्बन्ध में लिखित स्पष्टीकरण इस कार्यालय में प्रस्तुत करें अन्यथा समिति को परिसमापन में लाया जावेगा.

जारी कारण बताओ सूचना-पत्र का निर्धारित समयावधि में समिति द्वारा कोई भी लिखित प्रति उत्तर कार्यालय को प्रस्तुत नहीं किया गया.

पूर्व में सहायक पंजीयक, अंकेक्षण, होशंगाबाद द्वारा पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2014/105, होशंगाबाद, दिनांक 01 मार्च, 2014 के द्वारा 136 सहकारी समितियों को परिसमापन में लाने की अनुशंसा की थी. पुनः सहायक आयुक्त सहकारिता (अंकेक्षण) होशंगाबाद के कार्यालयीन पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2014/261, होशंगाबाद, दिनांक 01 अगस्त, 2014 से 179 समितियों द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम एवं संस्था उपविधियों में वर्णित प्रावधानों का पालन नहीं करने के कारण परिसमापन में लाने की अनुशंसा की गई है.

उपरोक्त कारणों से मेरा यह समाधान हो गया है कि समिति अकार्यशील है एवं आगे कोई कार्य करने हेतु इच्छुक नहीं है तथा समिति को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक है.

अतः मैं, काडमू पाटनकर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/ एफ-5-2-2010-15-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा पंजीयक की मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त वर्णित कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत माँ नर्मदा महिला सहकारी समिति मर्यादित, होशंगाबाद को परिसमापन में लाता हूँ एवं समिति की आस्तियों एवं देयताओं के निराकरण हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री प्रमोद राय, उप-अंकेक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 05 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(215-C)

होशंगाबाद, दिनांक 07 मार्च, 2015

[ मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत ]

क्र./परि./2015/337.—मेकलसुता सहकारी समिति मर्यादित, जुन्हेरा, पंजीयन क्रमांक 3026, दिनांक 28 फरवरी, 2009 को कार्यालय के पत्र क्रमांक/परिसमापन/2014/1286, दिनांक 07 अगस्त, 2014 द्वारा निम्नलिखित कारणों से परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था.—

1. संस्था ने अधिनियम, नियम तथा उपविधियों का पालन करना बंद कर दिया है.
2. संस्था द्वारा वर्षवार नियमित अंकेक्षण नहीं कराया गया है.
3. संस्था द्वारा पंजीकृत उपविधि में वर्णित उद्देश्य अनुसार कार्य नहीं किया गया है.

4. संस्था निर्वाचन कराने में असफल रही है.
5. संस्था द्वारा वार्षिक आमसभा का आयोजन नहीं किया गया है.
6. संस्था द्वारा विधिवत् रिकॉर्ड संधारित नहीं किया गया है.
7. संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है.
8. संस्था द्वारा निर्धारित समयावधि में वित्तीय पत्रक प्रस्तुत नहीं किये गये हैं.
9. प्रबंधकारिणी समिति एवं संस्था के सदस्यों का कार्य संचालन एवं प्रगति में कोई रुचि नहीं है.

इस कारण बताओ सूचना-पत्र से निर्देशित किया गया था कि सूचना-पत्र प्राप्त होने के 15 दिवस के अन्दर वर्णित आरोपों के सम्बन्ध में लिखित स्पष्टीकरण इस कार्यालय में प्रस्तुत करें अन्यथा समिति को परिसमापन में लाया जावेगा.

जारी कारण बताओ सूचना-पत्र का निर्धारित समयावधि में समिति द्वारा कोई भी लिखित प्रति उत्तर कार्यालय को प्रस्तुत नहीं किया गया.

पूर्व में सहायक पंजीयक, अंकेक्षण, होशंगाबाद द्वारा पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2014/105, होशंगाबाद, दिनांक 01 मार्च, 2014 के द्वारा 136 सहकारी समितियों को परिसमापन में लाने की अनुशंसा की थी. पुनः सहायक आयुक्त सहकारिता (अंकेक्षण) होशंगाबाद के कार्यालयीन पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2014/261, होशंगाबाद, दिनांक 01 अगस्त, 2014 से 179 समितियों द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम एवं संस्था उपविधियों में वर्णित प्रावधानों का पालन नहीं करने के कारण परिसमापन में लाने की अनुशंसा की गई है.

उपरोक्त कारणों से मेरा यह समाधान हो गया है कि समिति अकार्यशील है एवं आगे कोई कार्य करने हेतु इच्छुक नहीं है तथा समिति को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक है.

अतः मैं, काडमू पाटनकर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/ एफ-5-2-2010-15-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा पंजीयक की मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त वर्णित कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत मेकलसुता सहकारी समिति मर्यादित, मेकलसुता को परिसमापन में लाता हूँ एवं समिति की आस्तियों एवं देयताओं के निराकरण हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री प्रकाश बत्रा, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 05 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(215-D)

होशंगाबाद, दिनांक 07 मार्च, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत ]

क्र./परि./2015/337.—सहकारिता कर्मचारी ऑडिट बोर्ड सहकारी समिति मर्यादित, होशंगाबाद, पंजीयन क्रमांक 13, दिनांक 25 अक्टूबर, 2002 को कार्यालय के पत्र क्रमांक/परिसमापन/2014/1286, दिनांक 07 अगस्त, 2014 द्वारा निम्नलिखित कारणों से परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था.—

1. संस्था ने अधिनियम, नियम तथा उपविधियों का पालन करना बंद कर दिया है.
2. संस्था द्वारा वर्षवार नियमित अंकेक्षण नहीं कराया गया है.
3. संस्था द्वारा पंजीकृत उपविधि में वर्णित उद्देश्य अनुसार कार्य नहीं किया गया है.
4. संस्था निर्वाचन कराने में असफल रही है.
5. संस्था द्वारा वार्षिक आमसभा का आयोजन नहीं किया गया है.
6. संस्था द्वारा विधिवत् रिकॉर्ड संधारित नहीं किया गया है.
7. संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है.
8. संस्था द्वारा निर्धारित समयावधि में वित्तीय पत्रक प्रस्तुत नहीं किये गये हैं.
9. प्रबंधकारिणी समिति एवं संस्था के सदस्यों का कार्य संचालन एवं प्रगति में कोई रुचि नहीं है.

इस कारण बताओ सूचना-पत्र से निर्देशित किया गया था कि सूचना-पत्र प्राप्त होने के 15 दिवस के अन्दर वर्णित आरोपों के सम्बन्ध में लिखित स्पष्टीकरण इस कार्यालय में प्रस्तुत करें अन्यथा समिति को परिसमापन में लाया जावेगा.

जारी कारण बताओ सूचना-पत्र का निर्धारित समयावधि में समिति द्वारा कोई भी लिखित प्रति उत्तर कार्यालय को प्रस्तुत नहीं किया गया।

पूर्व में सहायक पंजीयक, अंकेक्षण, होशंगाबाद द्वारा पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2014/105, होशंगाबाद, दिनांक 01 मार्च, 2014 के द्वारा 136 सहकारी समितियों को परिसमापन में लाने की अनुशंसा की थी. पुनः सहायक आयुक्त सहकारिता (अंकेक्षण) होशंगाबाद के कार्यालयीन पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2014/261, होशंगाबाद, दिनांक 01 अगस्त, 2014 से 179 समितियों द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम एवं संस्था उपविधियों में वर्णित प्रावधानों का पालन नहीं करने के कारण परिसमापन में लाने की अनुशंसा की गई है।

उपरोक्त कारणों से मेरा यह समाधान हो गया है कि समिति अकार्यशील है एवं आगे कोई कार्य करने हेतु इच्छुक नहीं है तथा समिति को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक है।

अतः मैं, काडमू पाटनकर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/ एफ-5-2-2010-15-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा पंजीयक की मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त वर्णित कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत सहकारिता कर्मचारी ऑडिट बोर्ड सहकारी समिति मर्यादित, होशंगाबाद को परिसमापन में लाता हूँ एवं समिति की आस्तियों एवं देयताओं के निराकरण हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री वी. के. शर्मा, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 05 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(215-E)

होशंगाबाद, दिनांक 07 मार्च, 2015

[ मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत ]

क्र./परि./2015/337.— श्री माताराम सहकारी समिति मर्यादित, बिलुआ, पंजीयन क्रमांक 3042, दिनांक 25 अगस्त, 2009 को कार्यालय के पत्र क्रमांक/परिसमापन/2014/1286, दिनांक 07 अगस्त, 2014 द्वारा निम्नलिखित कारणों से परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था.—

1. संस्था ने अधिनियम, नियम तथा उपविधियों का पालन करना बंद कर दिया है।
2. संस्था द्वारा वर्षवार नियमित अंकेक्षण नहीं कराया गया है।
3. संस्था द्वारा पंजीकृत उपविधि में वर्णित उद्देश्य अनुसार कार्य नहीं किया गया है।
4. संस्था निर्वाचन कराने में असफल रही है।
5. संस्था द्वारा वार्षिक आमसभा का आयोजन नहीं किया गया है।
6. संस्था द्वारा विधिवत् रिकॉर्ड संधारित नहीं किया गया है।
7. संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है।
8. संस्था द्वारा निर्धारित समयावधि में वित्तीय पत्रक प्रस्तुत नहीं किये गये हैं।
9. प्रबंधकारिणी समिति एवं संस्था के सदस्यों का कार्य संचालन एवं प्रगति में कोई रुचि नहीं है।

इस कारण बताओ सूचना-पत्र से निर्देशित किया गया था कि सूचना-पत्र प्राप्त होने के 15 दिवस के अन्दर वर्णित आरोपों के सम्बन्ध में लिखित स्पष्टीकरण इस कार्यालय में प्रस्तुत करें अन्यथा समिति को परिसमापन में लाया जावेगा।

जारी कारण बताओ सूचना-पत्र का निर्धारित समयावधि में समिति द्वारा कोई भी लिखित प्रति उत्तर कार्यालय को प्रस्तुत नहीं किया गया।

पूर्व में सहायक पंजीयक, अंकेक्षण, होशंगाबाद द्वारा पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2014/105, होशंगाबाद, दिनांक 01 मार्च, 2014 के द्वारा 136 सहकारी समितियों को परिसमापन में लाने की अनुशंसा की थी. पुनः सहायक आयुक्त सहकारिता (अंकेक्षण) होशंगाबाद के कार्यालयीन पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2014/261, होशंगाबाद, दिनांक 01 अगस्त, 2014 से 179 समितियों द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम एवं संस्था उपविधियों में वर्णित प्रावधानों का पालन नहीं करने के कारण परिसमापन में लाने की अनुशंसा की गई है।

उपरोक्त कारणों से मेरा यह समाधान हो गया है कि समिति अकार्यशील है एवं आगे कोई कार्य करने हेतु इच्छुक नहीं है तथा समिति को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक है।

अतः मैं, काडमू पाटनकर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/ एफ-5-2-2010-15-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा पंजीयक की मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त वर्णित कारणों के आधार पर

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत श्री माताराम सहकारी समिति मर्यादित, बिछुआ को परिसमापन में लाता हूँ एवं समिति की आस्तियों एवं देयताओं के निराकरण हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री एस. एस. पगारे, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 05 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(215-F)

होशंगाबाद, दिनांक 07 मार्च, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत ]

क्र./परि./2015/337.—प्रगति साख सहकारी समिति मर्यादित, सिवनीमालवा, पंजीयन क्रमांक 05, दिनांक 11 मार्च, 2002 को कार्यालय के पत्र क्रमांक/परिसमापन/2014/1286, दिनांक 07 अगस्त, 2014 द्वारा निम्नलिखित कारणों से परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था.—

1. संस्था ने अधिनियम, नियम तथा उपविधियों का पालन करना बंद कर दिया है.
2. संस्था द्वारा वर्षवार नियमित अंकेक्षण नहीं कराया गया है.
3. संस्था द्वारा पंजीकृत उपविधि में वर्णित उद्देश्य अनुसार कार्य नहीं किया गया है.
4. संस्था निर्वाचन कराने में असफल रही है.
5. संस्था द्वारा वार्षिक आमसभा का आयोजन नहीं किया गया है.
6. संस्था द्वारा विधिवत् रिकॉर्ड संधारित नहीं किया गया है.
7. संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है.
8. संस्था द्वारा निर्धारित समयावधि में वित्तीय पत्रक प्रस्तुत नहीं किये गये हैं.
9. प्रबंधकारिणी समिति एवं संस्था के सदस्यों का कार्य संचालन एवं प्रगति में कोई रुचि नहीं है.

इस कारण बताओ सूचना-पत्र से निर्देशित किया गया था कि सूचना-पत्र प्राप्त होने के 15 दिवस के अन्दर वर्णित आरोपों के सम्बन्ध में लिखित स्पष्टीकरण इस कार्यालय में प्रस्तुत करें अन्यथा समिति को परिसमापन में लाया जावेगा.

जारी कारण बताओ सूचना-पत्र का निर्धारित समयावधि में समिति द्वारा कोई भी लिखित प्रति उत्तर कार्यालय को प्रस्तुत नहीं किया गया.

पूर्व में सहायक पंजीयक, अंकेक्षण, होशंगाबाद द्वारा पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2014/105, होशंगाबाद, दिनांक 01 मार्च, 2014 के द्वारा 136 सहकारी समितियों को परिसमापन में लाने की अनुशंसा की थी. पुनः सहायक आयुक्त सहकारिता (अंकेक्षण) होशंगाबाद के कार्यालयीन पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2014/261, होशंगाबाद, दिनांक 01 अगस्त, 2014 से 179 समितियों द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम एवं संस्था उपविधियों में वर्णित प्रावधानों का पालन नहीं करने के कारण परिसमापन में लाने की अनुशंसा की गई है.

उपरोक्त कारणों से मेरा यह समाधान हो गया है कि समिति अकार्यशील है एवं आगे कोई कार्य करने हेतु इच्छुक नहीं है तथा समिति को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक है.

अतः मैं, काडमू पाटनकर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/ एफ-5-2-2010-15-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा पंजीयक की मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त वर्णित कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत प्रगति साख सहकारी समिति मर्यादित, सिवनीमालवा को परिसमापन में लाता हूँ एवं समिति की आस्तियों एवं देयताओं के निराकरण हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री सुखदेव परतेती, उप-अंकेक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 05 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(215-G)

होशंगाबाद, दिनांक 07 मार्च, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत ]

क्र./परि./2015/337.—जय बजरंग सहकारी समिति मर्यादित, महुआखेड़ा, पंजीयन क्रमांक 3039, दिनांक 16 जुलाई, 2009 को कार्यालय के पत्र क्रमांक/परिसमापन/2014/1286, दिनांक 07 अगस्त, 2014 द्वारा निम्नलिखित कारणों से परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ

सूचना-पत्र जारी किया गया था.—

1. संस्था ने अधिनियम, नियम तथा उपविधियों का पालन करना बंद कर दिया है.
2. संस्था द्वारा वर्षवार नियमित अंकेक्षण नहीं कराया गया है.
3. संस्था द्वारा पंजीकृत उपविधि में वर्णित उद्देश्य अनुसार कार्य नहीं किया गया है.
4. संस्था निर्वाचन कराने में असफल रही है.
5. संस्था द्वारा वार्षिक आमसभा का आयोजन नहीं किया गया है.
6. संस्था द्वारा विधिवत् रिकॉर्ड संधारित नहीं किया गया है.
7. संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है.
8. संस्था द्वारा निर्धारित समयावधि में वित्तीय पत्रक प्रस्तुत नहीं किये गये हैं.
9. प्रबंधकारिणी समिति एवं संस्था के सदस्यों का कार्य संचालन एवं प्रगति में कोई रुचि नहीं है.

इस कारण बताओ सूचना-पत्र से निर्देशित किया गया था कि सूचना-पत्र प्राप्त होने के 15 दिवस के अन्दर वर्णित आरोपों के सम्बन्ध में लिखित स्पष्टीकरण इस कार्यालय में प्रस्तुत करें अन्यथा समिति को परिसमापन में लाया जावेगा.

जारी कारण बताओ सूचना-पत्र का निर्धारित समयावधि में समिति द्वारा कोई भी लिखित प्रति उत्तर कार्यालय को प्रस्तुत नहीं किया गया.

पूर्व में सहायक पंजीयक, अंकेक्षण, होशंगाबाद द्वारा पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2014/105, होशंगाबाद, दिनांक 01 मार्च, 2014 के द्वारा 136 सहकारी समितियों को परिसमापन में लाने की अनुशंसा की थी. पुनः सहायक आयुक्त सहकारिता (अंकेक्षण) होशंगाबाद के कार्यालयीन पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2014/261, होशंगाबाद, दिनांक 01 अगस्त, 2014 से 179 समितियों द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम एवं संस्था उपविधियों में वर्णित प्रावधानों का पालन नहीं करने के कारण परिसमापन में लाने की अनुशंसा की गई है.

उपरोक्त कारणों से मेरा यह समाधान हो गया है कि समिति अकार्यशील है एवं आगे कोई कार्य करने हेतु इच्छुक नहीं है तथा समिति को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक है.

अतः मैं, काडमू पाटनकर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/ एफ-5-2-2010-15-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा पंजीयक की मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त वर्णित कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत जय बजरंग सहकारी समिति मर्यादित, महुआखेड़ा को परिसमापन में लाता हूँ एवं समिति की आस्तियों एवं देयताओं के निराकरण हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री प्रकाश बत्रा, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 05 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(215-H)

होशंगाबाद, दिनांक 07 मार्च, 2015

[ मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत ]

क्र./परि./2015/337.—जय श्रीराम सहकारी समिति मर्यादित, मेंदाखेड़ा, पंजीयन क्रमांक 3040, दिनांक 16 जुलाई, 2009 को कार्यालय के पत्र क्रमांक/परिसमापन/2014/1286, दिनांक 07 अगस्त, 2014 द्वारा निम्नलिखित कारणों से परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था.—

1. संस्था ने अधिनियम, नियम तथा उपविधियों का पालन करना बंद कर दिया है.
2. संस्था द्वारा वर्षवार नियमित अंकेक्षण नहीं कराया गया है.
3. संस्था द्वारा पंजीकृत उपविधि में वर्णित उद्देश्य अनुसार कार्य नहीं किया गया है.
4. संस्था निर्वाचन कराने में असफल रही है.
5. संस्था द्वारा वार्षिक आमसभा का आयोजन नहीं किया गया है.
6. संस्था द्वारा विधिवत् रिकॉर्ड संधारित नहीं किया गया है.
7. संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है.

8. संस्था द्वारा निर्धारित समयावधि में वित्तीय पत्रक प्रस्तुत नहीं किये गये हैं.
9. प्रबंधकारिणी समिति एवं संस्था के सदस्यों का कार्य संचालन एवं प्रगति में कोई रुचि नहीं है.

इस कारण बताओ सूचना-पत्र से निर्देशित किया गया था कि सूचना-पत्र प्राप्त होने के 15 दिवस के अन्दर वर्णित आरोपों के सम्बन्ध में लिखित स्पष्टीकरण इस कार्यालय में प्रस्तुत करें अन्यथा समिति को परिसमापन में लाया जावेगा.

जारी कारण बताओ सूचना-पत्र का निर्धारित समयावधि में समिति द्वारा कोई भी लिखित प्रति उत्तर कार्यालय को प्रस्तुत नहीं किया गया.

पूर्व में सहायक पंजीयक, अंकेक्षण, होशंगाबाद द्वारा पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2014/105, होशंगाबाद, दिनांक 01 मार्च, 2014 के द्वारा 136 सहकारी समितियों को परिसमापन में लाने की अनुशंसा की थी. पुनः सहायक आयुक्त सहकारिता (अंकेक्षण) होशंगाबाद के कार्यालयीन पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2014/261, होशंगाबाद, दिनांक 01 अगस्त, 2014 से 179 समितियों द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम एवं संस्था उपविधियों में वर्णित प्रावधानों का पालन नहीं करने के कारण परिसमापन में लाने की अनुशंसा की गई है.

उपरोक्त कारणों से मेरा यह समाधान हो गया है कि समिति अकार्यशील है एवं आगे कोई कार्य करने हेतु इच्छुक नहीं है तथा समिति को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक है.

अतः मैं, काडमू पाटनकर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/ एफ-5-2-2010-15-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा पंजीयक की मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त वर्णित कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत जय श्रीराम सहकारी समिति मर्यादित, मेंदाखेड़ा को परिसमापन में लाता हूँ एवं समिति की आस्तियों एवं देयताओं के निराकरण हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री एस. एस. पगारे, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 05 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(215-1)

होशंगाबाद, दिनांक 07 मार्च, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत ]

क्र./परि./2015/337.—महालक्ष्मी साख सहकारी समिति मर्यादित, पुरेनाकला, पंजीयन क्रमांक 3025, दिनांक 28 फरवरी, 2009 को कार्यालय के पत्र क्रमांक/परिसमापन/2014/1286, दिनांक 07 अगस्त, 2014 द्वारा निम्नलिखित कारणों से परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था.—

1. संस्था ने अधिनियम, नियम तथा उपविधियों का पालन करना बंद कर दिया है.
2. संस्था द्वारा वर्षवार नियमित अंकेक्षण नहीं कराया गया है.
3. संस्था द्वारा पंजीकृत उपविधि में वर्णित उद्देश्य अनुसार कार्य नहीं किया गया है.
4. संस्था निर्वाचन कराने में असफल रही है.
5. संस्था द्वारा वार्षिक आमसभा का आयोजन नहीं किया गया है.
6. संस्था द्वारा विधिवत् रिकॉर्ड संधारित नहीं किया गया है.
7. संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है.
8. संस्था द्वारा निर्धारित समयावधि में वित्तीय पत्रक प्रस्तुत नहीं किये गये हैं.
9. प्रबंधकारिणी समिति एवं संस्था के सदस्यों का कार्य संचालन एवं प्रगति में कोई रुचि नहीं है.

इस कारण बताओ सूचना-पत्र से निर्देशित किया गया था कि सूचना-पत्र प्राप्त होने के 15 दिवस के अन्दर वर्णित आरोपों के सम्बन्ध में लिखित स्पष्टीकरण इस कार्यालय में प्रस्तुत करें अन्यथा समिति को परिसमापन में लाया जावेगा.

जारी कारण बताओ सूचना-पत्र का निर्धारित समयावधि में समिति द्वारा कोई भी लिखित प्रति उत्तर कार्यालय को प्रस्तुत नहीं किया गया.

पूर्व में सहायक पंजीयक, अंकेक्षण, होशंगाबाद द्वारा पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2014/105, होशंगाबाद, दिनांक 01 मार्च, 2014 के द्वारा 136 सहकारी समितियों को परिसमापन में लाने की अनुशंसा की थी. पुनः सहायक आयुक्त सहकारिता (अंकेक्षण) होशंगाबाद के कार्यालयीन पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2014/261, होशंगाबाद, दिनांक 01 अगस्त, 2014 से 179 समितियों द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम एवं संस्था उपविधियों में वर्णित प्रावधानों का पालन नहीं करने के कारण परिसमापन में लाने की अनुशंसा की गई है.

उपरोक्त कारणों से मेरा यह समाधान हो गया है कि समिति अकार्यशील है एवं आगे कोई कार्य करने हेतु इच्छुक नहीं है तथा समिति को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक है।

अतः मैं, काडमू पाटनकर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/ एफ-5-2-2010-15-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा पंजीयक की मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त वर्णित कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत महालक्ष्मी साख सहकारी समिति मर्यादित, पुरेनाकला को परिसमापन में लाता हूँ एवं समिति की आस्तियों एवं देयताओं के निराकरण हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री प्रकाश बत्रा, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 05 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(215-J)

होशंगाबाद, दिनांक 07 मार्च, 2015

[ मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत ]

क्र./परि./2015/337.—माँ नर्मदा साख सहकारी समिति मर्यादित, नयागांव, पंजीयन क्रमांक 3021, दिनांक 27 जनवरी, 2009 को कार्यालय के पत्र क्रमांक/परिसमापन/2014/1286, दिनांक 07 अगस्त, 2014 द्वारा निम्नलिखित कारणों से परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था.—

1. संस्था ने अधिनियम, नियम तथा उपविधियों का पालन करना बंद कर दिया है।
2. संस्था द्वारा वर्षवार नियमित अंकेक्षण नहीं कराया गया है।
3. संस्था द्वारा पंजीकृत उपविधि में वर्णित उद्देश्य अनुसार कार्य नहीं किया गया है।
4. संस्था निर्वाचन कराने में असफल रही है।
5. संस्था द्वारा वार्षिक आमसभा का आयोजन नहीं किया गया है।
6. संस्था द्वारा विधिवत् रिकॉर्ड संधारित नहीं किया गया है।
7. संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है।
8. संस्था द्वारा निर्धारित समयावधि में वित्तीय पत्रक प्रस्तुत नहीं किये गये हैं।
9. प्रबंधकारिणी समिति एवं संस्था के सदस्यों का कार्य संचालन एवं प्रगति में कोई रुचि नहीं है।

इस कारण बताओ सूचना-पत्र से निर्देशित किया गया था कि सूचना-पत्र प्राप्त होने के 15 दिवस के अन्दर वर्णित आरोपों के सम्बन्ध में लिखित स्पष्टीकरण इस कार्यालय में प्रस्तुत करें अन्यथा समिति को परिसमापन में लाया जावेगा।

जारी कारण बताओ सूचना-पत्र का निर्धारित समयावधि में समिति द्वारा कोई भी लिखित प्रति उत्तर कार्यालय को प्रस्तुत नहीं किया गया।

पूर्व में सहायक पंजीयक, अंकेक्षण, होशंगाबाद द्वारा पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2014/105, होशंगाबाद, दिनांक 01 मार्च, 2014 के द्वारा 136 सहकारी समितियों को परिसमापन में लाने की अनुशंसा की थी। पुनः सहायक आयुक्त सहकारिता (अंकेक्षण) होशंगाबाद के कार्यालयीन पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2014/261, होशंगाबाद, दिनांक 01 अगस्त, 2014 से 179 समितियों द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम एवं संस्था उपविधियों में वर्णित प्रावधानों का पालन नहीं करने के कारण परिसमापन में लाने की अनुशंसा की गई है।

उपरोक्त कारणों से मेरा यह समाधान हो गया है कि समिति अकार्यशील है एवं आगे कोई कार्य करने हेतु इच्छुक नहीं है तथा समिति को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक है।

अतः मैं, काडमू पाटनकर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/ एफ-5-2-2010-15-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा पंजीयक की मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त वर्णित कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत माँ नर्मदा साख सहकारी समिति मर्यादित, नयागांव को परिसमापन में लाता हूँ एवं समिति की आस्तियों एवं देयताओं के निराकरण हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री एस. एस. पगारे, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 05 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(215-K)



होशंगाबाद, दिनांक 07 मार्च, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत ]

क्र./परि./2015/337.—विनायक साख सहकारी समिति मर्यादित, वाचापानी, पंजीयन क्रमांक 2997, दिनांक 19 अगस्त, 2008 को कार्यालय के पत्र क्रमांक/परिसमापन/2014/1286, दिनांक 07 अगस्त, 2014 द्वारा निम्नलिखित कारणों से परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था.—

1. संस्था ने अधिनियम, नियम तथा उपविधियों का पालन करना बंद कर दिया है.
2. संस्था द्वारा वर्षवार नियमित अंकेक्षण नहीं कराया गया है.
3. संस्था द्वारा पंजीकृत उपविधि में वर्णित उद्देश्य अनुसार कार्य नहीं किया गया है.
4. संस्था निर्वाचन कराने में असफल रही है.
5. संस्था द्वारा वार्षिक आमसभा का आयोजन नहीं किया गया है.
6. संस्था द्वारा विधिवत् रिकॉर्ड संधारित नहीं किया गया है.
7. संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है.
8. संस्था द्वारा निर्धारित समयावधि में वित्तीय पत्रक प्रस्तुत नहीं किये गये हैं.
9. प्रबंधकारिणी समिति एवं संस्था के सदस्यों का कार्य संचालन एवं प्रगति में कोई रुचि नहीं है.

इस कारण बताओ सूचना-पत्र से निर्देशित किया गया था कि सूचना-पत्र प्राप्त होने के 15 दिवस के अन्दर वर्णित आरोपों के सम्बन्ध में लिखित स्पष्टीकरण इस कार्यालय में प्रस्तुत करें अन्यथा समिति को परिसमापन में लाया जावेगा.

जारी कारण बताओ सूचना-पत्र का निर्धारित समयावधि में समिति द्वारा कोई भी लिखित प्रति उत्तर कार्यालय को प्रस्तुत नहीं किया गया.

पूर्व में सहायक पंजीयक, अंकेक्षण, होशंगाबाद द्वारा पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2014/105, होशंगाबाद, दिनांक 01 मार्च, 2014 के द्वारा 136 सहकारी समितियों को परिसमापन में लाने की अनुशंसा की थी. पुनः सहायक आयुक्त सहकारिता (अंकेक्षण) होशंगाबाद के कार्यालयीन पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2014/261, होशंगाबाद, दिनांक 01 अगस्त, 2014 से 179 समितियों द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम एवं संस्था उपविधियों में वर्णित प्रावधानों का पालन नहीं करने के कारण परिसमापन में लाने की अनुशंसा की गई है.

उपरोक्त कारणों से मेरा यह समाधान हो गया है कि समिति अकार्यशील है एवं आगे कोई कार्य करने हेतु इच्छुक नहीं है तथा समिति को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक है.

अतः मैं, काडमू पाटनकर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/ एफ-5-2-2010-15-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा पंजीयक की मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त वर्णित कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत विनायक साख सहकारी समिति मर्यादित, वाचापानी को परिसमापन में लाता हूँ एवं समिति की आस्तियों एवं देयताओं के निराकरण हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री एस. एस. पगारे, वरि. सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 05 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(215-L)

होशंगाबाद, दिनांक 07 मार्च, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत ]

क्र./परि./2015/337.—जय बीजासेन साख सहकारी समिति मर्यादित, पडरईठाकुर, पंजीयन क्रमांक 2940, दिनांक 01 जून, 2007 को कार्यालय के पत्र क्रमांक/परिसमापन/2014/1286, दिनांक 07 अगस्त, 2014 द्वारा निम्नलिखित कारणों से परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था.—

1. संस्था ने अधिनियम, नियम तथा उपविधियों का पालन करना बंद कर दिया है.
2. संस्था द्वारा वर्षवार नियमित अंकेक्षण नहीं कराया गया है.
3. संस्था द्वारा पंजीकृत उपविधि में वर्णित उद्देश्य अनुसार कार्य नहीं किया गया है.

4. संस्था निर्वाचन कराने में असफल रही है.
5. संस्था द्वारा वार्षिक आमसभा का आयोजन नहीं किया गया है.
6. संस्था द्वारा विधिवत् रिकॉर्ड संधारित नहीं किया गया है.
7. संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है.
8. संस्था द्वारा निर्धारित समयावधि में वित्तीय पत्रक प्रस्तुत नहीं किये गये हैं.
9. प्रबंधकारिणी समिति एवं संस्था के सदस्यों का कार्य संचालन एवं प्रगति में कोई रुचि नहीं है.

इस कारण बताओ सूचना-पत्र से निर्देशित किया गया था कि सूचना-पत्र प्राप्त होने के 15 दिवस के अन्दर वर्णित आरोपों के सम्बन्ध में लिखित स्पष्टीकरण इस कार्यालय में प्रस्तुत करें अन्यथा समिति को परिसमापन में लाया जावेगा.

जारी कारण बताओ सूचना-पत्र का निर्धारित समयावधि में समिति द्वारा कोई भी लिखित प्रति उत्तर कार्यालय को प्रस्तुत नहीं किया गया.

पूर्व में सहायक पंजीयक, अंकेक्षण, होशंगाबाद द्वारा पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2014/105, होशंगाबाद, दिनांक 01 मार्च, 2014 के द्वारा 136 सहकारी समितियों को परिसमापन में लाने की अनुशंसा की थी. पुनः सहायक आयुक्त सहकारिता (अंकेक्षण) होशंगाबाद के कार्यालयीन पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2014/261, होशंगाबाद, दिनांक 01 अगस्त, 2014 से 179 समितियों द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम एवं संस्था उपविधियों में वर्णित प्रावधानों का पालन नहीं करने के कारण परिसमापन में लाने की अनुशंसा की गई है.

उपरोक्त कारणों से मेरा यह समाधान हो गया है कि समिति अकार्यशील है एवं आगे कोई कार्य करने हेतु इच्छुक नहीं है तथा समिति को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक है.

अतः मैं, काडमू पाटनकर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/ एफ-5-2-2010-15-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा पंजीयक की मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त वर्णित कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत जय बीजासेन साख सहकारी समिति मर्यादित, पडरईठाकुर को परिसमापन में लाता हूँ एवं समिति की आस्तियों एवं देयताओं के निराकरण हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री एस. एस. पगारे, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 05 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(215-M)

होशंगाबाद, दिनांक 07 मार्च, 2015

[ मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत ]

क्र./परि./2015/337.—माँ भवानी सहकारी समिति मर्यादित, महगवां, पंजीयन क्रमांक....., दिनांक..... को कार्यालय के पत्र क्रमांक/परिसमापन/2014/1286, दिनांक 07 अगस्त, 2014 द्वारा निम्नलिखित कारणों से परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था.—

1. संस्था ने अधिनियम, नियम तथा उपविधियों का पालन करना बंद कर दिया है.
2. संस्था द्वारा वर्षवार नियमित अंकेक्षण नहीं कराया गया है.
3. संस्था द्वारा पंजीकृत उपविधि में वर्णित उद्देश्य अनुसार कार्य नहीं किया गया है.
4. संस्था निर्वाचन कराने में असफल रही है.
5. संस्था द्वारा वार्षिक आमसभा का आयोजन नहीं किया गया है.
6. संस्था द्वारा विधिवत् रिकॉर्ड संधारित नहीं किया गया है.
7. संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है.
8. संस्था द्वारा निर्धारित समयावधि में वित्तीय पत्रक प्रस्तुत नहीं किये गये हैं.
9. प्रबंधकारिणी समिति एवं संस्था के सदस्यों का कार्य संचालन एवं प्रगति में कोई रुचि नहीं है.

इस कारण बताओ सूचना-पत्र से निर्देशित किया गया था कि सूचना-पत्र प्राप्त होने के 15 दिवस के अन्दर वर्णित आरोपों के सम्बन्ध में लिखित स्पष्टीकरण इस कार्यालय में प्रस्तुत करें अन्यथा समिति को परिसमापन में लाया जावेगा.

जारी कारण बताओ सूचना-पत्र का निर्धारित समयावधि में समिति द्वारा कोई भी लिखित प्रति उत्तर कार्यालय को प्रस्तुत नहीं किया गया।

पूर्व में सहायक पंजीयक, अंकेक्षण, होशंगाबाद द्वारा पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2014/105, होशंगाबाद, दिनांक 01 मार्च, 2014 के द्वारा 136 सहकारी समितियों को परिसमापन में लाने की अनुशंसा की थी। पुनः सहायक आयुक्त सहकारिता (अंकेक्षण) होशंगाबाद के कार्यालयीन पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2014/261, होशंगाबाद, दिनांक 01 अगस्त, 2014 से 179 समितियों द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम एवं संस्था उपविधियों में वर्णित प्रावधानों का पालन नहीं करने के कारण परिसमापन में लाने की अनुशंसा की गई है।

उपरोक्त कारणों से मेरा यह समाधान हो गया है कि समिति अकार्यशील है एवं आगे कोई कार्य करने हेतु इच्छुक नहीं है तथा समिति को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक है।

अतः मैं, काडमू पाटनकर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/ एफ-5-2-2010-15-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा पंजीयक की मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त वर्णित कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत माँ भवानी सहकारी समिति मर्यादित, महगवां को परिसमापन में लाता हूँ एवं समिति की आस्तियों एवं देयताओं के निराकरण हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री एस. एस. पगारे, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 05 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(215-N)

होशंगाबाद, दिनांक 07 मार्च, 2015

[ मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत ]

क्र./परि./2015/337.—बालाजी साख सहकारी समिति मर्यादित, मालनी, पंजीयन क्रमांक 3024, दिनांक 26 फरवरी, 2009 को कार्यालय के पत्र क्रमांक/परिसमापन/2014/1286, दिनांक 07 अगस्त, 2014 द्वारा निम्नलिखित कारणों से परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था.—

1. संस्था ने अधिनियम, नियम तथा उपविधियों का पालन करना बंद कर दिया है।
2. संस्था द्वारा वर्षवार नियमित अंकेक्षण नहीं कराया गया है।
3. संस्था द्वारा पंजीकृत उपविधि में वर्णित उद्देश्य अनुसार कार्य नहीं किया गया है।
4. संस्था निर्वाचन कराने में असफल रही है।
5. संस्था द्वारा वार्षिक आमसभा का आयोजन नहीं किया गया है।
6. संस्था द्वारा विधिवत् रिकॉर्ड संधारित नहीं किया गया है।
7. संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है।
8. संस्था द्वारा निर्धारित समयावधि में वित्तीय पत्रक प्रस्तुत नहीं किये गये हैं।
9. प्रबंधकारिणी समिति एवं संस्था के सदस्यों का कार्य संचालन एवं प्रगति में कोई रुचि नहीं है।

इस कारण बताओ सूचना-पत्र से निर्देशित किया गया था कि सूचना-पत्र प्राप्त होने के 15 दिवस के अन्दर वर्णित आरोपों के सम्बन्ध में लिखित स्पष्टीकरण इस कार्यालय में प्रस्तुत करें अन्यथा समिति को परिसमापन में लाया जावेगा।

जारी कारण बताओ सूचना-पत्र का निर्धारित समयावधि में समिति द्वारा कोई भी लिखित प्रति उत्तर कार्यालय को प्रस्तुत नहीं किया गया।

पूर्व में सहायक पंजीयक, अंकेक्षण, होशंगाबाद द्वारा पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2014/105, होशंगाबाद, दिनांक 01 मार्च, 2014 के द्वारा 136 सहकारी समितियों को परिसमापन में लाने की अनुशंसा की थी। पुनः सहायक आयुक्त सहकारिता (अंकेक्षण) होशंगाबाद के कार्यालयीन पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2014/261, होशंगाबाद, दिनांक 01 अगस्त, 2014 से 179 समितियों द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम एवं संस्था उपविधियों में वर्णित प्रावधानों का पालन नहीं करने के कारण परिसमापन में लाने की अनुशंसा की गई है।

उपरोक्त कारणों से मेरा यह समाधान हो गया है कि समिति अकार्यशील है एवं आगे कोई कार्य करने हेतु इच्छुक नहीं है तथा समिति को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक है।

अतः मैं, काडमू पाटनकर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/ एफ-5-2-2010-15-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा पंजीयक की मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त वर्णित कारणों के आधार पर

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत बालाजी साख सहकारी समिति मर्यादित, मालनी को परिसमापन में लाता हूँ एवं समिति की आस्तियों एवं देयताओं के निराकरण हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री एम. के. महतो, उप-अंकेक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 05 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(215-O)

होशंगाबाद, दिनांक 07 मार्च, 2015

[ मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत ]

क्र./परि./2015/337.—ताज महिला साख सहकारी समिति मर्यादित, इटारसी, पंजीयन क्रमांक 3016, दिनांक 13 अक्टूबर, 2008 को कार्यालय के पत्र क्रमांक/परिसमापन/2014/1286, दिनांक 07 अगस्त, 2014 द्वारा निम्नलिखित कारणों से परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था.—

1. संस्था ने अधिनियम, नियम तथा उपविधियों का पालन करना बंद कर दिया है.
2. संस्था द्वारा वर्षवार नियमित अंकेक्षण नहीं कराया गया है.
3. संस्था द्वारा पंजीकृत उपविधि में वर्णित उद्देश्य अनुसार कार्य नहीं किया गया है.
4. संस्था निर्वाचन कराने में असफल रही है.
5. संस्था द्वारा वार्षिक आमसभा का आयोजन नहीं किया गया है.
6. संस्था द्वारा विधिवत् रिकॉर्ड संधारित नहीं किया गया है.
7. संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है.
8. संस्था द्वारा निर्धारित समयावधि में वित्तीय पत्रक प्रस्तुत नहीं किये गये हैं.
9. प्रबंधकारिणी समिति एवं संस्था के सदस्यों का कार्य संचालन एवं प्रगति में कोई रुचि नहीं है.

इस कारण बताओ सूचना-पत्र से निर्देशित किया गया था कि सूचना-पत्र प्राप्त होने के 15 दिवस के अन्दर वर्णित आरोपों के सम्बन्ध में लिखित स्पष्टीकरण इस कार्यालय में प्रस्तुत करें अन्यथा समिति को परिसमापन में लाया जावेगा.

जारी कारण बताओ सूचना-पत्र का निर्धारित समयावधि में समिति द्वारा कोई भी लिखित प्रति उत्तर कार्यालय को प्रस्तुत नहीं किया गया.

पूर्व में सहायक पंजीयक, अंकेक्षण, होशंगाबाद द्वारा पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2014/105, होशंगाबाद, दिनांक 01 मार्च, 2014 के द्वारा 136 सहकारी समितियों को परिसमापन में लाने की अनुशंसा की थी. पुनः सहायक आयुक्त सहकारिता (अंकेक्षण) होशंगाबाद के कार्यालयीन पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2014/261, होशंगाबाद, दिनांक 01 अगस्त, 2014 से 179 समितियों द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम एवं संस्था उपविधियों में वर्णित प्रावधानों का पालन नहीं करने के कारण परिसमापन में लाने की अनुशंसा की गई है.

उपरोक्त कारणों से मेरा यह समाधान हो गया है कि समिति अकार्यशील है एवं आगे कोई कार्य करने हेतु इच्छुक नहीं है तथा समिति को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक है.

अतः मैं, काडमू पाटनकर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/ एफ-5-2-2010-15-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा पंजीयक की मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त वर्णित कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत ताज महिला साख सहकारी समिति मर्यादित, इटारसी को परिसमापन में लाता हूँ एवं समिति की आस्तियों एवं देयताओं के निराकरण हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री एम. के. महतो, उप-अंकेक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 05 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(215-P)

होशंगाबाद, दिनांक 07 मार्च, 2015

[ मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत ]

क्र./परि./2015/337.—शिक्षित बेरोजगार सहकारी समिति मर्यादित, इटारसी, पंजीयन क्रमांक 2422, दिनांक 30 जुलाई, 1993 को कार्यालय के पत्र क्रमांक/परिसमापन/2014/1286, दिनांक 07 अगस्त, 2014 द्वारा निम्नलिखित कारणों से परिसमापन में लाये जाने हेतु

कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था.—

1. संस्था ने अधिनियम, नियम तथा उपविधियों का पालन करना बंद कर दिया है.
2. संस्था द्वारा वर्षवार नियमित अंकेक्षण नहीं कराया गया है.
3. संस्था द्वारा पंजीकृत उपविधि में वर्णित उद्देश्य अनुसार कार्य नहीं किया गया है.
4. संस्था निर्वाचन कराने में असफल रही है.
5. संस्था द्वारा वार्षिक आमसभा का आयोजन नहीं किया गया है.
6. संस्था द्वारा विधिवत् रिकॉर्ड संधारित नहीं किया गया है.
7. संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है.
8. संस्था द्वारा निर्धारित समयावधि में वित्तीय पत्रक प्रस्तुत नहीं किये गये हैं.
9. प्रबंधकारिणी समिति एवं संस्था के सदस्यों का कार्य संचालन एवं प्रगति में कोई रुचि नहीं है.

इस कारण बताओ सूचना-पत्र से निर्देशित किया गया था कि सूचना-पत्र प्राप्त होने के 15 दिवस के अन्दर वर्णित आरोपों के सम्बन्ध में लिखित स्पष्टीकरण इस कार्यालय में प्रस्तुत करें अन्यथा समिति को परिसमापन में लाया जावेगा.

जारी कारण बताओ सूचना-पत्र का निर्धारित समयावधि में समिति द्वारा कोई भी लिखित प्रति उत्तर कार्यालय को प्रस्तुत नहीं किया गया.

पूर्व में सहायक पंजीयक, अंकेक्षण, होशंगाबाद द्वारा पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2014/105, होशंगाबाद, दिनांक 01 मार्च, 2014 के द्वारा 136 सहकारी समितियों को परिसमापन में लाने की अनुशंसा की थी. पुनः सहायक आयुक्त सहकारिता (अंकेक्षण) होशंगाबाद के कार्यालयीन पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2014/261, होशंगाबाद, दिनांक 01 अगस्त, 2014 से 179 समितियों द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम एवं संस्था उपविधियों में वर्णित प्रावधानों का पालन नहीं करने के कारण परिसमापन में लाने की अनुशंसा की गई है.

उपरोक्त कारणों से मेरा यह समाधान हो गया है कि समिति अकार्यशील है एवं आगे कोई कार्य करने हेतु इच्छुक नहीं है तथा समिति को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक है.

अतः मैं, काडमू पाटनकर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/ एफ-5-2-2010-15-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा पंजीयक की मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त वर्णित कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत शिक्षित बेरोजगार सहकारी समिति मर्यादित, इटारसी को परिसमापन में लाता हूँ एवं समिति की आस्तियों एवं देयताओं के निराकरण हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री एम. के. महतो, उप-अंकेक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 05 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(215-Q)

होशंगाबाद, दिनांक 07 मार्च, 2015

[ मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत ]

क्र./परि./2015/337.—जिला लिपिक वर्गीय कर्मचारी सहकारी समिति मर्यादित, होशंगाबाद, पंजीयन क्रमांक 592, दिनांक 28 अगस्त, 1956 को कार्यालय के पत्र क्रमांक/परिसमापन/2014/1286, दिनांक 07 अगस्त, 2014 द्वारा निम्नलिखित कारणों से परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था.—

1. संस्था ने अधिनियम, नियम तथा उपविधियों का पालन करना बंद कर दिया है.
2. संस्था द्वारा वर्षवार नियमित अंकेक्षण नहीं कराया गया है.
3. संस्था द्वारा पंजीकृत उपविधि में वर्णित उद्देश्य अनुसार कार्य नहीं किया गया है.
4. संस्था निर्वाचन कराने में असफल रही है.
5. संस्था द्वारा वार्षिक आमसभा का आयोजन नहीं किया गया है.
6. संस्था द्वारा विधिवत् रिकॉर्ड संधारित नहीं किया गया है.
7. संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है.

8. संस्था द्वारा निर्धारित समयावधि में वित्तीय पत्रक प्रस्तुत नहीं किये गये हैं.
9. प्रबंधकारिणी समिति एवं संस्था के सदस्यों का कार्य संचालन एवं प्रगति में कोई रुचि नहीं है.

इस कारण बताओ सूचना-पत्र से निर्देशित किया गया था कि सूचना-पत्र प्राप्त होने के 15 दिवस के अन्दर वर्णित आरोपों के सम्बन्ध में लिखित स्पष्टीकरण इस कार्यालय में प्रस्तुत करें अन्यथा समिति को परिसमापन में लाया जावेगा.

जारी कारण बताओ सूचना-पत्र का निर्धारित समयावधि में समिति द्वारा कोई भी लिखित प्रति उत्तर कार्यालय को प्रस्तुत नहीं किया गया.

पूर्व में सहायक पंजीयक, अंकेक्षण, होशंगाबाद द्वारा पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2014/105, होशंगाबाद, दिनांक 01 मार्च, 2014 के द्वारा 136 सहकारी समितियों को परिसमापन में लाने की अनुशंसा की थी. पुनः सहायक आयुक्त सहकारिता (अंकेक्षण) होशंगाबाद के कार्यालयीन पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2014/261, होशंगाबाद, दिनांक 01 अगस्त, 2014 से 179 समितियों द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम एवं संस्था उपविधियों में वर्णित प्रावधानों का पालन नहीं करने के कारण परिसमापन में लाने की अनुशंसा की गई है.

उपरोक्त कारणों से मेरा यह समाधान हो गया है कि समिति अकार्यशील है एवं आगे कोई कार्य करने हेतु इच्छुक नहीं है तथा समिति को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक है.

अतः मैं, काडमू पाटनकर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/ एफ-5-2-2010-15-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा पंजीयक की मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त वर्णित कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत जिला लिपिक वर्गीय कर्मचारी सहकारी समिति मर्यादित, होशंगाबाद को परिसमापन में लाता हूँ एवं समिति की आस्तियों एवं देयताओं के निराकरण हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री बी. एस. सोलंकी, वरि. सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 05 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(215-R)

होशंगाबाद, दिनांक 07 मार्च, 2015

[ मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत ]

क्र./परि./2015/337.—एम. ई. एस. कर्मचारी साख सहकारी समिति मर्यादित, इटारसी, पंजीयन क्रमांक 2379, दिनांक 03 अप्रैल, 1992 को कार्यालय के पत्र क्रमांक/परिसमापन/2014/1286, दिनांक 07 अगस्त, 2014 द्वारा निम्नलिखित कारणों से परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था.—

1. संस्था ने अधिनियम, नियम तथा उपविधियों का पालन करना बंद कर दिया है.
2. संस्था द्वारा वर्षवार नियमित अंकेक्षण नहीं कराया गया है.
3. संस्था द्वारा पंजीकृत उपविधि में वर्णित उद्देश्य अनुसार कार्य नहीं किया गया है.
4. संस्था निर्वाचन कराने में असफल रही है.
5. संस्था द्वारा वार्षिक आमसभा का आयोजन नहीं किया गया है.
6. संस्था द्वारा विधिवत् रिकॉर्ड संधारित नहीं किया गया है.
7. संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है.
8. संस्था द्वारा निर्धारित समयावधि में वित्तीय पत्रक प्रस्तुत नहीं किये गये हैं.
9. प्रबंधकारिणी समिति एवं संस्था के सदस्यों का कार्य संचालन एवं प्रगति में कोई रुचि नहीं है.

इस कारण बताओ सूचना-पत्र से निर्देशित किया गया था कि सूचना-पत्र प्राप्त होने के 15 दिवस के अन्दर वर्णित आरोपों के सम्बन्ध में लिखित स्पष्टीकरण इस कार्यालय में प्रस्तुत करें अन्यथा समिति को परिसमापन में लाया जावेगा.

जारी कारण बताओ सूचना-पत्र का निर्धारित समयावधि में समिति द्वारा कोई भी लिखित प्रति उत्तर कार्यालय को प्रस्तुत नहीं किया गया.

पूर्व में सहायक पंजीयक, अंकेक्षण, होशंगाबाद द्वारा पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2014/105, होशंगाबाद, दिनांक 01 मार्च, 2014 के द्वारा 136 सहकारी समितियों को परिसमापन में लाने की अनुशंसा की थी. पुनः सहायक आयुक्त सहकारिता (अंकेक्षण) होशंगाबाद के कार्यालयीन पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2014/261, होशंगाबाद, दिनांक 01 अगस्त, 2014 से 179 समितियों द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम एवं संस्था उपविधियों में वर्णित प्रावधानों का पालन नहीं करने के कारण परिसमापन में लाने की अनुशंसा की गई है.

उपरोक्त कारणों से मेरा यह समाधान हो गया है कि समिति अकार्यशील है एवं आगे कोई कार्य करने हेतु इच्छुक नहीं है तथा समिति को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक है।

अतः मैं, काडमू पाटनकर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/ एफ-5-2-2010-15-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा पंजीयक की मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त वर्णित कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत एम. ई. एस. कर्मचारी साख सहकारी समिति मर्यादित, इटारसी को परिसमापन में लाता हूँ एवं समिति की आस्तियों एवं देयताओं के निराकरण हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री बी. के. शर्मा, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 05 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(215-S)

होशंगाबाद, दिनांक 07 मार्च, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत ]

क्र./परि./2015/337.—स्वामी विवेकानंद साख सहकारी समिति मर्यादित, डोगरवाड़ा होशंगाबाद, पंजीयन क्रमांक 3023, दिनांक 26 फरवरी, 2009 को कार्यालय के पत्र क्रमांक/परिसमापन/2014/1286, दिनांक 07 अगस्त, 2014 द्वारा निम्नलिखित कारणों से परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था.—

1. संस्था ने अधिनियम, नियम तथा उपविधियों का पालन करना बंद कर दिया है।
2. संस्था द्वारा वर्षवार नियमित अंकेक्षण नहीं कराया गया है।
3. संस्था द्वारा पंजीकृत उपविधि में वर्णित उद्देश्य अनुसार कार्य नहीं किया गया है।
4. संस्था निर्वाचन कराने में असफल रही है।
5. संस्था द्वारा वार्षिक आमसभा का आयोजन नहीं किया गया है।
6. संस्था द्वारा विधिवत् रिकॉर्ड संधारित नहीं किया गया है।
7. संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है।
8. संस्था द्वारा निर्धारित समयावधि में वित्तीय पत्रक प्रस्तुत नहीं किये गये हैं।
9. प्रबंधकारिणी समिति एवं संस्था के सदस्यों का कार्य संचालन एवं प्रगति में कोई रुचि नहीं है।

इस कारण बताओ सूचना-पत्र से निर्देशित किया गया था कि सूचना-पत्र प्राप्त होने के 15 दिवस के अन्दर वर्णित आरोपों के सम्बन्ध में लिखित स्पष्टीकरण इस कार्यालय में प्रस्तुत करें अन्यथा समिति को परिसमापन में लाया जावेगा।

जारी कारण बताओ सूचना-पत्र का निर्धारित समयावधि में समिति द्वारा कोई भी लिखित प्रति उत्तर कार्यालय को प्रस्तुत नहीं किया गया।

पूर्व में सहायक पंजीयक, अंकेक्षण, होशंगाबाद द्वारा पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2014/105, होशंगाबाद, दिनांक 01 मार्च, 2014 के द्वारा 136 सहकारी समितियों को परिसमापन में लाने की अनुशंसा की थी। पुनः सहायक आयुक्त सहकारिता (अंकेक्षण) होशंगाबाद के कार्यालयीन पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2014/261, होशंगाबाद, दिनांक 01 अगस्त, 2014 से 179 समितियों द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम एवं संस्था उपविधियों में वर्णित प्रावधानों का पालन नहीं करने के कारण परिसमापन में लाने की अनुशंसा की गई है।

उपरोक्त कारणों से मेरा यह समाधान हो गया है कि समिति अकार्यशील है एवं आगे कोई कार्य करने हेतु इच्छुक नहीं है तथा समिति को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक है।

अतः मैं, काडमू पाटनकर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/ एफ-5-2-2010-15-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा पंजीयक की मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त वर्णित कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत स्वामी विवेकानंद साख सहकारी समिति मर्यादित, डोगरवाड़ा होशंगाबाद को परिसमापन में लाता हूँ एवं समिति की आस्तियों एवं देयताओं के निराकरण हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत कु. जय श्री राजे, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 05 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(215-T)

होशंगाबाद, दिनांक 07 मार्च, 2015

[ मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत ]

क्र./परि./2015/337.—राधिका महिला सहकारी समिति मर्यादित, परसवाड़ा, पंजीयन क्रमांक 90, दिनांक 21 मार्च, 2007 को कार्यालय के पत्र क्रमांक/परिसमापन/2014/1286, दिनांक 07 अगस्त, 2014 द्वारा निम्नलिखित कारणों से परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था.—

1. संस्था ने अधिनियम, नियम तथा उपविधियों का पालन करना बंद कर दिया है.
2. संस्था द्वारा वर्षवार नियमित अंकेक्षण नहीं कराया गया है.
3. संस्था द्वारा पंजीकृत उपविधि में वर्णित उद्देश्य अनुसार कार्य नहीं किया गया है.
4. संस्था निर्वाचन कराने में असफल रही है.
5. संस्था द्वारा वार्षिक आमसभा का आयोजन नहीं किया गया है.
6. संस्था द्वारा विधिवत् रिकॉर्ड संधारित नहीं किया गया है.
7. संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है.
8. संस्था द्वारा निर्धारित समयावधि में वित्तीय पत्रक प्रस्तुत नहीं किये गये हैं.
9. प्रबंधकारिणी समिति एवं संस्था के सदस्यों का कार्य संचालन एवं प्रगति में कोई रुचि नहीं है.

इस कारण बताओ सूचना-पत्र से निर्देशित किया गया था कि सूचना-पत्र प्राप्त होने के 15 दिवस के अन्दर वर्णित आरोपों के सम्बन्ध में लिखित स्पष्टीकरण इस कार्यालय में प्रस्तुत करें अन्यथा समिति को परिसमापन में लाया जावेगा.

जारी कारण बताओ सूचना-पत्र का निर्धारित समयावधि में समिति द्वारा कोई भी लिखित प्रति उत्तर कार्यालय को प्रस्तुत नहीं किया गया.

पूर्व में सहायक पंजीयक, अंकेक्षण, होशंगाबाद द्वारा पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2014/105, होशंगाबाद, दिनांक 01 मार्च, 2014 के द्वारा 136 सहकारी समितियों को परिसमापन में लाने की अनुशंसा की थी. पुनः सहायक आयुक्त सहकारिता (अंकेक्षण) होशंगाबाद के कार्यालयीन पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2014/261, होशंगाबाद, दिनांक 01 अगस्त, 2014 से 179 समितियों द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम एवं संस्था उपविधियों में वर्णित प्रावधानों का पालन नहीं करने के कारण परिसमापन में लाने की अनुशंसा की गई है.

उपरोक्त कारणों से मेरा यह समाधान हो गया है कि समिति अकार्यशील है एवं आगे कोई कार्य करने हेतु इच्छुक नहीं है तथा समिति को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक है.

अतः मैं, काडमू पाटनकर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/ एफ-5-2-2010-15-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा पंजीयक की मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त वर्णित कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत राधिका महिला सहकारी समिति मर्यादित, परसवाड़ा को परिसमापन में लाता हूँ एवं समिति की आस्तियों एवं देयताओं के निराकरण हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री एस. एस. पगारि, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 05 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(215-U)

होशंगाबाद, दिनांक 07 मार्च, 2015

[ मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत ]

क्र./परि./2015/337.—शासकीय कर्मचारी गृह निर्माण सहकारी समिति मर्यादित, होशंगाबाद, पंजीयन क्रमांक 28, दिनांक 26 मई, 1967 को कार्यालय के पत्र क्रमांक/परिसमापन/2014/1286, दिनांक 07 अगस्त, 2014 द्वारा निम्नलिखित कारणों से परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था.—

1. संस्था ने अधिनियम, नियम तथा उपविधियों का पालन करना बंद कर दिया है.
2. संस्था द्वारा वर्षवार नियमित अंकेक्षण नहीं कराया गया है.
3. संस्था द्वारा पंजीकृत उपविधि में वर्णित उद्देश्य अनुसार कार्य नहीं किया गया है.



4. संस्था निर्वाचन कराने में असफल रही है.
5. संस्था द्वारा वार्षिक आमसभा का आयोजन नहीं किया गया है.
6. संस्था द्वारा विधिवत् रिकॉर्ड संधारित नहीं किया गया है.
7. संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है.
8. संस्था द्वारा निर्धारित समयावधि में वित्तीय पत्रक प्रस्तुत नहीं किये गये हैं.
9. प्रबंधकारिणी समिति एवं संस्था के सदस्यों का कार्य संचालन एवं प्रगति में कोई रुचि नहीं है.

इस कारण बताओ सूचना-पत्र से निर्देशित किया गया था कि सूचना-पत्र प्राप्त होने के 15 दिवस के अन्दर वर्णित आरोपों के सम्बन्ध में लिखित स्पष्टीकरण इस कार्यालय में प्रस्तुत करें अन्यथा समिति को परिसमापन में लाया जावेगा.

जारी कारण बताओ सूचना-पत्र का निर्धारित समयावधि में समिति द्वारा कोई भी लिखित प्रति उत्तर कार्यालय को प्रस्तुत नहीं किया गया.

पूर्व में सहायक पंजीयक, अंकेक्षण, होशंगाबाद द्वारा पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2014/105, होशंगाबाद, दिनांक 01 मार्च, 2014 के द्वारा 136 सहकारी समितियों को परिसमापन में लाने की अनुशंसा की थी. पुनः सहायक आयुक्त सहकारिता (अंकेक्षण) होशंगाबाद के कार्यालयीन पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2014/261, होशंगाबाद, दिनांक 01 अगस्त, 2014 से 179 समितियों द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम एवं संस्था उपविधियों में वर्णित प्रावधानों का पालन नहीं करने के कारण परिसमापन में लाने की अनुशंसा की गई है.

उपरोक्त कारणों से मेरा यह समाधान हो गया है कि समिति अकार्यशील है एवं आगे कोई कार्य करने हेतु इच्छुक नहीं है तथा समिति को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक है.

अतः मैं, काडमू पाटनकर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/ एफ-5-2-2010-15-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा पंजीयक की मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त वर्णित कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत शासकीय कर्मचारी गृह निर्माण सहकारी समिति मर्यादित, होशंगाबाद को परिसमापन में लाता हूँ एवं समिति की आस्तियों एवं देयताओं के निराकरण हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री प्रकाश बत्रा, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 05 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(215-V)

होशंगाबाद, दिनांक 07 मार्च, 2015

[ मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत ]

क्र./परि./2015/337.—रामेश्वर गृह निर्माण सहकारी समिति मर्यादित, होशंगाबाद, पंजीयन क्रमांक 2717, दिनांक..... को कार्यालय के पत्र क्रमांक/परिसमापन/2014/1286, दिनांक 07 अगस्त, 2014 द्वारा निम्नलिखित कारणों से परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था.—

1. संस्था ने अधिनियम, नियम तथा उपविधियों का पालन करना बंद कर दिया है.
2. संस्था द्वारा वर्षवार नियमित अंकेक्षण नहीं कराया गया है.
3. संस्था द्वारा पंजीकृत उपविधि में वर्णित उद्देश्य अनुसार कार्य नहीं किया गया है.
4. संस्था निर्वाचन कराने में असफल रही है.
5. संस्था द्वारा वार्षिक आमसभा का आयोजन नहीं किया गया है.
6. संस्था द्वारा विधिवत् रिकॉर्ड संधारित नहीं किया गया है.
7. संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है.
8. संस्था द्वारा निर्धारित समयावधि में वित्तीय पत्रक प्रस्तुत नहीं किये गये हैं.
9. प्रबंधकारिणी समिति एवं संस्था के सदस्यों का कार्य संचालन एवं प्रगति में कोई रुचि नहीं है.

इस कारण बताओ सूचना-पत्र से निर्देशित किया गया था कि सूचना-पत्र प्राप्त होने के 15 दिवस के अन्दर वर्णित आरोपों के सम्बन्ध में लिखित स्पष्टीकरण इस कार्यालय में प्रस्तुत करें अन्यथा समिति को परिसमापन में लाया जावेगा.

जारी कारण बताओ सूचना-पत्र का निर्धारित समयावधि में समिति द्वारा कोई भी लिखित प्रति उत्तर कार्यालय को प्रस्तुत नहीं किया गया।

पूर्व में सहायक पंजीयक, अंकेक्षण, होशंगाबाद द्वारा पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2014/105, होशंगाबाद, दिनांक 01 मार्च, 2014 के द्वारा 136 सहकारी समितियों को परिसमापन में लाने की अनुशंसा की थी। पुनः सहायक आयुक्त सहकारिता (अंकेक्षण) होशंगाबाद के कार्यालयीन पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2014/261, होशंगाबाद, दिनांक 01 अगस्त, 2014 से 179 समितियों द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम एवं संस्था उपविधियों में वर्णित प्रावधानों का पालन नहीं करने के कारण परिसमापन में लाने की अनुशंसा की गई है।

उपरोक्त कारणों से मेरा यह समाधान हो गया है कि समिति अकार्यशील है एवं आगे कोई कार्य करने हेतु इच्छुक नहीं है तथा समिति को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक है।

अतः मैं, काडमू पाटनकर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/ एफ-5-2-2010-15-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा पंजीयक की मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त वर्णित कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत रामेश्वर गृह निर्माण सहकारी समिति मर्यादित, होशंगाबाद को परिसमापन में लाता हूँ एवं समिति की आस्तियों एवं देयताओं के निराकरण हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री प्रकाश बत्रा, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 05 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(215-W)

होशंगाबाद, दिनांक 07 मार्च, 2015

[ मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत ]

क्र./परि./2015/337.—शक्तिगृह निर्माण सहकारी समिति मर्यादित, होशंगाबाद, पंजीयन क्रमांक 2817, दिनांक 18 अगस्त, 2004 को कार्यालय के पत्र क्रमांक/परिसमापन/2014/1286, दिनांक 07 अगस्त, 2014 द्वारा निम्नलिखित कारणों से परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था.—

1. संस्था ने अधिनियम, नियम तथा उपविधियों का पालन करना बंद कर दिया है।
2. संस्था द्वारा वर्षवार नियमित अंकेक्षण नहीं कराया गया है।
3. संस्था द्वारा पंजीकृत उपविधि में वर्णित उद्देश्य अनुसार कार्य नहीं किया गया है।
4. संस्था निर्वाचन कराने में असफल रही है।
5. संस्था द्वारा वार्षिक आमसभा का आयोजन नहीं किया गया है।
6. संस्था द्वारा विधिवत् रिकॉर्ड संधारित नहीं किया गया है।
7. संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है।
8. संस्था द्वारा निर्धारित समयावधि में वित्तीय पत्रक प्रस्तुत नहीं किये गये हैं।
9. प्रबंधकारिणी समिति एवं संस्था के सदस्यों का कार्य संचालन एवं प्रगति में कोई रुचि नहीं है।

इस कारण बताओ सूचना-पत्र से निर्देशित किया गया था कि सूचना-पत्र प्राप्त होने के 15 दिवस के अन्दर वर्णित आरोपों के सम्बन्ध में लिखित स्पष्टीकरण इस कार्यालय में प्रस्तुत करें अन्यथा समिति को परिसमापन में लाया जावेगा।

जारी कारण बताओ सूचना-पत्र का निर्धारित समयावधि में समिति द्वारा कोई भी लिखित प्रति उत्तर कार्यालय को प्रस्तुत नहीं किया गया।

पूर्व में सहायक पंजीयक, अंकेक्षण, होशंगाबाद द्वारा पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2014/105, होशंगाबाद, दिनांक 01 मार्च, 2014 के द्वारा 136 सहकारी समितियों को परिसमापन में लाने की अनुशंसा की थी। पुनः सहायक आयुक्त सहकारिता (अंकेक्षण) होशंगाबाद के कार्यालयीन पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2014/261, होशंगाबाद, दिनांक 01 अगस्त, 2014 से 179 समितियों द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम एवं संस्था उपविधियों में वर्णित प्रावधानों का पालन नहीं करने के कारण परिसमापन में लाने की अनुशंसा की गई है।

उपरोक्त कारणों से मेरा यह समाधान हो गया है कि समिति अकार्यशील है एवं आगे कोई कार्य करने हेतु इच्छुक नहीं है तथा समिति को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक है।

अतः मैं, काडमू पाटनकर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/ एफ-5-2-2010-15-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा पंजीयक की मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त वर्णित कारणों के आधार पर

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत शक्तिगृह निर्माण सहकारी समिति मर्यादित, होशंगाबाद को परिसमापन में लाता हूँ एवं समिति की आस्तियों एवं देयताओं के निराकरण हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री एस. के. पाठक, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 05 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(215-X)

होशंगाबाद, दिनांक 07 मार्च, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत ]

क्र./परि./2015/337.—मानस बैंक गृह निर्माण सहकारी समिति मर्यादित, इटारसी, पंजीयन क्रमांक 2431, दिनांक 14 मई, 1994 को कार्यालय के पत्र क्रमांक/परिसमापन/2014/1286, दिनांक 07 अगस्त, 2014 द्वारा निम्नलिखित कारणों से परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था.—

1. संस्था ने अधिनियम, नियम तथा उपविधियों का पालन करना बंद कर दिया है.
2. संस्था द्वारा वर्षवार नियमित अंकेक्षण नहीं कराया गया है.
3. संस्था द्वारा पंजीकृत उपविधि में वर्णित उद्देश्य अनुसार कार्य नहीं किया गया है.
4. संस्था निर्वाचन कराने में असफल रही है.
5. संस्था द्वारा वार्षिक आमसभा का आयोजन नहीं किया गया है.
6. संस्था द्वारा विधिवत् रिकॉर्ड संधारित नहीं किया गया है.
7. संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है.
8. संस्था द्वारा निर्धारित समयावधि में वित्तीय पत्रक प्रस्तुत नहीं किये गये हैं.
9. प्रबंधकारिणी समिति एवं संस्था के सदस्यों का कार्य संचालन एवं प्रगति में कोई रुचि नहीं है.

इस कारण बताओ सूचना-पत्र से निर्देशित किया गया था कि सूचना-पत्र प्राप्त होने के 15 दिवस के अन्दर वर्णित आरोपों के सम्बन्ध में लिखित स्पष्टीकरण इस कार्यालय में प्रस्तुत करें अन्यथा समिति को परिसमापन में लाया जावेगा.

जारी कारण बताओ सूचना-पत्र का निर्धारित समयावधि में समिति द्वारा कोई भी लिखित प्रति उत्तर कार्यालय को प्रस्तुत नहीं किया गया.

पूर्व में सहायक पंजीयक, अंकेक्षण, होशंगाबाद द्वारा पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2014/105, होशंगाबाद, दिनांक 01 मार्च, 2014 के द्वारा 136 सहकारी समितियों को परिसमापन में लाने की अनुशंसा की थी. पुनः सहायक आयुक्त सहकारिता (अंकेक्षण) होशंगाबाद के कार्यालयीन पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2014/261, होशंगाबाद, दिनांक 01 अगस्त, 2014 से 179 समितियों द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम एवं संस्था उपविधियों में वर्णित प्रावधानों का पालन नहीं करने के कारण परिसमापन में लाने की अनुशंसा की गई है.

उपरोक्त कारणों से मेरा यह समाधान हो गया है कि समिति अकार्यशील है एवं आगे कोई कार्य करने हेतु इच्छुक नहीं है तथा समिति को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक है.

अतः मैं, काडमू पाटनकर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/ एफ-5-2-2010-15-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा पंजीयक की मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त वर्णित कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत मानस बैंक गृह निर्माण सहकारी समिति मर्यादित, इटारसी को परिसमापन में लाता हूँ एवं समिति की आस्तियों एवं देयताओं के निराकरण हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री एस. के. पाठक, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 05 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(215-Y)

होशंगाबाद, दिनांक 07 मार्च, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत ]

क्र./परि./2015/337.—राज गृह निर्माण सहकारी समिति मर्यादित, होशंगाबाद, पंजीयन क्रमांक 2612, दिनांक 13 मई, 1996 को कार्यालय के पत्र क्रमांक/परिसमापन/2014/1286, दिनांक 07 अगस्त, 2014 द्वारा निम्नलिखित कारणों से परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ

सूचना-पत्र जारी किया गया था.—

1. संस्था ने अधिनियम, नियम तथा उपविधियों का पालन करना बंद कर दिया है।
2. संस्था द्वारा वर्षवार नियमित अंकेक्षण नहीं कराया गया है।
3. संस्था द्वारा पंजीकृत उपविधि में वर्णित उद्देश्य अनुसार कार्य नहीं किया गया है।
4. संस्था निर्वाचन कराने में असफल रही है।
5. संस्था द्वारा वार्षिक आमसभा का आयोजन नहीं किया गया है।
6. संस्था द्वारा विधिवत् रिकॉर्ड संधारित नहीं किया गया है।
7. संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है।
8. संस्था द्वारा निर्धारित समयावधि में वित्तीय पत्रक प्रस्तुत नहीं किये गये हैं।
9. प्रबंधकारिणी समिति एवं संस्था के सदस्यों का कार्य संचालन एवं प्रगति में कोई रुचि नहीं है।

इस कारण बताओ सूचना-पत्र से निर्देशित किया गया था कि सूचना-पत्र प्राप्त होने के 15 दिवस के अन्दर वर्णित आरोपों के सम्बन्ध में लिखित स्पष्टीकरण इस कार्यालय में प्रस्तुत करें अन्यथा समिति को परिसमापन में लाया जावेगा।

जारी कारण बताओ सूचना-पत्र का निर्धारित समयावधि में समिति द्वारा कोई भी लिखित प्रति उत्तर कार्यालय को प्रस्तुत नहीं किया गया।

पूर्व में सहायक पंजीयक, अंकेक्षण, होशंगाबाद द्वारा पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2014/105, होशंगाबाद, दिनांक 01 मार्च, 2014 के द्वारा 136 सहकारी समितियों को परिसमापन में लाने की अनुशंसा की थी। पुनः सहायक आयुक्त सहकारिता (अंकेक्षण) होशंगाबाद के कार्यालयीन पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2014/261, होशंगाबाद, दिनांक 01 अगस्त, 2014 से 179 समितियों द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम एवं संस्था उपविधियों में वर्णित प्रावधानों का पालन नहीं करने के कारण परिसमापन में लाने की अनुशंसा की गई है।

उपरोक्त कारणों से मेरा यह समाधान हो गया है कि समिति अकार्यशील है एवं आगे कोई कार्य करने हेतु इच्छुक नहीं है तथा समिति को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक है।

अतः मैं, काडमू पाटनकर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/ एफ-5-2-2010-15-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा पंजीयक की मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त वर्णित कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत राज गृह निर्माण सहकारी समिति मर्यादित, होशंगाबाद को परिसमापन में लाता हूँ एवं समिति की आस्तियों एवं देयताओं के निराकरण हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री बी. एस. सोलंकी, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 05 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(215-Z)

होशंगाबाद, दिनांक 07 मार्च, 2015

[ मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत ]

क्र./परि./2015/337.—संकल्प प्राथ. उप. भण्डार सहकारी समिति मर्यादित, इटारसी, पंजीयन क्रमांक 2350, दिनांक 21 जनवरी, 1996 को कार्यालय के पत्र क्रमांक/परिसमापन/2014/1286, दिनांक 07 अगस्त, 2014 द्वारा निम्नलिखित कारणों से परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था.—

1. संस्था ने अधिनियम, नियम तथा उपविधियों का पालन करना बंद कर दिया है।
2. संस्था द्वारा वर्षवार नियमित अंकेक्षण नहीं कराया गया है।
3. संस्था द्वारा पंजीकृत उपविधि में वर्णित उद्देश्य अनुसार कार्य नहीं किया गया है।
4. संस्था निर्वाचन कराने में असफल रही है।
5. संस्था द्वारा वार्षिक आमसभा का आयोजन नहीं किया गया है।
6. संस्था द्वारा विधिवत् रिकॉर्ड संधारित नहीं किया गया है।
7. संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है।

8. संस्था द्वारा निर्धारित समयावधि में वित्तीय पत्रक प्रस्तुत नहीं किये गये हैं.
9. प्रबंधकारिणी समिति एवं संस्था के सदस्यों का कार्य संचालन एवं प्रगति में कोई रुचि नहीं है.

इस कारण बताओ सूचना-पत्र से निर्देशित किया गया था कि सूचना-पत्र प्राप्त होने के 15 दिवस के अन्दर वर्णित आरोपों के सम्बन्ध में लिखित स्पष्टीकरण इस कार्यालय में प्रस्तुत करें अन्यथा समिति को परिसमापन में लाया जावेगा.

जारी कारण बताओ सूचना-पत्र का निर्धारित समयावधि में समिति द्वारा कोई भी लिखित प्रति उत्तर कार्यालय को प्रस्तुत नहीं किया गया.

पूर्व में सहायक पंजीयक, अंकेक्षण, होशंगाबाद द्वारा पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2014/105, होशंगाबाद, दिनांक 01 मार्च, 2014 के द्वारा 136 सहकारी समितियों को परिसमापन में लाने की अनुशंसा की थी. पुनः सहायक आयुक्त सहकारिता (अंकेक्षण) होशंगाबाद के कार्यालयीन पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2014/261, होशंगाबाद, दिनांक 01 अगस्त, 2014 से 179 समितियों द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम एवं संस्था उपविधियों में वर्णित प्रावधानों का पालन नहीं करने के कारण परिसमापन में लाने की अनुशंसा की गई है.

उपरोक्त कारणों से मेरा यह समाधान हो गया है कि समिति अकार्यशील है एवं आगे कोई कार्य करने हेतु इच्छुक नहीं है तथा समिति को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक है.

अतः मैं, काडमू पाटनकर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/ एफ-5-2-2010-15-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा पंजीयक की मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त वर्णित कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत संकल्प प्राथ. उप. भण्डार सहकारी समिति मर्यादित, इटारसी को परिसमापन में लाता हूँ एवं समिति की आस्तियों एवं देयताओं के निराकरण हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री प्रमोद राय, उप-अंकेक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 05 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(216)

होशंगाबाद, दिनांक 07 मार्च, 2015

[ मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत ]

क्र./परि./2015/337.—डॉ. अम्बेडकर प्राथ. भण्डार सहकारी समिति मर्यादित, इटारसी, पंजीयन क्रमांक 2467, दिनांक 08 जनवरी, 1995 को कार्यालय के पत्र क्रमांक/परिसमापन/2014/1286, दिनांक 07 अगस्त, 2014 द्वारा निम्नलिखित कारणों से परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था.—

1. संस्था ने अधिनियम, नियम तथा उपविधियों का पालन करना बंद कर दिया है.
2. संस्था द्वारा वर्षवार नियमित अंकेक्षण नहीं कराया गया है.
3. संस्था द्वारा पंजीकृत उपविधि में वर्णित उद्देश्य अनुसार कार्य नहीं किया गया है.
4. संस्था निर्वाचन कराने में असफल रही है.
5. संस्था द्वारा वार्षिक आमसभा का आयोजन नहीं किया गया है.
6. संस्था द्वारा विधिवत् रिकॉर्ड संधारित नहीं किया गया है.
7. संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है.
8. संस्था द्वारा निर्धारित समयावधि में वित्तीय पत्रक प्रस्तुत नहीं किये गये हैं.
9. प्रबंधकारिणी समिति एवं संस्था के सदस्यों का कार्य संचालन एवं प्रगति में कोई रुचि नहीं है.

इस कारण बताओ सूचना-पत्र से निर्देशित किया गया था कि सूचना-पत्र प्राप्त होने के 15 दिवस के अन्दर वर्णित आरोपों के सम्बन्ध में लिखित स्पष्टीकरण इस कार्यालय में प्रस्तुत करें अन्यथा समिति को परिसमापन में लाया जावेगा.

जारी कारण बताओ सूचना-पत्र का निर्धारित समयावधि में समिति द्वारा कोई भी लिखित प्रति उत्तर कार्यालय को प्रस्तुत नहीं किया गया.

पूर्व में सहायक पंजीयक, अंकेक्षण, होशंगाबाद द्वारा पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2014/105, होशंगाबाद, दिनांक 01 मार्च, 2014 के द्वारा 136 सहकारी समितियों को परिसमापन में लाने की अनुशंसा की थी. पुनः सहायक आयुक्त सहकारिता (अंकेक्षण) होशंगाबाद के कार्यालयीन पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2014/261, होशंगाबाद, दिनांक 01 अगस्त, 2014 से 179 समितियों द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम एवं संस्था उपविधियों में वर्णित प्रावधानों का पालन नहीं करने के कारण परिसमापन में लाने की अनुशंसा की गई है.

उपरोक्त कारणों से मेरा यह समाधान हो गया है कि समिति अकार्यशील है एवं आगे कोई कार्य करने हेतु इच्छुक नहीं है तथा समिति को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक है।

अतः मैं, काडमू पाटनकर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/ एफ-5-2-2010-15-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा पंजीयक की मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त वर्णित कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत डॉ. अम्बेडकर प्राथ. भण्डार सहकारी समिति मर्यादित, इटारसी को परिसमापन में लाता हूँ एवं समिति की आस्तियों एवं देयताओं के निराकरण हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री प्रमोद राय, उप-अंकेक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 05 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(216-A)

होशंगाबाद, दिनांक 07 मार्च, 2015

[ मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत ]

क्र./परि./2015/337.—दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, बुधनी, पंजीयन क्रमांक 2882, दिनांक 23 दिसम्बर, 2005 को कार्यालय के पत्र क्रमांक/परिसमापन/2014/1286, दिनांक 07 अगस्त, 2014 द्वारा निम्नलिखित कारणों से परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था.—

1. संस्था ने अधिनियम, नियम तथा उपविधियों का पालन करना बंद कर दिया है।
2. संस्था द्वारा वर्षवार नियमित अंकेक्षण नहीं कराया गया है।
3. संस्था द्वारा पंजीकृत उपविधि में वर्णित उद्देश्य अनुसार कार्य नहीं किया गया है।
4. संस्था निर्वाचन कराने में असफल रही है।
5. संस्था द्वारा वार्षिक आमसभा का आयोजन नहीं किया गया है।
6. संस्था द्वारा विधिवत् रिकॉर्ड संधारित नहीं किया गया है।
7. संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है।
8. संस्था द्वारा निर्धारित समयावधि में वित्तीय पत्रक प्रस्तुत नहीं किये गये हैं।
9. प्रबंधकारिणी समिति एवं संस्था के सदस्यों का कार्य संचालन एवं प्रगति में कोई रुचि नहीं है।

इस कारण बताओ सूचना-पत्र से निर्देशित किया गया था कि सूचना-पत्र प्राप्त होने के 15 दिवस के अन्दर वर्णित आरोपों के सम्बन्ध में लिखित स्पष्टीकरण इस कार्यालय में प्रस्तुत करें अन्यथा समिति को परिसमापन में लाया जावेगा।

जारी कारण बताओ सूचना-पत्र का निर्धारित समयावधि में समिति द्वारा कोई भी लिखित प्रति उत्तर कार्यालय को प्रस्तुत नहीं किया गया।

पूर्व में सहायक पंजीयक, अंकेक्षण, होशंगाबाद द्वारा पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2014/105, होशंगाबाद, दिनांक 01 मार्च, 2014 के द्वारा 136 सहकारी समितियों को परिसमापन में लाने की अनुशंसा की थी। पुनः सहायक आयुक्त सहकारिता (अंकेक्षण) होशंगाबाद के कार्यालयीन पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2014/261, होशंगाबाद, दिनांक 01 अगस्त, 2014 से 179 समितियों द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम एवं संस्था उपविधियों में वर्णित प्रावधानों का पालन नहीं करने के कारण परिसमापन में लाने की अनुशंसा की गई है।

उपरोक्त कारणों से मेरा यह समाधान हो गया है कि समिति अकार्यशील है एवं आगे कोई कार्य करने हेतु इच्छुक नहीं है तथा समिति को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक है।

अतः मैं, काडमू पाटनकर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/ एफ-5-2-2010-15-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा पंजीयक की मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त वर्णित कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, बुधनी को परिसमापन में लाता हूँ एवं समिति की आस्तियों एवं देयताओं के निराकरण हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री प्रकाश बत्रा, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 05 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(216-B)

होशंगाबाद, दिनांक 07 मार्च, 2015

[ मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत ]

क्र./परि./2015/337.—दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, मोहासा, पंजीयन क्रमांक 2745, दिनांक 08 जनवरी, 2002 को कार्यालय के पत्र क्रमांक/परिसमापन/2014/1286, दिनांक 07 अगस्त, 2014 द्वारा निम्नलिखित कारणों से परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था.—

1. संस्था ने अधिनियम, नियम तथा उपविधियों का पालन करना बंद कर दिया है.
2. संस्था द्वारा वर्षवार नियमित अंकेक्षण नहीं कराया गया है.
3. संस्था द्वारा पंजीकृत उपविधि में वर्णित उद्देश्य अनुसार कार्य नहीं किया गया है.
4. संस्था निर्वाचन कराने में असफल रही है.
5. संस्था द्वारा वार्षिक आमसभा का आयोजन नहीं किया गया है.
6. संस्था द्वारा विधिवत् रिकॉर्ड संधारित नहीं किया गया है.
7. संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है.
8. संस्था द्वारा निर्धारित समयावधि में वित्तीय पत्रक प्रस्तुत नहीं किये गये हैं.
9. प्रबंधकारिणी समिति एवं संस्था के सदस्यों का कार्य संचालन एवं प्रगति में कोई रुचि नहीं है.

इस कारण बताओ सूचना-पत्र से निर्देशित किया गया था कि सूचना-पत्र प्राप्त होने के 15 दिवस के अन्दर वर्णित आरोपों के सम्बन्ध में लिखित स्पष्टीकरण इस कार्यालय में प्रस्तुत करें अन्यथा समिति को परिसमापन में लाया जावेगा.

जारी कारण बताओ सूचना-पत्र का निर्धारित समयावधि में समिति द्वारा कोई भी लिखित प्रति उत्तर कार्यालय को प्रस्तुत नहीं किया गया.

पूर्व में सहायक पंजीयक, अंकेक्षण, होशंगाबाद द्वारा पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2014/105, होशंगाबाद, दिनांक 01 मार्च, 2014 के द्वारा 136 सहकारी समितियों को परिसमापन में लाने की अनुशंसा की थी. पुनः सहायक आयुक्त सहकारिता (अंकेक्षण) होशंगाबाद के कार्यालयीन पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2014/261, होशंगाबाद, दिनांक 01 अगस्त, 2014 से 179 समितियों द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम एवं संस्था उपविधियों में वर्णित प्रावधानों का पालन नहीं करने के कारण परिसमापन में लाने की अनुशंसा की गई है.

उपरोक्त कारणों से मेरा यह समाधान हो गया है कि समिति अकार्यशील है एवं आगे कोई कार्य करने हेतु इच्छुक नहीं है तथा समिति को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक है.

अतः मैं, काडमू पाटनकर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/ एफ-5-2-2010-15-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा पंजीयक की मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त वर्णित कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, मोहासा को परिसमापन में लाता हूँ एवं समिति की आस्तियों एवं देयताओं के निराकरण हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री प्रकाश बत्रा, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 05 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(216-C)

होशंगाबाद, दिनांक 07 मार्च, 2015

[ मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत ]

क्र./परि./2015/337.—दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, सौसरखेड़ा, पंजीयन क्रमांक 2749, दिनांक 08 जनवरी, 2002 को कार्यालय के पत्र क्रमांक/परिसमापन/2014/1286, दिनांक 07 अगस्त, 2014 द्वारा निम्नलिखित कारणों से परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था.—

1. संस्था ने अधिनियम, नियम तथा उपविधियों का पालन करना बंद कर दिया है.
2. संस्था द्वारा वर्षवार नियमित अंकेक्षण नहीं कराया गया है.
3. संस्था द्वारा पंजीकृत उपविधि में वर्णित उद्देश्य अनुसार कार्य नहीं किया गया है.

4. संस्था निर्वाचन कराने में असफल रही है.
5. संस्था द्वारा वार्षिक आमसभा का आयोजन नहीं किया गया है.
6. संस्था द्वारा विधिवत् रिकॉर्ड संधारित नहीं किया गया है.
7. संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है.
8. संस्था द्वारा निर्धारित समयावधि में वित्तीय पत्रक प्रस्तुत नहीं किये गये हैं.
9. प्रबंधकारिणी समिति एवं संस्था के सदस्यों का कार्य संचालन एवं प्रगति में कोई रुचि नहीं है.

इस कारण बताओ सूचना-पत्र से निर्देशित किया गया था कि सूचना-पत्र प्राप्त होने के 15 दिवस के अन्दर वर्णित आरोपों के सम्बन्ध में लिखित स्पष्टीकरण इस कार्यालय में प्रस्तुत करें अन्यथा समिति को परिसमापन में लाया जावेगा.

जारी कारण बताओ सूचना-पत्र का निर्धारित समयावधि में समिति द्वारा कोई भी लिखित प्रति उत्तर कार्यालय को प्रस्तुत नहीं किया गया.

पूर्व में सहायक पंजीयक, अंकेक्षण, होशंगाबाद द्वारा पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2014/105, होशंगाबाद, दिनांक 01 मार्च, 2014 के द्वारा 136 सहकारी समितियों को परिसमापन में लाने की अनुशंसा की थी. पुनः सहायक आयुक्त सहकारिता (अंकेक्षण) होशंगाबाद के कार्यालयीन पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2014/261, होशंगाबाद, दिनांक 01 अगस्त, 2014 से 179 समितियों द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम एवं संस्था उपविधियों में वर्णित प्रावधानों का पालन नहीं करने के कारण परिसमापन में लाने की अनुशंसा की गई है.

उपरोक्त कारणों से मेरा यह समाधान हो गया है कि समिति अकार्यशील है एवं आगे कोई कार्य करने हेतु इच्छुक नहीं है तथा समिति को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक है.

अतः मैं, काडमू पाटनकर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/ एफ-5-2-2010-15-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा पंजीयक की मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त वर्णित कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, सौसरखेड़ा को परिसमापन में लाता हूँ एवं समिति की आस्तियों एवं देयताओं के निराकरण हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री प्रकाश बत्रा, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 05 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(216-D)

होशंगाबाद, दिनांक 07 मार्च, 2015

[ मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत ]

क्र./परि./2015/337.—दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, समनापुर, पंजीयन क्रमांक 2754, दिनांक 08 जनवरी, 2002 को कार्यालय के पत्र क्रमांक/परिसमापन/2014/1286, दिनांक 07 अगस्त, 2014 द्वारा निम्नलिखित कारणों से परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था.—

1. संस्था ने अधिनियम, नियम तथा उपविधियों का पालन करना बंद कर दिया है.
2. संस्था द्वारा वर्षवार नियमित अंकेक्षण नहीं कराया गया है.
3. संस्था द्वारा पंजीकृत उपविधि में वर्णित उद्देश्य अनुसार कार्य नहीं किया गया है.
4. संस्था निर्वाचन कराने में असफल रही है.
5. संस्था द्वारा वार्षिक आमसभा का आयोजन नहीं किया गया है.
6. संस्था द्वारा विधिवत् रिकॉर्ड संधारित नहीं किया गया है.
7. संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है.
8. संस्था द्वारा निर्धारित समयावधि में वित्तीय पत्रक प्रस्तुत नहीं किये गये हैं.
9. प्रबंधकारिणी समिति एवं संस्था के सदस्यों का कार्य संचालन एवं प्रगति में कोई रुचि नहीं है.

इस कारण बताओ सूचना-पत्र से निर्देशित किया गया था कि सूचना-पत्र प्राप्त होने के 15 दिवस के अन्दर वर्णित आरोपों के सम्बन्ध में लिखित स्पष्टीकरण इस कार्यालय में प्रस्तुत करें अन्यथा समिति को परिसमापन में लाया जावेगा.



जारी कारण बताओ सूचना-पत्र का निर्धारित समयावधि में समिति द्वारा कोई भी लिखित प्रति उत्तर कार्यालय को प्रस्तुत नहीं किया गया।

पूर्व में सहायक पंजीयक, अंकेक्षण, होशंगाबाद द्वारा पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2014/105, होशंगाबाद, दिनांक 01 मार्च, 2014 के द्वारा 136 सहकारी समितियों को परिसमापन में लाने की अनुशंसा की थी। पुनः सहायक आयुक्त सहकारिता (अंकेक्षण) होशंगाबाद के कार्यालयीन पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2014/261, होशंगाबाद, दिनांक 01 अगस्त, 2014 से 179 समितियों द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम एवं संस्था उपविधियों में वर्णित प्रावधानों का पालन नहीं करने के कारण परिसमापन में लाने की अनुशंसा की गई है।

उपरोक्त कारणों से मेरा यह समाधान हो गया है कि समिति अकार्यशील है एवं आगे कोई कार्य करने हेतु इच्छुक नहीं है तथा समिति को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक है।

अतः मैं, काडमू पाटनकर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/ एफ-5-2-2010-15-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा पंजीयक की मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त वर्णित कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, समनापुर को परिसमापन में लाता हूँ एवं समिति की आस्तियों एवं देयताओं के निराकरण हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री जी. पी. गहलोद, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 05 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(216-E)

होशंगाबाद, दिनांक 07 मार्च, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत ]

क्र./परि./2015/337.—दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, पचुआ, पंजीयन क्रमांक 2802, दिनांक 13 अप्रैल, 2004 को कार्यालय के पत्र क्रमांक/परिसमापन/2014/1286, दिनांक 07 अगस्त, 2014 द्वारा निम्नलिखित कारणों से परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था.—

1. संस्था ने अधिनियम, नियम तथा उपविधियों का पालन करना बंद कर दिया है।
2. संस्था द्वारा वर्षवार नियमित अंकेक्षण नहीं कराया गया है।
3. संस्था द्वारा पंजीकृत उपविधि में वर्णित उद्देश्य अनुसार कार्य नहीं किया गया है।
4. संस्था निर्वाचन कराने में असफल रही है।
5. संस्था द्वारा वार्षिक आमसभा का आयोजन नहीं किया गया है।
6. संस्था द्वारा विधिवत् रिकॉर्ड संधारित नहीं किया गया है।
7. संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है।
8. संस्था द्वारा निर्धारित समयावधि में वित्तीय पत्रक प्रस्तुत नहीं किये गये हैं।
9. प्रबंधकारिणी समिति एवं संस्था के सदस्यों का कार्य संचालन एवं प्रगति में कोई रुचि नहीं है।

इस कारण बताओ सूचना-पत्र से निर्देशित किया गया था कि सूचना-पत्र प्राप्त होने के 15 दिवस के अन्दर वर्णित आरोपों के सम्बन्ध में लिखित स्पष्टीकरण इस कार्यालय में प्रस्तुत करें अन्यथा समिति को परिसमापन में लाया जावेगा।

जारी कारण बताओ सूचना-पत्र का निर्धारित समयावधि में समिति द्वारा कोई भी लिखित प्रति उत्तर कार्यालय को प्रस्तुत नहीं किया गया।

पूर्व में सहायक पंजीयक, अंकेक्षण, होशंगाबाद द्वारा पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2014/105, होशंगाबाद, दिनांक 01 मार्च, 2014 के द्वारा 136 सहकारी समितियों को परिसमापन में लाने की अनुशंसा की थी। पुनः सहायक आयुक्त सहकारिता (अंकेक्षण) होशंगाबाद के कार्यालयीन पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2014/261, होशंगाबाद, दिनांक 01 अगस्त, 2014 से 179 समितियों द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम एवं संस्था उपविधियों में वर्णित प्रावधानों का पालन नहीं करने के कारण परिसमापन में लाने की अनुशंसा की गई है।

उपरोक्त कारणों से मेरा यह समाधान हो गया है कि समिति अकार्यशील है एवं आगे कोई कार्य करने हेतु इच्छुक नहीं है तथा समिति को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक है।

अतः मैं, काडमू पाटनकर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/ एफ-5-2-2010-15-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा पंजीयक की मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त वर्णित कारणों के आधार पर

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, पचुआ को परिसमापन में लाता हूँ एवं समिति की आस्तियों एवं देयताओं के निराकरण हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री एस. एस. पगारे, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 05 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(216-F)

होशंगाबाद, दिनांक 07 मार्च, 2015

[ मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत ]

क्र./परि./2015/337.—माँ वैष्णव क्रय-विक्रय सहकारी समिति मर्यादित, पिपरिया (वन्दीछोड़), पंजीयन क्रमांक 3047, दिनांक 29 अप्रैल, 2010 को कार्यालय के पत्र क्रमांक/परिसमापन/2014/1286, दिनांक 07 अगस्त, 2014 द्वारा निम्नलिखित कारणों से परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था.—

1. संस्था ने अधिनियम, नियम तथा उपविधियों का पालन करना बंद कर दिया है.
2. संस्था द्वारा वर्षवार नियमित अंकेक्षण नहीं कराया गया है.
3. संस्था द्वारा पंजीकृत उपविधि में वर्णित उद्देश्य अनुसार कार्य नहीं किया गया है.
4. संस्था निर्वाचन कराने में असफल रही है.
5. संस्था द्वारा वार्षिक आमसभा का आयोजन नहीं किया गया है.
6. संस्था द्वारा विधिवत् रिकॉर्ड संधारित नहीं किया गया है.
7. संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है.
8. संस्था द्वारा निर्धारित समयावधि में वित्तीय पत्रक प्रस्तुत नहीं किये गये हैं.
9. प्रबंधकारिणी समिति एवं संस्था के सदस्यों का कार्य संचालन एवं प्रगति में कोई रुचि नहीं है.

इस कारण बताओ सूचना-पत्र से निर्देशित किया गया था कि सूचना-पत्र प्राप्त होने के 15 दिवस के अन्दर वर्णित आरोपों के सम्बन्ध में लिखित स्पष्टीकरण इस कार्यालय में प्रस्तुत करें अन्यथा समिति को परिसमापन में लाया जावेगा.

जारी कारण बताओ सूचना-पत्र का निर्धारित समयावधि में समिति द्वारा कोई भी लिखित प्रति उत्तर कार्यालय को प्रस्तुत नहीं किया गया.

पूर्व में सहायक पंजीयक, अंकेक्षण, होशंगाबाद द्वारा पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2014/105, होशंगाबाद, दिनांक 01 मार्च, 2014 के द्वारा 136 सहकारी समितियों को परिसमापन में लाने की अनुशंसा की थी. पुनः सहायक आयुक्त सहकारिता (अंकेक्षण) होशंगाबाद के कार्यालयीन पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2014/261, होशंगाबाद, दिनांक 01 अगस्त, 2014 से 179 समितियों द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम एवं संस्था उपविधियों में वर्णित प्रावधानों का पालन नहीं करने के कारण परिसमापन में लाने की अनुशंसा की गई है.

उपरोक्त कारणों से मेरा यह समाधान हो गया है कि समिति अकार्यशील है एवं आगे कोई कार्य करने हेतु इच्छुक नहीं है तथा समिति को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक है.

अतः मैं, काडमू पाटनकर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/ एफ-5-2-2010-15-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा पंजीयक की मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त वर्णित कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत माँ वैष्णव क्रय-विक्रय सहकारी समिति मर्यादित, पिपरिया (वन्दीछोड़) को परिसमापन में लाता हूँ एवं समिति की आस्तियों एवं देयताओं के निराकरण हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री एस. एस. पगारे, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 05 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(216-G)

होशंगाबाद, दिनांक 07 मार्च, 2015

[ मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत ]

क्र./परि./2015/337.—विन्ध्याचल साख सहकारी समिति मर्यादित, होशंगाबाद, पंजीयन क्रमांक 45, दिनांक 15 अक्टूबर, 2003 को कार्यालय के पत्र क्रमांक/परिसमापन/2014/1286, दिनांक 07 अगस्त, 2014 द्वारा निम्नलिखित कारणों से परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ

सूचना-पत्र जारी किया गया था.—

1. संस्था ने अधिनियम, नियम तथा उपविधियों का पालन करना बंद कर दिया है.
2. संस्था द्वारा वर्षवार नियमित अंकेक्षण नहीं कराया गया है.
3. संस्था द्वारा पंजीकृत उपविधि में वर्णित उद्देश्य अनुसार कार्य नहीं किया गया है.
4. संस्था निर्वाचन कराने में असफल रही है.
5. संस्था द्वारा वार्षिक आमसभा का आयोजन नहीं किया गया है.
6. संस्था द्वारा विधिवत् रिकॉर्ड संधारित नहीं किया गया है.
7. संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है.
8. संस्था द्वारा निर्धारित समयावधि में वित्तीय पत्रक प्रस्तुत नहीं किये गये हैं.
9. प्रबंधकारिणी समिति एवं संस्था के सदस्यों का कार्य संचालन एवं प्रगति में कोई रुचि नहीं है.

इस कारण बताओ सूचना-पत्र से निर्देशित किया गया था कि सूचना-पत्र प्राप्त होने के 15 दिवस के अन्दर वर्णित आरोपों के सम्बन्ध में लिखित स्पष्टीकरण इस कार्यालय में प्रस्तुत करें अन्यथा समिति को परिसमापन में लाया जावेगा.

जारी कारण बताओ सूचना-पत्र का निर्धारित समयावधि में समिति द्वारा कोई भी लिखित प्रति उत्तर कार्यालय को प्रस्तुत नहीं किया गया.

पूर्व में सहायक पंजीयक, अंकेक्षण, होशंगाबाद द्वारा पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2014/105, होशंगाबाद, दिनांक 01 मार्च, 2014 के द्वारा 136 सहकारी समितियों को परिसमापन में लाने की अनुशंसा की थी. पुनः सहायक आयुक्त सहकारिता (अंकेक्षण) होशंगाबाद के कार्यालयीन पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2014/261, होशंगाबाद, दिनांक 01 अगस्त, 2014 से 179 समितियों द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम एवं संस्था उपविधियों में वर्णित प्रावधानों का पालन नहीं करने के कारण परिसमापन में लाने की अनुशंसा की गई है.

उपरोक्त कारणों से मेरा यह समाधान हो गया है कि समिति अकार्यशील है एवं आगे कोई कार्य करने हेतु इच्छुक नहीं है तथा समिति को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक है.

अतः मैं, काडमू पाटनकर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/ एफ-5-2-2010-15-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा पंजीयक की मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त वर्णित कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत विन्ध्याचल साख सहकारी समिति मर्यादित, होशंगाबाद को परिसमापन में लाता हूँ एवं समिति की आस्तियों एवं देयताओं के निराकरण हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री प्रमोद राय, उप-अंकेक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 05 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(216-H)

होशंगाबाद, दिनांक 07 मार्च, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2015/337.—जय अम्बे पौध क्रय-विक्रय सहकारी समिति मर्यादित, पिपल्याकला, पंजीयन क्रमांक 3009, दिनांक 23 सितम्बर, 2008 को कार्यालय के पत्र क्रमांक/परिसमापन/2014/1286, दिनांक 07 अगस्त, 2014 द्वारा निम्नलिखित कारणों से परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था.—

1. संस्था ने अधिनियम, नियम तथा उपविधियों का पालन करना बंद कर दिया है.
2. संस्था द्वारा वर्षवार नियमित अंकेक्षण नहीं कराया गया है.
3. संस्था द्वारा पंजीकृत उपविधि में वर्णित उद्देश्य अनुसार कार्य नहीं किया गया है.
4. संस्था निर्वाचन कराने में असफल रही है.
5. संस्था द्वारा वार्षिक आमसभा का आयोजन नहीं किया गया है.
6. संस्था द्वारा विधिवत् रिकॉर्ड संधारित नहीं किया गया है.
7. संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है.

8. संस्था द्वारा निर्धारित समयावधि में वित्तीय पत्रक प्रस्तुत नहीं किये गये हैं.
9. प्रबंधकारिणी समिति एवं संस्था के सदस्यों का कार्य संचालन एवं प्रगति में कोई रुचि नहीं है.

इस कारण बताओ सूचना-पत्र से निर्देशित किया गया था कि सूचना-पत्र प्राप्त होने के 15 दिवस के अन्दर वर्णित आरोपों के सम्बन्ध में लिखित स्पष्टीकरण इस कार्यालय में प्रस्तुत करें अन्यथा समिति को परिसमापन में लाया जावेगा.

जारी कारण बताओ सूचना-पत्र का निर्धारित समयावधि में समिति द्वारा कोई भी लिखित प्रति उत्तर कार्यालय को प्रस्तुत नहीं किया गया.

पूर्व में सहायक पंजीयक, अंकेक्षण, होशंगाबाद द्वारा पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2014/105, होशंगाबाद, दिनांक 01 मार्च, 2014 के द्वारा 136 सहकारी समितियों को परिसमापन में लाने की अनुशंसा की थी. पुनः सहायक आयुक्त सहकारिता (अंकेक्षण) होशंगाबाद के कार्यालयीन पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2014/261, होशंगाबाद, दिनांक 01 अगस्त, 2014 से 179 समितियों द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम एवं संस्था उपविधियों में वर्णित प्रावधानों का पालन नहीं करने के कारण परिसमापन में लाने की अनुशंसा की गई है.

उपरोक्त कारणों से मेरा यह समाधान हो गया है कि समिति अकार्यशील है एवं आगे कोई कार्य करने हेतु इच्छुक नहीं है तथा समिति को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक है.

अतः मैं, काडमू पाटनकर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/ एफ-5-2-2010-15-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा पंजीयक की मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त वर्णित कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत जय अम्बे पौध क्रय-विक्रय सहकारी समिति मर्यादित, पिपल्याकला को परिसमापन में लाता हूँ एवं समिति की आस्तियों एवं देयताओं के निराकरण हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री प्रमोद राय, उप-अंकेक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 05 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(216-I)

होशंगाबाद, दिनांक 07 मार्च, 2015

[ मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत ]

क्र./परि./2015/337.—गायत्री साख सहकारी समिति मर्यादित, इटारसी, पंजीयन क्रमांक 21, दिनांक 03 जनवरी, 2003 को कार्यालय के पत्र क्रमांक/परिसमापन/2014/1286, दिनांक 07 अगस्त, 2014 द्वारा निम्नलिखित कारणों से परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था.—

1. संस्था ने अधिनियम, नियम तथा उपविधियों का पालन करना बंद कर दिया है.
2. संस्था द्वारा वर्षवार नियमित अंकेक्षण नहीं कराया गया है.
3. संस्था द्वारा पंजीकृत उपविधि में वर्णित उद्देश्य अनुसार कार्य नहीं किया गया है.
4. संस्था निर्वाचन कराने में असफल रही है.
5. संस्था द्वारा वार्षिक आमसभा का आयोजन नहीं किया गया है.
6. संस्था द्वारा विधिवत् रिकॉर्ड संधारित नहीं किया गया है.
7. संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है.
8. संस्था द्वारा निर्धारित समयावधि में वित्तीय पत्रक प्रस्तुत नहीं किये गये हैं.
9. प्रबंधकारिणी समिति एवं संस्था के सदस्यों का कार्य संचालन एवं प्रगति में कोई रुचि नहीं है.

इस कारण बताओ सूचना-पत्र से निर्देशित किया गया था कि सूचना-पत्र प्राप्त होने के 15 दिवस के अन्दर वर्णित आरोपों के सम्बन्ध में लिखित स्पष्टीकरण इस कार्यालय में प्रस्तुत करें अन्यथा समिति को परिसमापन में लाया जावेगा.

जारी कारण बताओ सूचना-पत्र का निर्धारित समयावधि में समिति द्वारा कोई भी लिखित प्रति उत्तर कार्यालय को प्रस्तुत नहीं किया गया.

पूर्व में सहायक पंजीयक, अंकेक्षण, होशंगाबाद द्वारा पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2014/105, होशंगाबाद, दिनांक 01 मार्च, 2014 के द्वारा 136 सहकारी समितियों को परिसमापन में लाने की अनुशंसा की थी. पुनः सहायक आयुक्त सहकारिता (अंकेक्षण) होशंगाबाद के कार्यालयीन पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2014/261, होशंगाबाद, दिनांक 01 अगस्त, 2014 से 179 समितियों द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम एवं संस्था उपविधियों में वर्णित प्रावधानों का पालन नहीं करने के कारण परिसमापन में लाने की अनुशंसा की गई है.

उपरोक्त कारणों से मेरा यह समाधान हो गया है कि समिति अकार्यशील है एवं आगे कोई कार्य करने हेतु इच्छुक नहीं है तथा समिति को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक है।

अतः मैं, काडमू पाटनकर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/ एफ-5-2-2010-15-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा पंजीयक की मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त वर्णित कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत गायत्री साख सहकारी समिति मर्यादित, इटारसी को परिसमापन में लाता हूँ एवं समिति की आस्तियों एवं देयताओं के निराकरण हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत कु. विनीता चौधरी, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 05 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(216-J)

होशंगाबाद, दिनांक 07 मार्च, 2015

[ मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत ]

क्र./परि./2015/337.—महाराष्ट्र साख सहकारी समिति मर्यादित, इटारसी, पंजीयन क्रमांक 48, दिनांक 30 दिसम्बर, 2003 को कार्यालय के पत्र क्रमांक/परिसमापन/2014/1286, दिनांक 07 अगस्त, 2014 द्वारा निम्नलिखित कारणों से परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था.—

1. संस्था ने अधिनियम, नियम तथा उपविधियों का पालन करना बंद कर दिया है।
2. संस्था द्वारा वर्षवार नियमित अंकेक्षण नहीं कराया गया है।
3. संस्था द्वारा पंजीकृत उपविधि में वर्णित उद्देश्य अनुसार कार्य नहीं किया गया है।
4. संस्था निर्वाचन कराने में असफल रही है।
5. संस्था द्वारा वार्षिक आमसभा का आयोजन नहीं किया गया है।
6. संस्था द्वारा विधिवत् रिकॉर्ड संधारित नहीं किया गया है।
7. संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है।
8. संस्था द्वारा निर्धारित समयावधि में वित्तीय पत्रक प्रस्तुत नहीं किये गये हैं।
9. प्रबंधकारिणी समिति एवं संस्था के सदस्यों का कार्य संचालन एवं प्रगति में कोई रुचि नहीं है।

इस कारण बताओ सूचना-पत्र से निर्देशित किया गया था कि सूचना-पत्र प्राप्त होने के 15 दिवस के अन्दर वर्णित आरोपों के सम्बन्ध में लिखित स्पष्टीकरण इस कार्यालय में प्रस्तुत करें अन्यथा समिति को परिसमापन में लाया जावेगा।

जारी कारण बताओ सूचना-पत्र का निर्धारित समयावधि में समिति द्वारा कोई भी लिखित प्रति उत्तर कार्यालय को प्रस्तुत नहीं किया गया।

पूर्व में सहायक पंजीयक, अंकेक्षण, होशंगाबाद द्वारा पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2014/105, होशंगाबाद, दिनांक 01 मार्च, 2014 के द्वारा 136 सहकारी समितियों को परिसमापन में लाने की अनुशंसा की थी। पुनः सहायक आयुक्त सहकारिता (अंकेक्षण) होशंगाबाद के कार्यालयीन पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2014/261, होशंगाबाद, दिनांक 01 अगस्त, 2014 से 179 समितियों द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम एवं संस्था उपविधियों में वर्णित प्रावधानों का पालन नहीं करने के कारण परिसमापन में लाने की अनुशंसा की गई है।

उपरोक्त कारणों से मेरा यह समाधान हो गया है कि समिति अकार्यशील है एवं आगे कोई कार्य करने हेतु इच्छुक नहीं है तथा समिति को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक है।

अतः मैं, काडमू पाटनकर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/ एफ-5-2-2010-15-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा पंजीयक की मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त वर्णित कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत महाराष्ट्र साख सहकारी समिति मर्यादित, इटारसी को परिसमापन में लाता हूँ एवं समिति की आस्तियों एवं देयताओं के निराकरण हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत कु. विनीता चौधरी, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 05 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(216-K)

होशंगाबाद, दिनांक 07 मार्च, 2015

[ मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत ]

क्र./परि./2015/337.—श्री कृष्ण बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, सामोन, पंजीयन क्रमांक 2919, दिनांक 01 मार्च, 2007 को कार्यालय के पत्र क्रमांक/परिसमापन/2014/1286, दिनांक 07 अगस्त, 2014 द्वारा निम्नलिखित कारणों से परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था.—

1. संस्था ने अधिनियम, नियम तथा उपविधियों का पालन करना बंद कर दिया है.
2. संस्था द्वारा वर्षवार नियमित अंकेक्षण नहीं कराया गया है.
3. संस्था द्वारा पंजीकृत उपविधि में वर्णित उद्देश्य अनुसार कार्य नहीं किया गया है.
4. संस्था निर्वाचन कराने में असफल रही है.
5. संस्था द्वारा वार्षिक आमसभा का आयोजन नहीं किया गया है.
6. संस्था द्वारा विधिवत् रिकॉर्ड संधारित नहीं किया गया है.
7. संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है.
8. संस्था द्वारा निर्धारित समयावधि में वित्तीय पत्रक प्रस्तुत नहीं किये गये हैं.
9. प्रबंधकारिणी समिति एवं संस्था के सदस्यों का कार्य संचालन एवं प्रगति में कोई रुचि नहीं है.

इस कारण बताओ सूचना-पत्र से निर्देशित किया गया था कि सूचना-पत्र प्राप्त होने के 15 दिवस के अन्दर वर्णित आरोपों के सम्बन्ध में लिखित स्पष्टीकरण इस कार्यालय में प्रस्तुत करें अन्यथा समिति को परिसमापन में लाया जावेगा.

जारी कारण बताओ सूचना-पत्र का निर्धारित समयावधि में समिति द्वारा कोई भी लिखित प्रति उत्तर कार्यालय को प्रस्तुत नहीं किया गया.

पूर्व में सहायक पंजीयक, अंकेक्षण, होशंगाबाद द्वारा पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2014/105, होशंगाबाद, दिनांक 01 मार्च, 2014 के द्वारा 136 सहकारी समितियों को परिसमापन में लाने की अनुशंसा की थी. पुनः सहायक आयुक्त सहकारिता (अंकेक्षण) होशंगाबाद के कार्यालयीन पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2014/261, होशंगाबाद, दिनांक 01 अगस्त, 2014 से 179 समितियों द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम एवं संस्था उपविधियों में वर्णित प्रावधानों का पालन नहीं करने के कारण परिसमापन में लाने की अनुशंसा की गई है.

उपरोक्त कारणों से मेरा यह समाधान हो गया है कि समिति अकार्यशील है एवं आगे कोई कार्य करने हेतु इच्छुक नहीं है तथा समिति को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक है.

अतः मैं, काडमू पाटनकर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/ एफ-5-2-2010-15-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा पंजीयक की मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त वर्णित कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत श्री कृष्ण बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, सामोन को परिसमापन में लाता हूँ एवं समिति की आस्तियों एवं देयताओं के निराकरण हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री प्रकाश बत्रा, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 05 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(216-L)

होशंगाबाद, दिनांक 07 मार्च, 2015

[ मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत ]

क्र./परि./2015/337.—नर्मदा स्वा. साख सहकारी समिति मर्यादित, इटारसी, पंजीयन क्रमांक 59, दिनांक 14 मार्च, 2005 को कार्यालय के पत्र क्रमांक/परिसमापन/2014/1286, दिनांक 07 अगस्त, 2014 द्वारा निम्नलिखित कारणों से परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था.—

1. संस्था ने अधिनियम, नियम तथा उपविधियों का पालन करना बंद कर दिया है.
2. संस्था द्वारा वर्षवार नियमित अंकेक्षण नहीं कराया गया है.
3. संस्था द्वारा पंजीकृत उपविधि में वर्णित उद्देश्य अनुसार कार्य नहीं किया गया है.
4. संस्था निर्वाचन कराने में असफल रही है.

5. संस्था द्वारा वार्षिक आमसभा का आयोजन नहीं किया गया है।
6. संस्था द्वारा विधिवत् रिकॉर्ड संधारित नहीं किया गया है।
7. संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है।
8. संस्था द्वारा निर्धारित समयावधि में वित्तीय पत्रक प्रस्तुत नहीं किये गये हैं।
9. प्रबंधकारिणी समिति एवं संस्था के सदस्यों का कार्य संचालन एवं प्रगति में कोई रुचि नहीं है।

इस कारण बताओ सूचना-पत्र से निर्देशित किया गया था कि सूचना-पत्र प्राप्त होने के 15 दिवस के अन्दर वर्णित आरोपों के सम्बन्ध में लिखित स्पष्टीकरण इस कार्यालय में प्रस्तुत करें अन्यथा समिति को परिसमापन में लाया जावेगा।

जारी कारण बताओ सूचना-पत्र का निर्धारित समयावधि में समिति द्वारा कोई भी लिखित प्रति उत्तर कार्यालय को प्रस्तुत नहीं किया गया।

पूर्व में सहायक पंजीयक, अंकेक्षण, होशंगाबाद द्वारा पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2014/105, होशंगाबाद, दिनांक 01 मार्च, 2014 के द्वारा 136 सहकारी समितियों को परिसमापन में लाने की अनुशंसा की थी। पुनः सहायक आयुक्त सहकारिता (अंकेक्षण) होशंगाबाद के कार्यालयीन पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2014/261, होशंगाबाद, दिनांक 01 अगस्त, 2014 से 179 समितियों द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम एवं संस्था उपविधियों में वर्णित प्रावधानों का पालन नहीं करने के कारण परिसमापन में लाने की अनुशंसा की गई है।

उपरोक्त कारणों से मेरा यह समाधान हो गया है कि समिति अकार्यशील है एवं आगे कोई कार्य करने हेतु इच्छुक नहीं है तथा समिति को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक है।

अतः मैं, काडमू पाटनकर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/ एफ-5-2-2010-15-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा पंजीयक की मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त वर्णित कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत नर्मदा स्वा. साख सहकारी समिति मर्यादित, इटारसी को परिसमापन में लाता हूँ एवं समिति की आस्तियों एवं देयताओं के निराकरण हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत कु. विनीता चौधरी, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 05 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(216-M)

होशंगाबाद, दिनांक 07 मार्च, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत ]

क्र./परि./2015/337.—जय श्रीराम सहकारी समिति मर्यादित, किशनपुर, पंजीयन क्रमांक 91, दिनांक 19 अप्रैल, 2007 को कार्यालय के पत्र क्रमांक/परिसमापन/2014/1286, दिनांक 07 अगस्त, 2014 द्वारा निम्नलिखित कारणों से परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था.—

1. संस्था ने अधिनियम, नियम तथा उपविधियों का पालन करना बंद कर दिया है।
2. संस्था द्वारा वर्षवार नियमित अंकेक्षण नहीं कराया गया है।
3. संस्था द्वारा पंजीकृत उपविधि में वर्णित उद्देश्य अनुसार कार्य नहीं किया गया है।
4. संस्था निर्वाचन कराने में असफल रही है।
5. संस्था द्वारा वार्षिक आमसभा का आयोजन नहीं किया गया है।
6. संस्था द्वारा विधिवत् रिकॉर्ड संधारित नहीं किया गया है।
7. संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है।
8. संस्था द्वारा निर्धारित समयावधि में वित्तीय पत्रक प्रस्तुत नहीं किये गये हैं।
9. प्रबंधकारिणी समिति एवं संस्था के सदस्यों का कार्य संचालन एवं प्रगति में कोई रुचि नहीं है।

इस कारण बताओ सूचना-पत्र से निर्देशित किया गया था कि सूचना-पत्र प्राप्त होने के 15 दिवस के अन्दर वर्णित आरोपों के सम्बन्ध में लिखित स्पष्टीकरण इस कार्यालय में प्रस्तुत करें अन्यथा समिति को परिसमापन में लाया जावेगा।

जारी कारण बताओ सूचना-पत्र का निर्धारित समयावधि में समिति द्वारा कोई भी लिखित प्रति उत्तर कार्यालय को प्रस्तुत नहीं किया गया।

पूर्व में सहायक पंजीयक, अंकेक्षण, होशंगाबाद द्वारा पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2014/105, होशंगाबाद, दिनांक 01 मार्च, 2014 के द्वारा 136 सहकारी समितियों को परिसमापन में लाने की अनुशंसा की थी. पुनः सहायक आयुक्त सहकारिता (अंकेक्षण) होशंगाबाद के कार्यालयीन पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2014/261, होशंगाबाद, दिनांक 01 अगस्त, 2014 से 179 समितियों द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम एवं संस्था उपविधियों में वर्णित प्रावधानों का पालन नहीं करने के कारण परिसमापन में लाने की अनुशंसा की गई है.

उपरोक्त कारणों से मेरा यह समाधान हो गया है कि समिति अकार्यशील है एवं आगे कोई कार्य करने हेतु इच्छुक नहीं है तथा समिति को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक है.

अतः मैं, काडमू पाटनकर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/ एफ-5-2-2010-15-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा पंजीयक की मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त वर्णित कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत जय श्रीराम सहकारी समिति मर्यादित, किशनपुर को परिसमापन में लाता हूँ एवं समिति की आस्तियों एवं देयताओं के निराकरण हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री प्रमोद राय, उप-अंकेक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 05 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(216-N)

होशंगाबाद, दिनांक 07 मार्च, 2015

[ मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत ]

क्र./परि./2015/337.— धन वर्षा सहकारी समिति मर्यादित, पिपरिया, पंजीयन क्रमांक 100, दिनांक 13 अक्टूबर, 2008 को कार्यालय के पत्र क्रमांक/परिसमापन/2014/1286, दिनांक 07 अगस्त, 2014 द्वारा निम्नलिखित कारणों से परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था.—

1. संस्था ने अधिनियम, नियम तथा उपविधियों का पालन करना बंद कर दिया है.
2. संस्था द्वारा वर्षवार नियमित अंकेक्षण नहीं कराया गया है.
3. संस्था द्वारा पंजीकृत उपविधि में वर्णित उद्देश्य अनुसार कार्य नहीं किया गया है.
4. संस्था निर्वाचन कराने में असफल रही है.
5. संस्था द्वारा वार्षिक आमसभा का आयोजन नहीं किया गया है.
6. संस्था द्वारा विधिवत् रिकॉर्ड संधारित नहीं किया गया है.
7. संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है.
8. संस्था द्वारा निर्धारित समयावधि में वित्तीय पत्रक प्रस्तुत नहीं किये गये हैं.
9. प्रबंधकारिणी समिति एवं संस्था के सदस्यों का कार्य संचालन एवं प्रगति में कोई रुचि नहीं है.

इस कारण बताओ सूचना-पत्र से निर्देशित किया गया था कि सूचना-पत्र प्राप्त होने के 15 दिवस के अन्दर वर्णित आरोपों के सम्बन्ध में लिखित स्पष्टीकरण इस कार्यालय में प्रस्तुत करें अन्यथा समिति को परिसमापन में लाया जावेगा.

जारी कारण बताओ सूचना-पत्र का निर्धारित समयावधि में समिति द्वारा कोई भी लिखित प्रति उत्तर कार्यालय को प्रस्तुत नहीं किया गया.

पूर्व में सहायक पंजीयक, अंकेक्षण, होशंगाबाद द्वारा पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2014/105, होशंगाबाद, दिनांक 01 मार्च, 2014 के द्वारा 136 सहकारी समितियों को परिसमापन में लाने की अनुशंसा की थी. पुनः सहायक आयुक्त सहकारिता (अंकेक्षण) होशंगाबाद के कार्यालयीन पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2014/261, होशंगाबाद, दिनांक 01 अगस्त, 2014 से 179 समितियों द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम एवं संस्था उपविधियों में वर्णित प्रावधानों का पालन नहीं करने के कारण परिसमापन में लाने की अनुशंसा की गई है.

उपरोक्त कारणों से मेरा यह समाधान हो गया है कि समिति अकार्यशील है एवं आगे कोई कार्य करने हेतु इच्छुक नहीं है तथा समिति को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक है.

अतः मैं, काडमू पाटनकर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/ एफ-5-2-2010-15-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा पंजीयक की मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त वर्णित कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत धन वर्षा सहकारी समिति मर्यादित, पिपरिया को परिसमापन में लाता



हूँ एवं समिति की आस्तियों एवं देयताओं के निराकरण हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री एस. एस. पगारे, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 05 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(216-O)

होशंगाबाद, दिनांक 07 मार्च, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत ]

क्र./परि./2015/337.—सतपुरा साख सहकारी समिति मर्यादित, पिपरिया, पंजीयन क्रमांक 102, दिनांक 24 फरवरी, 2009 को कार्यालय के पत्र क्रमांक/परिसमापन/2014/1286, दिनांक 07 अगस्त, 2014 द्वारा निम्नलिखित कारणों से परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था.—

1. संस्था ने अधिनियम, नियम तथा उपविधियों का पालन करना बंद कर दिया है.
2. संस्था द्वारा वर्षवार नियमित अंकेक्षण नहीं कराया गया है.
3. संस्था द्वारा पंजीकृत उपविधि में वर्णित उद्देश्य अनुसार कार्य नहीं किया गया है.
4. संस्था निर्वाचन कराने में असफल रही है.
5. संस्था द्वारा वार्षिक आमसभा का आयोजन नहीं किया गया है.
6. संस्था द्वारा विधिवत् रिकॉर्ड संधारित नहीं किया गया है.
7. संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है.
8. संस्था द्वारा निर्धारित समयावधि में वित्तीय पत्रक प्रस्तुत नहीं किये गये हैं.
9. प्रबंधकारिणी समिति एवं संस्था के सदस्यों का कार्य संचालन एवं प्रगति में कोई रुचि नहीं है.

इस कारण बताओ सूचना-पत्र से निर्देशित किया गया था कि सूचना-पत्र प्राप्त होने के 15 दिवस के अन्दर वर्णित आरोपों के सम्बन्ध में लिखित स्पष्टीकरण इस कार्यालय में प्रस्तुत करें अन्यथा समिति को परिसमापन में लाया जावेगा.

जारी कारण बताओ सूचना-पत्र का निर्धारित समयावधि में समिति द्वारा कोई भी लिखित प्रति उत्तर कार्यालय को प्रस्तुत नहीं किया गया.

पूर्व में सहायक पंजीयक, अंकेक्षण, होशंगाबाद द्वारा पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2014/105, होशंगाबाद, दिनांक 01 मार्च, 2014 के द्वारा 136 सहकारी समितियों को परिसमापन में लाने की अनुशंसा की थी. पुनः सहायक आयुक्त सहकारिता (अंकेक्षण) होशंगाबाद के कार्यालयीन पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2014/261, होशंगाबाद, दिनांक 01 अगस्त, 2014 से 179 समितियों द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम एवं संस्था उपविधियों में वर्णित प्रावधानों का पालन नहीं करने के कारण परिसमापन में लाने की अनुशंसा की गई है.

उपरोक्त कारणों से मेरा यह समाधान हो गया है कि समिति अकार्यशील है एवं आगे कोई कार्य करने हेतु इच्छुक नहीं है तथा समिति को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक है.

अतः मैं, काडमू पाटनकर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/ एफ-5-2-2010-15-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा पंजीयक की मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त वर्णित कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत सतपुरा साख सहकारी समिति मर्यादित, पिपरिया को परिसमापन में लाता हूँ एवं समिति की आस्तियों एवं देयताओं के निराकरण हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री एस. एस. पगारे, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 05 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(216-P)

होशंगाबाद, दिनांक 07 मार्च, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत ]

क्र./परि./2015/337.—सक्षम प्रकाश सहकारी समिति मर्यादित, सोहागपुर, पंजीयन क्रमांक 105, दिनांक 25 जून, 2009 को कार्यालय के पत्र क्रमांक/परिसमापन/2014/1286, दिनांक 07 अगस्त, 2014 द्वारा निम्नलिखित कारणों से परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-

पत्र जारी किया गया था.—

1. संस्था ने अधिनियम, नियम तथा उपविधियों का पालन करना बंद कर दिया है.
2. संस्था द्वारा वर्षवार नियमित अंकेक्षण नहीं कराया गया है.
3. संस्था द्वारा पंजीकृत उपविधि में वर्णित उद्देश्य अनुसार कार्य नहीं किया गया है.
4. संस्था निर्वाचन कराने में असफल रही है.
5. संस्था द्वारा वार्षिक आमसभा का आयोजन नहीं किया गया है.
6. संस्था द्वारा विधिवत् रिकॉर्ड संधारित नहीं किया गया है.
7. संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है.
8. संस्था द्वारा निर्धारित समयावधि में वित्तीय पत्रक प्रस्तुत नहीं किये गये हैं.
9. प्रबंधकारिणी समिति एवं संस्था के सदस्यों का कार्य संचालन एवं प्रगति में कोई रुचि नहीं है.

इस कारण बताओ सूचना-पत्र से निर्देशित किया गया था कि सूचना-पत्र प्राप्त होने के 15 दिवस के अन्दर वर्णित आरोपों के सम्बन्ध में लिखित स्पष्टीकरण इस कार्यालय में प्रस्तुत करें अन्यथा समिति को परिसमापन में लाया जावेगा.

जारी कारण बताओ सूचना-पत्र का निर्धारित समयावधि में समिति द्वारा कोई भी लिखित प्रति उत्तर कार्यालय को प्रस्तुत नहीं किया गया.

पूर्व में सहायक पंजीयक, अंकेक्षण, होशंगाबाद द्वारा पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2014/105, होशंगाबाद, दिनांक 01 मार्च, 2014 के द्वारा 136 सहकारी समितियों को परिसमापन में लाने की अनुशंसा की थी. पुनः सहायक आयुक्त सहकारिता (अंकेक्षण) होशंगाबाद के कार्यालयीन पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2014/261, होशंगाबाद, दिनांक 01 अगस्त, 2014 से 179 समितियों द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम एवं संस्था उपविधियों में वर्णित प्रावधानों का पालन नहीं करने के कारण परिसमापन में लाने की अनुशंसा की गई है.

उपरोक्त कारणों से मेरा यह समाधान हो गया है कि समिति अकार्यशील है एवं आगे कोई कार्य करने हेतु इच्छुक नहीं है तथा समिति को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक है.

अतः मैं, काडमू पाटनकर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/ एफ-5-2-2010-15-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा पंजीयक की मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त वर्णित कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत सक्षम प्रकाश सहकारी समिति मर्यादित, सोहागपुर को परिसमापन में लाता हूँ एवं समिति की आस्तियों एवं देयताओं के निराकरण हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री सुखदेव परतेती, उप-अंकेक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 05 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(216-Q)

होशंगाबाद, दिनांक 07 मार्च, 2015

[ मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत ]

क्र./परि./2015/337.—माँ शारदा साख सहकारी समिति मर्यादित, पिपरिया, पंजीयन क्रमांक 109, दिनांक 03 सितम्बर, 2010 को कार्यालय के पत्र क्रमांक/परिसमापन/2014/1286, दिनांक 07 अगस्त, 2014 द्वारा निम्नलिखित कारणों से परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था.—

1. संस्था ने अधिनियम, नियम तथा उपविधियों का पालन करना बंद कर दिया है.
2. संस्था द्वारा वर्षवार नियमित अंकेक्षण नहीं कराया गया है.
3. संस्था द्वारा पंजीकृत उपविधि में वर्णित उद्देश्य अनुसार कार्य नहीं किया गया है.
4. संस्था निर्वाचन कराने में असफल रही है.
5. संस्था द्वारा वार्षिक आमसभा का आयोजन नहीं किया गया है.
6. संस्था द्वारा विधिवत् रिकॉर्ड संधारित नहीं किया गया है.
7. संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है.

8. संस्था द्वारा निर्धारित समयावधि में वित्तीय पत्रक प्रस्तुत नहीं किये गये हैं.
9. प्रबंधकारिणी समिति एवं संस्था के सदस्यों का कार्य संचालन एवं प्रगति में कोई रुचि नहीं है.

इस कारण बताओ सूचना-पत्र से निर्देशित किया गया था कि सूचना-पत्र प्राप्त होने के 15 दिवस के अन्दर वर्णित आरोपों के सम्बन्ध में लिखित स्पष्टीकरण इस कार्यालय में प्रस्तुत करें अन्यथा समिति को परिसमापन में लाया जावेगा.

जारी कारण बताओ सूचना-पत्र का निर्धारित समयावधि में समिति द्वारा कोई भी लिखित प्रति उत्तर कार्यालय को प्रस्तुत नहीं किया गया.

पूर्व में सहायक पंजीयक, अंकेक्षण, होशंगाबाद द्वारा पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2014/105, होशंगाबाद, दिनांक 01 मार्च, 2014 के द्वारा 136 सहकारी समितियों को परिसमापन में लाने की अनुशंसा की थी. पुनः सहायक आयुक्त सहकारिता (अंकेक्षण) होशंगाबाद के कार्यालयीन पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2014/261, होशंगाबाद, दिनांक 01 अगस्त, 2014 से 179 समितियों द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम एवं संस्था उपविधियों में वर्णित प्रावधानों का पालन नहीं करने के कारण परिसमापन में लाने की अनुशंसा की गई है.

उपरोक्त कारणों से मेरा यह समाधान हो गया है कि समिति अकार्यशील है एवं आगे कोई कार्य करने हेतु इच्छुक नहीं है तथा समिति को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक है.

अतः मैं, काडमू पाटनकर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/ एफ-5-2-2010-15-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा पंजीयक की मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त वर्णित कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत माँ शारदा साख सहकारी समिति मर्यादित, पिपरिया को परिसमापन में लाता हूँ एवं समिति की आस्तियों एवं देयताओं के निराकरण हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत एस. एस. पगारे, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 05 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(216-R)

होशंगाबाद, दिनांक 07 मार्च, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत ]

क्र./परि./2015/337.—नर्मदा साख सहकारी समिति मर्यादित, कलगवां, पंजीयन क्रमांक 3005, दिनांक 05 सितम्बर, 2008 को कार्यालय के पत्र क्रमांक/परिसमापन/2014/1286, दिनांक 07 अगस्त, 2014 द्वारा निम्नलिखित कारणों से परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था.—

1. संस्था ने अधिनियम, नियम तथा उपविधियों का पालन करना बंद कर दिया है.
2. संस्था द्वारा वर्षवार नियमित अंकेक्षण नहीं कराया गया है.
3. संस्था द्वारा पंजीकृत उपविधि में वर्णित उद्देश्य अनुसार कार्य नहीं किया गया है.
4. संस्था निर्वाचन कराने में असफल रही है.
5. संस्था द्वारा वार्षिक आमसभा का आयोजन नहीं किया गया है.
6. संस्था द्वारा विधिवत् रिकॉर्ड संधारित नहीं किया गया है.
7. संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है.
8. संस्था द्वारा निर्धारित समयावधि में वित्तीय पत्रक प्रस्तुत नहीं किये गये हैं.
9. प्रबंधकारिणी समिति एवं संस्था के सदस्यों का कार्य संचालन एवं प्रगति में कोई रुचि नहीं है.

इस कारण बताओ सूचना-पत्र से निर्देशित किया गया था कि सूचना-पत्र प्राप्त होने के 15 दिवस के अन्दर वर्णित आरोपों के सम्बन्ध में लिखित स्पष्टीकरण इस कार्यालय में प्रस्तुत करें अन्यथा समिति को परिसमापन में लाया जावेगा.

जारी कारण बताओ सूचना-पत्र का निर्धारित समयावधि में समिति द्वारा कोई भी लिखित प्रति उत्तर कार्यालय को प्रस्तुत नहीं किया गया.

पूर्व में सहायक पंजीयक, अंकेक्षण, होशंगाबाद द्वारा पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2014/105, होशंगाबाद, दिनांक 01 मार्च, 2014 के द्वारा 136 सहकारी समितियों को परिसमापन में लाने की अनुशंसा की थी. पुनः सहायक आयुक्त सहकारिता (अंकेक्षण) होशंगाबाद के कार्यालयीन पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2014/261, होशंगाबाद, दिनांक 01 अगस्त, 2014 से 179 समितियों द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम एवं संस्था उपविधियों में वर्णित प्रावधानों का पालन नहीं करने के कारण परिसमापन में लाने की अनुशंसा की गई है.

उपरोक्त कारणों से मेरा यह समाधान हो गया है कि समिति अकार्यशील है एवं आगे कोई कार्य करने हेतु इच्छुक नहीं है तथा समिति को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक है।

अतः मैं, काडमू पाटनकर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/ एफ-5-2-2010-15-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा पंजीयक की मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त वर्णित कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत नर्मदा साख सहकारी समिति मर्यादित, कलगवां को परिसमापन में लाता हूँ एवं समिति की आस्तियों एवं देयताओं के निराकरण हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री एस. एस. पगारे, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 05 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(216-S)

होशंगाबाद, दिनांक 07 मार्च, 2015

[ मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत ]

क्र./परि./2015/337.—जय श्री कृष्ण सहकारी समिति मर्यादित, पाली, पंजीयन क्रमांक 3038, दिनांक 16 जुलाई, 2009 को कार्यालय के पत्र क्रमांक/परिसमापन/2014/1286, दिनांक 07 अगस्त, 2014 द्वारा निम्नलिखित कारणों से परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था.—

1. संस्था ने अधिनियम, नियम तथा उपविधियों का पालन करना बंद कर दिया है।
2. संस्था द्वारा वर्षवार नियमित अंकेक्षण नहीं कराया गया है।
3. संस्था द्वारा पंजीकृत उपविधि में वर्णित उद्देश्य अनुसार कार्य नहीं किया गया है।
4. संस्था निर्वाचन कराने में असफल रही है।
5. संस्था द्वारा वार्षिक आमसभा का आयोजन नहीं किया गया है।
6. संस्था द्वारा विधिवत् रिकॉर्ड संधारित नहीं किया गया है।
7. संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है।
8. संस्था द्वारा निर्धारित समयावधि में वित्तीय पत्रक प्रस्तुत नहीं किये गये हैं।
9. प्रबंधकारिणी समिति एवं संस्था के सदस्यों का कार्य संचालन एवं प्रगति में कोई रुचि नहीं है।

इस कारण बताओ सूचना-पत्र से निर्देशित किया गया था कि सूचना-पत्र प्राप्त होने के 15 दिवस के अन्दर वर्णित आरोपों के सम्बन्ध में लिखित स्पष्टीकरण इस कार्यालय में प्रस्तुत करें अन्यथा समिति को परिसमापन में लाया जावेगा।

जारी कारण बताओ सूचना-पत्र का निर्धारित समयावधि में समिति द्वारा कोई भी लिखित प्रति उत्तर कार्यालय को प्रस्तुत नहीं किया गया।

पूर्व में सहायक पंजीयक, अंकेक्षण, होशंगाबाद द्वारा पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2014/105, होशंगाबाद, दिनांक 01 मार्च, 2014 के द्वारा 136 सहकारी समितियों को परिसमापन में लाने की अनुशंसा की थी। पुनः सहायक आयुक्त सहकारिता (अंकेक्षण) होशंगाबाद के कार्यालयीन पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2014/261, होशंगाबाद, दिनांक 01 अगस्त, 2014 से 179 समितियों द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम एवं संस्था उपविधियों में वर्णित प्रावधानों का पालन नहीं करने के कारण परिसमापन में लाने की अनुशंसा की गई है।

उपरोक्त कारणों से मेरा यह समाधान हो गया है कि समिति अकार्यशील है एवं आगे कोई कार्य करने हेतु इच्छुक नहीं है तथा समिति को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक है।

अतः मैं, काडमू पाटनकर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/ एफ-5-2-2010-15-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा पंजीयक की मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त वर्णित कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत जय श्री कृष्ण सहकारी समिति मर्यादित, पाली को परिसमापन में लाता हूँ एवं समिति की आस्तियों एवं देयताओं के निराकरण हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री संतोष कतिया, व. स. नि. को परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 05 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(216-T)

होशंगाबाद, दिनांक 07 मार्च, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत ]

क्र./परि./2015/337.—नव दुर्गा साख सहकारी समिति मर्यादित, गोंदलवाडा, पंजीयन क्रमांक 3015, दिनांक 13 अक्टूबर, 2008 को कार्यालय के पत्र क्रमांक/परिसमापन/2014/1286, दिनांक 07 अगस्त, 2014 द्वारा निम्नलिखित कारणों से परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था.—

1. संस्था ने अधिनियम, नियम तथा उपविधियों का पालन करना बंद कर दिया है.
2. संस्था द्वारा वर्षवार नियमित अंकेक्षण नहीं कराया गया है.
3. संस्था द्वारा पंजीकृत उपविधि में वर्णित उद्देश्य अनुसार कार्य नहीं किया गया है.
4. संस्था निर्वाचन कराने में असफल रही है.
5. संस्था द्वारा वार्षिक आमसभा का आयोजन नहीं किया गया है.
6. संस्था द्वारा विधिवत् रिपोर्ट संधारित नहीं किया गया है.
7. संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है.
8. संस्था द्वारा निर्धारित समयावधि में वित्तीय पत्रक प्रस्तुत नहीं किये गये हैं.
9. प्रबंधकारिणी समिति एवं संस्था के सदस्यों का कार्य संचालन एवं प्रगति में कोई रुचि नहीं है.

इस कारण बताओ सूचना-पत्र से निर्देशित किया गया था कि सूचना-पत्र प्राप्त होने के 15 दिवस के अन्दर वर्णित आरोपों के सम्बन्ध में लिखित स्पष्टीकरण इस कार्यालय में प्रस्तुत करें अन्यथा समिति को परिसमापन में लाया जावेगा.

जारी कारण बताओ सूचना-पत्र का निर्धारित समयावधि में समिति द्वारा कोई भी लिखित प्रति उत्तर कार्यालय को प्रस्तुत नहीं किया गया.

पूर्व में सहायक पंजीयक, अंकेक्षण, होशंगाबाद द्वारा पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2014/105, होशंगाबाद, दिनांक 01 मार्च, 2014 के द्वारा 136 सहकारी समितियों को परिसमापन में लाने की अनुशंसा की थी. पुनः सहायक आयुक्त सहकारिता (अंकेक्षण) होशंगाबाद के कार्यालयीन पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2014/261, होशंगाबाद, दिनांक 01 अगस्त, 2014 से 179 समितियों द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम एवं संस्था उपविधियों में वर्णित प्रावधानों का पालन नहीं करने के कारण परिसमापन में लाने की अनुशंसा की गई है.

उपरोक्त कारणों से मेरा यह समाधान हो गया है कि समिति अकार्यशील है एवं आगे कोई कार्य करने हेतु इच्छुक नहीं है तथा समिति को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक है.

अतः मैं, काडमू पाटनकर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/ एफ-5-2-2010-15-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा पंजीयक की मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त वर्णित कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत नव दुर्गा साख सहकारी समिति मर्यादित, गोंदलवाडा को परिसमापन में लाता हूँ एवं समिति की आस्तियों एवं देयताओं के निराकरण हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री संतोष कतिया, व. स. नि. को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 05 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(216-U)

होशंगाबाद, दिनांक 07 मार्च, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत ]

क्र./परि./2015/337.—माँ भगवती सहकारी समिति मर्यादित, राईखेडी, पंजीयन क्रमांक 2985, दिनांक 30 जुलाई, 2008 को कार्यालय के पत्र क्रमांक/परिसमापन/2014/1286, दिनांक 07 अगस्त, 2014 द्वारा निम्नलिखित कारणों से परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था.—

1. संस्था ने अधिनियम, नियम तथा उपविधियों का पालन करना बंद कर दिया है.
2. संस्था द्वारा वर्षवार नियमित अंकेक्षण नहीं कराया गया है.
3. संस्था द्वारा पंजीकृत उपविधि में वर्णित उद्देश्य अनुसार कार्य नहीं किया गया है.
4. संस्था निर्वाचन कराने में असफल रही है.

5. संस्था द्वारा वार्षिक आमसभा का आयोजन नहीं किया गया है।
6. संस्था द्वारा विधिवत् रिकॉर्ड संधारित नहीं किया गया है।
7. संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है।
8. संस्था द्वारा निर्धारित समयावधि में वित्तीय पत्रक प्रस्तुत नहीं किये गये हैं।
9. प्रबंधकारिणी समिति एवं संस्था के सदस्यों का कार्य संचालन एवं प्रगति में कोई रुचि नहीं है।

इस कारण बताओ सूचना-पत्र से निर्देशित किया गया था कि सूचना-पत्र प्राप्त होने के 15 दिवस के अन्दर वर्णित आरोपों के सम्बन्ध में लिखित स्पष्टीकरण इस कार्यालय में प्रस्तुत करें अन्यथा समिति को परिसमापन में लाया जावेगा।

जारी कारण बताओ सूचना-पत्र का निर्धारित समयावधि में समिति द्वारा कोई भी लिखित प्रति उत्तर कार्यालय को प्रस्तुत नहीं किया गया।

पूर्व में सहायक पंजीयक, अंकेक्षण, होशंगाबाद द्वारा पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2014/105, होशंगाबाद, दिनांक 01 मार्च, 2014 के द्वारा 136 सहकारी समितियों को परिसमापन में लाने की अनुशंसा की थी। पुनः सहायक आयुक्त सहकारिता (अंकेक्षण) होशंगाबाद के कार्यालयीन पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2014/261, होशंगाबाद, दिनांक 01 अगस्त, 2014 से 179 समितियों द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम एवं संस्था उपविधियों में वर्णित प्रावधानों का पालन नहीं करने के कारण परिसमापन में लाने की अनुशंसा की गई है।

उपरोक्त कारणों से मेरा यह समाधान हो गया है कि समिति अकार्यशील है एवं आगे कोई कार्य करने हेतु इच्छुक नहीं है तथा समिति को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक है।

अतः मैं, काडमू पाटनकर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/ एफ-5-2-2010-15-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा पंजीयक की मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त वर्णित कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत माँ भगवती सहकारी समिति मर्यादित, राईखेडी को परिसमापन में लाता हूँ एवं समिति की आस्तियों एवं देयताओं के निराकरण हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री संतोष कतिया, व. स. नि. को परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 05 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(216-V)

होशंगाबाद, दिनांक 07 मार्च, 2015

[ मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत ]

क्र./परि./2015/337.—आदिशक्ति साख सहकारी समिति मर्यादित, पिपरिया मुहारीकला, पंजीयन क्रमांक 2982, दिनांक 29 जुलाई, 2008 को कार्यालय के पत्र क्रमांक/परिसमापन/2014/1286, दिनांक 07 अगस्त, 2014 द्वारा निम्नलिखित कारणों से परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था.—

1. संस्था ने अधिनियम, नियम तथा उपविधियों का पालन करना बंद कर दिया है।
2. संस्था द्वारा वर्षवार नियमित अंकेक्षण नहीं कराया गया है।
3. संस्था द्वारा पंजीकृत उपविधि में वर्णित उद्देश्य अनुसार कार्य नहीं किया गया है।
4. संस्था निर्वाचन कराने में असफल रही है।
5. संस्था द्वारा वार्षिक आमसभा का आयोजन नहीं किया गया है।
6. संस्था द्वारा विधिवत् रिकॉर्ड संधारित नहीं किया गया है।
7. संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है।
8. संस्था द्वारा निर्धारित समयावधि में वित्तीय पत्रक प्रस्तुत नहीं किये गये हैं।
9. प्रबंधकारिणी समिति एवं संस्था के सदस्यों का कार्य संचालन एवं प्रगति में कोई रुचि नहीं है।

इस कारण बताओ सूचना-पत्र से निर्देशित किया गया था कि सूचना-पत्र प्राप्त होने के 15 दिवस के अन्दर वर्णित आरोपों के सम्बन्ध में लिखित स्पष्टीकरण इस कार्यालय में प्रस्तुत करें अन्यथा समिति को परिसमापन में लाया जावेगा।

जारी कारण बताओ सूचना-पत्र का निर्धारित समयावधि में समिति द्वारा कोई भी लिखित प्रति उत्तर कार्यालय को प्रस्तुत नहीं किया गया।

पूर्व में सहायक पंजीयक, अंकेक्षण, होशंगाबाद द्वारा पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2014/105, होशंगाबाद, दिनांक 01 मार्च, 2014 के द्वारा 136 सहकारी समितियों को परिसमापन में लाने की अनुशंसा की थी। पुनः सहायक आयुक्त सहकारिता (अंकेक्षण) होशंगाबाद के कार्यालयीन पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2014/261, होशंगाबाद, दिनांक 01 अगस्त, 2014 से 179 समितियों द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम एवं संस्था उपविधियों में वर्णित प्रावधानों का पालन नहीं करने के कारण परिसमापन में लाने की अनुशंसा की गई है।

उपरोक्त कारणों से मेरा यह समाधान हो गया है कि समिति अकार्यशील है एवं आगे कोई कार्य करने हेतु इच्छुक नहीं है तथा समिति को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक है।

अतः मैं, काडमू पाटनकर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/ एफ-5-2-2010-15-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा पंजीयक की मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त वर्णित कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत आदिशक्ति साख सहकारी समिति मर्यादित, पिपरिया मुहारीकला को परिसमापन में लाता हूँ एवं समिति की आस्तियों एवं देयताओं के निराकरण हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री संतोष कतिया, व. स. नि. को परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 05 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(216-W)

होशंगाबाद, दिनांक 07 मार्च, 2015

[ मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत ]

क्र./परि./2015/337.—कृष्णा महिला सहकारी समिति मर्यादित, सिवनी सरा, पंजीयन क्रमांक 2979, दिनांक 22 जुलाई, 2008 को कार्यालय के पत्र क्रमांक/परिसमापन/2014/1286, दिनांक 07 अगस्त, 2014 द्वारा निम्नलिखित कारणों से परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था.—

1. संस्था ने अधिनियम, नियम तथा उपविधियों का पालन करना बंद कर दिया है।
2. संस्था द्वारा वर्षवार नियमित अंकेक्षण नहीं कराया गया है।
3. संस्था द्वारा पंजीकृत उपविधि में वर्णित उद्देश्य अनुसार कार्य नहीं किया गया है।
4. संस्था निर्वाचन कराने में असफल रही है।
5. संस्था द्वारा वार्षिक आमसभा का आयोजन नहीं किया गया है।
6. संस्था द्वारा विधिवत् रिकॉर्ड संधारित नहीं किया गया है।
7. संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है।
8. संस्था द्वारा निर्धारित समयावधि में वित्तीय पत्रक प्रस्तुत नहीं किये गये हैं।
9. प्रबंधकारिणी समिति एवं संस्था के सदस्यों का कार्य संचालन एवं प्रगति में कोई रुचि नहीं है।

इस कारण बताओ सूचना-पत्र से निर्देशित किया गया था कि सूचना-पत्र प्राप्त होने के 15 दिवस के अन्दर वर्णित आरोपों के सम्बन्ध में लिखित स्पष्टीकरण इस कार्यालय में प्रस्तुत करें अन्यथा समिति को परिसमापन में लाया जावेगा।

जारी कारण बताओ सूचना-पत्र का निर्धारित समयावधि में समिति द्वारा कोई भी लिखित प्रति उत्तर कार्यालय को प्रस्तुत नहीं किया गया।

पूर्व में सहायक पंजीयक, अंकेक्षण, होशंगाबाद द्वारा पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2014/105, होशंगाबाद, दिनांक 01 मार्च, 2014 के द्वारा 136 सहकारी समितियों को परिसमापन में लाने की अनुशंसा की थी। पुनः सहायक आयुक्त सहकारिता (अंकेक्षण) होशंगाबाद के कार्यालयीन पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2014/261, होशंगाबाद, दिनांक 01 अगस्त, 2014 से 179 समितियों द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम एवं संस्था उपविधियों में वर्णित प्रावधानों का पालन नहीं करने के कारण परिसमापन में लाने की अनुशंसा की गई है।

उपरोक्त कारणों से मेरा यह समाधान हो गया है कि समिति अकार्यशील है एवं आगे कोई कार्य करने हेतु इच्छुक नहीं है तथा समिति को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक है।

अतः मैं, काडमू पाटनकर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/ एफ-5-2-2010-15-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा पंजीयक की मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त वर्णित कारणों के आधार पर

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत कृष्णा महिला सहकारी समिति मर्यादित, सिवनी सर्रा को परिसमापन में लाता हूँ एवं समिति की आस्तियों एवं देयताओं के निराकरण हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री संतोष कतिया, व. स. नि. को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 05 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(216-X)

होशंगाबाद, दिनांक 07 मार्च, 2015

[ मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत ]

क्र./परि./2015/337.—श्रीराम साख सहकारी समिति मर्यादित, खापरखेड़ा, पंजीयन क्रमांक 2951, दिनांक 14 जनवरी, 2008 को कार्यालय के पत्र क्रमांक/परिसमापन/2014/1286, दिनांक 07 अगस्त, 2014 द्वारा निम्नलिखित कारणों से परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था.—

1. संस्था ने अधिनियम, नियम तथा उपविधियों का पालन करना बंद कर दिया है.
2. संस्था द्वारा वर्षवार नियमित अंकेक्षण नहीं कराया गया है.
3. संस्था द्वारा पंजीकृत उपविधि में वर्णित उद्देश्य अनुसार कार्य नहीं किया गया है.
4. संस्था निर्वाचन कराने में असफल रही है.
5. संस्था द्वारा वार्षिक आमसभा का आयोजन नहीं किया गया है.
6. संस्था द्वारा विधिवत् रिकॉर्ड संधारित नहीं किया गया है.
7. संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है.
8. संस्था द्वारा निर्धारित समयावधि में वित्तीय पत्रक प्रस्तुत नहीं किये गये हैं.
9. प्रबंधकारिणी समिति एवं संस्था के सदस्यों का कार्य संचालन एवं प्रगति में कोई रुचि नहीं है.

इस कारण बताओ सूचना-पत्र से निर्देशित किया गया था कि सूचना-पत्र प्राप्त होने के 15 दिवस के अन्दर वर्णित आरोपों के सम्बन्ध में लिखित स्पष्टीकरण इस कार्यालय में प्रस्तुत करें अन्यथा समिति को परिसमापन में लाया जावेगा.

जारी कारण बताओ सूचना-पत्र का निर्धारित समयावधि में समिति द्वारा कोई भी लिखित प्रति उत्तर कार्यालय को प्रस्तुत नहीं किया गया.

पूर्व में सहायक पंजीयक, अंकेक्षण, होशंगाबाद द्वारा पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2014/105, होशंगाबाद, दिनांक 01 मार्च, 2014 के द्वारा 136 सहकारी समितियों को परिसमापन में लाने की अनुशंसा की थी. पुनः सहायक आयुक्त सहकारिता (अंकेक्षण) होशंगाबाद के कार्यालयीन पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2014/261, होशंगाबाद, दिनांक 01 अगस्त, 2014 से 179 समितियों द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम एवं संस्था उपविधियों में वर्णित प्रावधानों का पालन नहीं करने के कारण परिसमापन में लाने की अनुशंसा की गई है.

उपरोक्त कारणों से मेरा यह समाधान हो गया है कि समिति अकार्यशील है एवं आगे कोई कार्य करने हेतु इच्छुक नहीं है तथा समिति को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक है.

अतः मैं, काडमू पाटनकर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/ एफ-5-2-2010-15-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा पंजीयक की मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त वर्णित कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत श्रीराम साख सहकारी समिति मर्यादित, खापरखेड़ा को परिसमापन में लाता हूँ एवं समिति की आस्तियों एवं देयताओं के निराकरण हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री एस. एस. पगारे, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 05 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(216-Y)

होशंगाबाद, दिनांक 07 मार्च, 2015

[ मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत ]

क्र./परि./2015/337.—नर्मदा शिक्षित बेरोजगार सहकारी समिति मर्यादित, पिपरिया, पंजीयन क्रमांक 2905, दिनांक 25 जनवरी, 2007 को कार्यालय के पत्र क्रमांक/परिसमापन/2014/1286, दिनांक 07 अगस्त, 2014 द्वारा निम्नलिखित कारणों से परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण



बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था.—

1. संस्था ने अधिनियम, नियम तथा उपविधियों का पालन करना बंद कर दिया है.
2. संस्था द्वारा वर्षवार नियमित अंकेक्षण नहीं कराया गया है.
3. संस्था द्वारा पंजीकृत उपविधि में वर्णित उद्देश्य अनुसार कार्य नहीं किया गया है.
4. संस्था निर्वाचन कराने में असफल रही है.
5. संस्था द्वारा वार्षिक आमसभा का आयोजन नहीं किया गया है.
6. संस्था द्वारा विधिवत् रिकॉर्ड संधारित नहीं किया गया है.
7. संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है.
8. संस्था द्वारा निर्धारित समयावधि में वित्तीय पत्रक प्रस्तुत नहीं किये गये हैं.
9. प्रबंधकारिणी समिति एवं संस्था के सदस्यों का कार्य संचालन एवं प्रगति में कोई रुचि नहीं है.

इस कारण बताओ सूचना-पत्र से निर्देशित किया गया था कि सूचना-पत्र प्राप्त होने के 15 दिवस के अन्दर वर्णित आरोपों के सम्बन्ध में लिखित स्पष्टीकरण इस कार्यालय में प्रस्तुत करें अन्यथा समिति को परिसमापन में लाया जावेगा.

जारी कारण बताओ सूचना-पत्र का निर्धारित समयावधि में समिति द्वारा कोई भी लिखित प्रति उत्तर कार्यालय को प्रस्तुत नहीं किया गया.

पूर्व में सहायक पंजीयक, अंकेक्षण, होशंगाबाद द्वारा पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2014/105, होशंगाबाद, दिनांक 01 मार्च, 2014 के द्वारा 136 सहकारी समितियों को परिसमापन में लाने की अनुशंसा की थी. पुनः सहायक आयुक्त सहकारिता (अंकेक्षण) होशंगाबाद के कार्यालयीन पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2014/261, होशंगाबाद, दिनांक 01 अगस्त, 2014 से 179 समितियों द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम एवं संस्था उपविधियों में वर्णित प्रावधानों का पालन नहीं करने के कारण परिसमापन में लाने की अनुशंसा की गई है.

उपरोक्त कारणों से मेरा यह समाधान हो गया है कि समिति अकार्यशील है एवं आगे कोई कार्य करने हेतु इच्छुक नहीं है तथा समिति को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक है.

अतः मैं, काडमू पाटनकर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/ एफ-5-2-2010-15-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा पंजीयक की मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त वर्णित कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत नर्मदा शिक्षित बेरोजगार सहकारी समिति मर्यादित, पिपरिया को परिसमापन में लाता हूँ एवं समिति की आस्तियों एवं देयताओं के निराकरण हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री एस. एस. पगारे, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 05 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(216-Z)

होशंगाबाद, दिनांक 07 मार्च, 2015

[ मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत ]

क्र./परि./2015/337.—माँ नर्मदा सहकारी समिति मर्यादित, सिखाइ, पंजीयन क्रमांक 3028, दिनांक 28 फरवरी, 2009 को कार्यालय के पत्र क्रमांक/परिसमापन/2014/1286, दिनांक 07 अगस्त, 2014 द्वारा निम्नलिखित कारणों से परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था.—

1. संस्था ने अधिनियम, नियम तथा उपविधियों का पालन करना बंद कर दिया है.
2. संस्था द्वारा वर्षवार नियमित अंकेक्षण नहीं कराया गया है.
3. संस्था द्वारा पंजीकृत उपविधि में वर्णित उद्देश्य अनुसार कार्य नहीं किया गया है.
4. संस्था निर्वाचन कराने में असफल रही है.
5. संस्था द्वारा वार्षिक आमसभा का आयोजन नहीं किया गया है.
6. संस्था द्वारा विधिवत् रिकॉर्ड संधारित नहीं किया गया है.
7. संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है.

8. संस्था द्वारा निर्धारित समयावधि में वित्तीय पत्रक प्रस्तुत नहीं किये गये हैं।
9. प्रबंधकारिणी समिति एवं संस्था के सदस्यों का कार्य संचालन एवं प्रगति में कोई रुचि नहीं है।

इस कारण बताओ सूचना-पत्र से निर्देशित किया गया था कि सूचना-पत्र प्राप्त होने के 15 दिवस के अन्दर वर्णित आरोपों के सम्बन्ध में लिखित स्पष्टीकरण इस कार्यालय में प्रस्तुत करें अन्यथा समिति को परिसमापन में लाया जावेगा।

जारी कारण बताओ सूचना-पत्र का निर्धारित समयावधि में समिति द्वारा कोई भी लिखित प्रति उत्तर कार्यालय को प्रस्तुत नहीं किया गया।

पूर्व में सहायक पंजीयक, अंकेक्षण, होशंगाबाद द्वारा पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2014/105, होशंगाबाद, दिनांक 01 मार्च, 2014 के द्वारा 136 सहकारी समितियों को परिसमापन में लाने की अनुशंसा की थी. पुनः सहायक आयुक्त सहकारिता (अंकेक्षण) होशंगाबाद के कार्यालयीन पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2014/261, होशंगाबाद, दिनांक 01 अगस्त, 2014 से 179 समितियों द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम एवं संस्था उपविधियों में वर्णित प्रावधानों का पालन नहीं करने के कारण परिसमापन में लाने की अनुशंसा की गई है।

उपरोक्त कारणों से मेरा यह समाधान हो गया है कि समिति अकार्यशील है एवं आगे कोई कार्य करने हेतु इच्छुक नहीं है तथा समिति को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक है।

अतः मैं, काडमू पाटनकर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/ एफ-5-2-2010-15-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा पंजीयक की मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त वर्णित कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत माँ नर्मदा सहकारी समिति मर्यादित, सिखाइ को परिसमापन में लाता हूँ एवं समिति की आस्तियों एवं देयताओं के निराकरण हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री एम. के. महतो, उप-अंकेक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 05 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(217)

होशंगाबाद, दिनांक 07 मार्च, 2015

[ मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत ]

क्र./परि./2015/337.—कृष्णा महिला साख सहकारी समिति मर्यादित, पिपरिया, पंजीयन क्रमांक 2891, दिनांक 03 जून, 2006 को कार्यालय के पत्र क्रमांक/परिसमापन/2014/1286, दिनांक 07 अगस्त, 2014 द्वारा निम्नलिखित कारणों से परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था.—

1. संस्था ने अधिनियम, नियम तथा उपविधियों का पालन करना बंद कर दिया है।
2. संस्था द्वारा वर्षवार नियमित अंकेक्षण नहीं कराया गया है।
3. संस्था द्वारा पंजीकृत उपविधि में वर्णित उद्देश्य अनुसार कार्य नहीं किया गया है।
4. संस्था निर्वाचन कराने में असफल रही है।
5. संस्था द्वारा वार्षिक आमसभा का आयोजन नहीं किया गया है।
6. संस्था द्वारा विधिवत् रिकॉर्ड संधारित नहीं किया गया है।
7. संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है।
8. संस्था द्वारा निर्धारित समयावधि में वित्तीय पत्रक प्रस्तुत नहीं किये गये हैं।
9. प्रबंधकारिणी समिति एवं संस्था के सदस्यों का कार्य संचालन एवं प्रगति में कोई रुचि नहीं है।

इस कारण बताओ सूचना-पत्र से निर्देशित किया गया था कि सूचना-पत्र प्राप्त होने के 15 दिवस के अन्दर वर्णित आरोपों के सम्बन्ध में लिखित स्पष्टीकरण इस कार्यालय में प्रस्तुत करें अन्यथा समिति को परिसमापन में लाया जावेगा।

जारी कारण बताओ सूचना-पत्र का निर्धारित समयावधि में समिति द्वारा कोई भी लिखित प्रति उत्तर कार्यालय को प्रस्तुत नहीं किया गया।

पूर्व में सहायक पंजीयक, अंकेक्षण, होशंगाबाद द्वारा पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2014/105, होशंगाबाद, दिनांक 01 मार्च, 2014 के द्वारा 136 सहकारी समितियों को परिसमापन में लाने की अनुशंसा की थी. पुनः सहायक आयुक्त सहकारिता (अंकेक्षण) होशंगाबाद के कार्यालयीन पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2014/261, होशंगाबाद, दिनांक 01 अगस्त, 2014 से 179 समितियों द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम एवं संस्था उपविधियों में वर्णित प्रावधानों का पालन नहीं करने के कारण परिसमापन में लाने की अनुशंसा की गई है।

उपरोक्त कारणों से मेरा यह समाधान हो गया है कि समिति अकार्यशील है एवं आगे कोई कार्य करने हेतु इच्छुक नहीं है तथा समिति को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक है।

अतः मैं, काडमू पाटनकर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/ एफ-5-2-2010-15-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा पंजीयक की मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त वर्णित कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत कृष्णा महिला साख सहकारी समिति मर्यादित, पिपरिया को परिसमापन में लाता हूँ एवं समिति की आस्तियों एवं देयताओं के निराकरण हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री एस. एस. पगारे, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 05 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(217-A)

होशंगाबाद, दिनांक 07 मार्च, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत ]

क्र./परि./2015/337.— भारतीय साख सहकारी समिति मर्यादित, सोहागपुर, पंजीयन क्रमांक 3018, दिनांक 01 जनवरी, 2009 को कार्यालय के पत्र क्रमांक/परिसमापन/2014/1286, दिनांक 07 अगस्त, 2014 द्वारा निम्नलिखित कारणों से परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था.—

1. संस्था ने अधिनियम, नियम तथा उपविधियों का पालन करना बंद कर दिया है।
2. संस्था द्वारा वर्षवार नियमित अंकेक्षण नहीं कराया गया है।
3. संस्था द्वारा पंजीकृत उपविधि में वर्णित उद्देश्य अनुसार कार्य नहीं किया गया है।
4. संस्था निर्वाचन कराने में असफल रही है।
5. संस्था द्वारा वार्षिक आमसभा का आयोजन नहीं किया गया है।
6. संस्था द्वारा विधिवत् रिकॉर्ड संधारित नहीं किया गया है।
7. संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है।
8. संस्था द्वारा निर्धारित समयावधि में वित्तीय पत्रक प्रस्तुत नहीं किये गये हैं।
9. प्रबंधकारिणी समिति एवं संस्था के सदस्यों का कार्य संचालन एवं प्रगति में कोई रुचि नहीं है।

इस कारण बताओ सूचना-पत्र से निर्देशित किया गया था कि सूचना-पत्र प्राप्त होने के 15 दिवस के अन्दर वर्णित आरोपों के सम्बन्ध में लिखित स्पष्टीकरण इस कार्यालय में प्रस्तुत करें अन्यथा समिति को परिसमापन में लाया जावेगा।

जारी कारण बताओ सूचना-पत्र का निर्धारित समयावधि में समिति द्वारा कोई भी लिखित प्रति उत्तर कार्यालय को प्रस्तुत नहीं किया गया।

पूर्व में सहायक पंजीयक, अंकेक्षण, होशंगाबाद द्वारा पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2014/105, होशंगाबाद, दिनांक 01 मार्च, 2014 के द्वारा 136 सहकारी समितियों को परिसमापन में लाने की अनुशंसा की थी। पुनः सहायक आयुक्त सहकारिता (अंकेक्षण) होशंगाबाद के कार्यालयीन पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2014/261, होशंगाबाद, दिनांक 01 अगस्त, 2014 से 179 समितियों द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम एवं संस्था उपविधियों में वर्णित प्रावधानों का पालन नहीं करने के कारण परिसमापन में लाने की अनुशंसा की गई है।

उपरोक्त कारणों से मेरा यह समाधान हो गया है कि समिति अकार्यशील है एवं आगे कोई कार्य करने हेतु इच्छुक नहीं है तथा समिति को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक है।

अतः मैं, काडमू पाटनकर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/ एफ-5-2-2010-15-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा पंजीयक की मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त वर्णित कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत भारतीय साख सहकारी समिति मर्यादित, सोहागपुर को परिसमापन में लाता हूँ एवं समिति की आस्तियों एवं देयताओं के निराकरण हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री एम. के. महतो, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 05 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(217-B)

होशंगाबाद, दिनांक 07 मार्च, 2015

[ मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत ]

क्र./परि./2015/337.—शिव शक्ति सहकारी समिति मर्यादित, बीकोर, पंजीयन क्रमांक 3030, दिनांक 02 मार्च, 2009 को कार्यालय के पत्र क्रमांक/परिसमापन/2014/1286, दिनांक 07 अगस्त, 2014 द्वारा निम्नलिखित कारणों से परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था.—

1. संस्था ने अधिनियम, नियम तथा उपविधियों का पालन करना बंद कर दिया है.
2. संस्था द्वारा वर्षवार नियमित अंकेक्षण नहीं कराया गया है.
3. संस्था द्वारा पंजीकृत उपविधि में वर्णित उद्देश्य अनुसार कार्य नहीं किया गया है.
4. संस्था निर्वाचन कराने में असफल रही है.
5. संस्था द्वारा वार्षिक आमसभा का आयोजन नहीं किया गया है.
6. संस्था द्वारा विधिवत् रिकॉर्ड संधारित नहीं किया गया है.
7. संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है.
8. संस्था द्वारा निर्धारित समयावधि में वित्तीय पत्रक प्रस्तुत नहीं किये गये हैं.
9. प्रबंधकारिणी समिति एवं संस्था के सदस्यों का कार्य संचालन एवं प्रगति में कोई रुचि नहीं है.

इस कारण बताओ सूचना-पत्र से निर्देशित किया गया था कि सूचना-पत्र प्राप्त होने के 15 दिवस के अन्दर वर्णित आरोपों के सम्बन्ध में लिखित स्पष्टीकरण इस कार्यालय में प्रस्तुत करें अन्यथा समिति को परिसमापन में लाया जावेगा.

जारी कारण बताओ सूचना-पत्र का निर्धारित समयावधि में समिति द्वारा कोई भी लिखित प्रति उत्तर कार्यालय को प्रस्तुत नहीं किया गया.

पूर्व में सहायक पंजीयक, अंकेक्षण, होशंगाबाद द्वारा पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2014/105, होशंगाबाद, दिनांक 01 मार्च, 2014 के द्वारा 136 सहकारी समितियों को परिसमापन में लाने की अनुशंसा की थी. पुनः सहायक आयुक्त सहकारिता (अंकेक्षण) होशंगाबाद के कार्यालयीन पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2014/261, होशंगाबाद, दिनांक 01 अगस्त, 2014 से 179 समितियों द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम एवं संस्था उपविधियों में वर्णित प्रावधानों का पालन नहीं करने के कारण परिसमापन में लाने की अनुशंसा की गई है.

उपरोक्त कारणों से मेरा यह समाधान हो गया है कि समिति अकार्यशील है एवं आगे कोई कार्य करने हेतु इच्छुक नहीं है तथा समिति को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक है.

अतः मैं, काडमू पाटनकर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/ एफ-5-2-2010-15-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा पंजीयक की मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त वर्णित कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत शिव शक्ति सहकारी समिति मर्यादित, बीकोर को परिसमापन में लाता हूँ एवं समिति की आस्तियों एवं देयताओं के निराकरण हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री एम. के. महतो, उप-अंकेक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 05 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(217-C)

काडमू पाटनकर,  
उप-पंजीयक.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 15 ]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 10 अप्रैल, 2015-चैत्र 20, शके 1937

### भाग 3 ( 2 )

#### सांख्यिकीय सूचनाएं

#### कार्यालय आयुक्त, भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश

मौसम, फसल एवं पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 10 दिसम्बर, 2014

1. **मौसम एवं वर्षा.**—राज्य में इस सप्ताह मौसम शुष्क रहा है तथा श्योपुर जिले को छोड़कर किसी भी जिले में वर्षा का होना नहीं पाया गया है.

( अ ) 0.1 मि. मी. से 17.4 मि. मी. तक. —तहसील श्योपुर, विजयपुर (श्योपुर) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

( ब ) 35.0 मि. मी. से 53.1 मि. मी. तक. —तहसील कराहल (श्योपुर) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

2. **जुताई.**—जिला श्योपुर, ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, छतरपुर, सागर, रीवा, शहडोल, अनूपपुर, उमरिया, सीधी, सीहोर, बैतूल, जबलपुर, कटनी व सिवनी में रबी फसलों की जुताई का कार्य कहीं-कहीं चालू है.

3. **बोनी.**—जिला अनूपपुर, सिवनी में फसल गेहूँ व कटनी में गेहूँ, मटर व झाबुआ में गेहूँ, चना श्योपुर, ग्वालियर, दतिया, छतरपुर, सागर, दमोह, रीवा, शहडोल, उमरिया, सीधी, इन्दौर, खरगौन, बुरहानपुर, सीहोर, रायसेन, होशंगाबाद, हरदा, जबलपुर, नरसिंहपुर व डिण्डोरी में रबी फसलों की बोनी का कार्य कहीं-कहीं चालू है.

4. **फसल स्थिति.**—

5. **कटाई.**—जिला बैतूल में फसल गन्ना व अनूपपुर में धान, कोदों व पन्ना में खरीफ फसलों की कटाई का कार्य कहीं-कहीं चालू है.

6. **सिंचाई.**—जिला ग्वालियर, दतिया, टीकमगढ़, सागर, दमोह, सतना, शहडोल, उमरिया, नरसिंहपुर व सिवनी में सिंचाई हेतु पानी कहीं-कहीं अपर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

7. **पशुओं की स्थिति.**—राज्य के प्रायः सभी जिलों में पशुओं की स्थिति संतोषप्रद है.

8. **चारा.**—राज्य के प्रायः सभी जिलों में चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

9. **बीज.**—राज्य के प्रायः सभी जिलों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

10. **खेतिहर श्रमिक.**—राज्य के प्रायः सभी जिलों में खेतिहर श्रमिक पर्याप्त संख्या व उचित दर पर उपलब्ध हैं.

## मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक सूचना-पत्रक, सप्ताहांत बुधवार, दिनांक 10 दिसम्बर, 2014

जिला/तहसीलें	1.सप्ताह में हुई वर्षा:- (अ) वर्षा का माप ( मि. मी.) में (ब) वर्षा कम है या बहुत अधिक.	2. कृषि कार्यों की प्रगति तथा उन पर वर्षा का प्रभाव:- (अ) प्रारम्भिक जुताई पर. (ब) बोनी पर. (स) रोपाई पर, अगर धान की रोपाई होती हो. (द) खड़ी फसल पर, रोग व कीड़ों के आक्रमण के असर का वर्णन सहित. (य) कटी हुई फसल पर.	3. अन्य असामयिक घटना और उसका फसलों पर प्रभाव. 4. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गत वर्ष की तुलना में :- (1) फसल का क्षेत्रफल - (अ) अधिक, समान या कम. (ब) प्रतिशत. (2) फसल की हालत- (अ) सुधरी हुई, समान या बिगड़ी हुई. (ब) प्रतिशत.	5. सिंचाई के लिये पानी ( कम अथवा अधिक). 6. पशुओं की हालत तथा चारे की प्राप्ति.	7. बीज की प्राप्ति. 8. कृषि-सम्बन्धी मजदूरों की प्राप्ति.
1	2	3	4	5	6
<b>जिला मुँरैना :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. ... 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. ... 8. पर्याप्त.
1. अम्बाह	..				
2. पोरसा	..				
3. मुँरैना	..				
4. जौरा	..				
5. सबलगढ़	..				
6. कैलारस	..				
<b>जिला श्योपुर :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) तुअर, गन्ना, गेहूँ, जौ, चना, राई-सरसों, अलसी सुधरी हुई. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. श्योपुर	2.0				
2. कराहल	39.0				
3. विजयपुर	12.0				
<b>*जिला भिण्ड :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. ... 6. ...	7. ... 8. ...
1. अटेर	..				
2. भिण्ड	..				
3. गोहद	..				
4. मेहगांव	..				
5. लहार	..				
6. मिहोना	..				
7. रौन	..				
<b>जिला ग्वालियर :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) गन्ना, उड़द, मूँगमोठ, तुअर, मूँगफली समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. ग्वालियर	..				
2. डबरा	..				
3. भितरवार	..				
4. घाटीगांव	..				
<b>जिला दतिया :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) धान, ज्वार, बाजरा, मूँगफली समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सेवड़ा	..				
2. दतिया	..				
3. भाण्डेर	..				
<b>जिला शिवपुरी :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) गन्ना, सोयाबीन सुधरी हुई. (2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. शिवपुरी	..				
2. पिछोर	..				
3. खनियाधाना	..				
4. नरवर	..				
5. करैरा	..				
6. कोलारस	..				
7. पोहरी	..				
8. बदरवास	..				

1	2	3	4	5	6
<b>जिला अशोकनगर :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) उड़द अधिक. सोयाबीन, गन्ना कम. मक्का समान. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. मुँगावली	..				
2. ईसागढ़	..				
3. अशोकनगर	..				
4. चन्देरी	..				
5. शाढौरा	..				
<b>जिला गुना :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) चना, गेहूँ, सरसों समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. गुना	..				
2. राधोगढ़	..				
3. बमोरी	..				
4. आरोन	..				
5. चाचौड़ा	..				
6. कुम्भराज	..				
<b>जिला टीकमगढ़ :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) गन्ना, गेहूँ, जौ, चना, राई-सरसों, मटर, मसूर समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. निवाड़ी	..				
2. पृथ्वीपुर	..				
3. जतारा	..				
4. टीकमगढ़	..				
5. बल्देवगढ़	..				
6. पलेरा	..				
7. ओरछा	..				
<b>जिला छतरपुर :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) ज्वार, तुअर अधिक. तिल कम. (2) ..	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. लोण्डी	..				
2. गौरीहार	..				
3. नौगांव	..				
4. छतरपुर	..				
5. राजनगर	..				
6. बिजावर	..				
7. बड़ामलहरा	..				
8. बकस्वाहा	..				
<b>जिला पन्ना :</b>	मिलीमीटर	2. कटाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) मूँग अधिक. धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, तुअर, उड़द, सोयाबीन, तिल कम. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. अजयगढ़	..				
2. पन्ना	..				
3. गुन्नौर	..				
4. पवई	..				
5. शाहनगर	..				
<b>जिला सागर :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) गेहूँ, जौ, चना, मटर, मसूर, तिवड़ा, राई-सरसों, अलसी, आलू, प्याज कम. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बीना	..				
2. खुरई	..				
3. बण्डा	..				
4. सागर	..				
5. रेहली	..				
6. देवरी	..				
7. गढ़ाकोटा	..				
8. राहतगढ़	..				
9. केसली	..				
10. मालथोन	..				
11. शाहगढ़	..				

1	2	3	4	5	6
<b>जिला दमोह :</b>	मिलीमीटर	2. रबी फसलों की बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) ज्वार, तुअर, गेहूँ, चना, मटर, मसूर, राई-सरसों, अलसी सुधरी हुई. (2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. हटा ..	..				
2. बटियागढ़ ..	..				
3. दमोह ..	..				
4. पथरिया ..	..				
5. जवेरा ..	..				
6. तेन्दूखेड़ा ..	..				
7. पटेरा ..	..				
<b>जिला सतना :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) तुअर अधिक. गेहूँ, सरसों कम. चना, मसूर, अलसी समान. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. रघुराजनगर ..	..				
2. मझगावां ..	..				
3. रामपुर-बधेलान ..	..				
4. नागौद ..	..				
5. उचेहरा ..	..				
6. अमरपाटन ..	..				
7. रामनगर ..	..				
8. मैहर ..	..				
9. बिरसिंहपुर ..	..				
<b>जिला रीवा :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) गेहूँ, चना, मसूर कम. अलसी, जौ, राई-सरसों, अरहर समान. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. त्योंथर ..	..				
2. सिरमौर ..	..				
3. मऊगंज ..	..				
4. हनुमना ..	..				
5. हजूर ..	..				
6. गुढ़ ..	..				
7. गयपुरकचुलियान ..	..				
<b>जिला शहडोल :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) धान, कोदों-कुटकी, तुअर, रम, सोयाबीन, गेहूँ, चना, मसूर, राई-सरसों, लाख. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सोहागपुर ..	..				
2. ब्यौहारी ..	..				
3. जैसिंहनगर ..	..				
4. जैतपुर ..	..				
<b>जिला अनूपपुर :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई एवं गेहूँ की बोनी धान एवं कोदों की कटाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) चना अधिक. राहर, गेहूँ कम. रामतिल, अलसी, राई-सरसों, मसूर समान. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. जैतहरी ..	..				
2. अनूपपुर ..	..				
3. कोतमा ..	..				
4. पुष्पराजगढ़ ..	..				
<b>जिला उमरिया :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) धान, मक्का, कोदों-कुटकी, उड़द, अरहर, चना, राई-सरसों, अलसी अधिक. सोयाबीन, गेहूँ कम. तिल समान. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बांधवगढ़ ..	..				
2. पाली ..	..				
3. मानपुर ..	..				



1	2	3	4	5	6
<b>जिला सीधी :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई एवं रबी फसलों की बोनी का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) जौ, गेहूँ कम. राई-सरसों, अलसी चना, मटर, मसूर समान. (2) ..	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. गोपदवनास	..				
2. सिंहावल	..				
3. मझौली	..				
4. कुसमी	..				
5. चुरहट	..				
6. रामपुरनैकिन	..				
<b>जिला सिंगरौली :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) गेहूँ कम. तुअर, अलसी, मसूर, चना, जौ समान. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. चितरंगी	..				
2. देवसर	..				
3. सिंगरौली	..				
<b>जिला मन्दासौर :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) चना अधिक. गेहूँ कम रायडा समान. (2) ..	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. सुवासरा-टप्पा	..				
2. भानपुरा	..				
3. मल्हारगढ़	..				
4. गरोट	..				
5. मन्दासौर	..				
6. श्यामगढ़	..				
7. सीतामऊ	..				
8. धुन्धडका	..				
9. संजीत	..				
10. कयामपुर	..				
<b>जिला नीमच :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) गेहूँ, राई-सरसों अधिक. चना, मसूर, मटर कम. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. जावद	..				
2. नीमच	..				
3. मनासा	..				
<b>*जिला रतलाम :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. ..	7. .. 8. ..
1. जावरा	..				
2. आलोट	..				
3. सैलाना	..				
4. बाजना	..				
5. पिपलौदा	..				
6. रतलाम	..				
<b>जिला उज्जैन :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. खाचरौद	..				
2. महिदपुर	..				
3. तराना	..				
4. घटिया	..				
5. उज्जैन	..				
6. बड़नगर	..				
7. नागदा	..				
<b>जिला आगर :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. बड़ौद	..				
2. सुसनेर	..				
3. नलखेड़ा	..				
4. आगर	..				
<b>जिला शाजापुर :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) गेहूँ, चना. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. मो. बड़ोदिया	..				
2. शाजापुर	..				
3. शुजालपुर	..				
4. कालापीपल	..				
5. गुलाना	..				

1	2	3	4	5	6
<b>*जिला देवास :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. सोनकच्छ	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
2. टोंकखुर्द	..		(2) ..		
3. देवास	..				
4. बागली	..				
5. कन्नौद	..				
6. खातेगांव	..				
<b>जिला झाबुआ :</b>	मिलीमीटर	2. गेहूँ, चना की बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. थांदला	..		4. (1) तुअर, कपास कम. गेहूँ, चना समान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. मेघनगर	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. पेटलावद	..				
4. झाबुआ	..				
5. राणापुर	..				
<b>जिला अलीराजपुर :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. ..
1. जोवट	..		4. (1) ज्वार, कपास, तुअर समान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. अलीराजपुर	..		(2) उपरोक्त फसलें समान.	चारा पर्याप्त.	
3. कट्टीवाड़ा	..				
4. सोण्डवा	..				
5. भामरा	..				
<b>जिला धार :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बदनावर	..		4. (1) गन्ना अधिक. गेहूँ, चना कम.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सरदारपुर	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. धार	..				
4. कुक्षी	..				
5. मनावर	..				
6. धरमपुरी	..				
7. गंधवानी	..				
8. डही	..				
<b>जिला इन्दौर :</b>	मिलीमीटर	2. रबी फसलों की बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. देपालपुर	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सांवेर	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. इन्दौर	..				
4. महू	..				
(डॉ. अम्बेडकरनगर)					
<b>जिला खरगौन :</b>	मिलीमीटर	2. रबी फसलों की बोनी का कार्य चालू है.	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बड़वाह	..		4. (1) मक्का, बाजरा, कपास, मूँगफली	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. महेश्वर	..		अधिक. ज्वार, धान, तुअर कम.	चारा पर्याप्त.	
3. सेगांव	..		(2) ..		
4. खरगौन	..				
5. गोगावां	..				
6. कसरावद	..				
7. भगवानपुरा	..				
8. भीकनगांव	..				
9. झिरन्या	..				

1	2	3	4	5	6
<b>*जिला बड़वानी :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. बड़वानी	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
2. ठीकरी	..		(2) ..		
3. राजपुर	..				
4. सेंधवा	..				
5. पानसेमल	..				
6. पाटी	..				
7. निवाली	..				
<b>जिला खण्डवा :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. खण्डवा	..		4. (1) गेहूँ, चना समान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पंधाना	..		(2) उपरोक्त फसलें समान.	चारा पर्याप्त.	
3. हरसूद	..				
<b>जिला बुरहानपुर :</b>	मिलीमीटर	2. रबी फसलों की बोनी का कार्य चालू है.	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बुरहानपुर	..		4. (1) कपास, तुअर समान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खकनार	..		(2) उपरोक्त फसलें समान.	चारा पर्याप्त.	
3. नेपानगर	..				
<b>जिला राजगढ़ :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जीरापुर	..		4. (1) गेहूँ, चना, जौ, सरसों, मसूर अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खिलचीपुर	..		गन्ना समान.	चारा पर्याप्त.	
3. राजगढ़	..		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
4. ब्यावरा	..				
5. सारंगपुर	..				
6. पचौर	..				
7. नरसिंहगढ़	..				
<b>*जिला विदिशा :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. लटेरी	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
2. सिरोंज	..		(2) ..		
3. कुरवाई	..				
4. बासौदा	..				
5. नटेरन	..				
6. विदिशा	..				
7. गुलाबगंज	..				
8. ग्यारसपुर	..				
<b>जिला भोपाल :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बैरसिया	..		4. (1) गेहूँ, चना, मसूर, मटर, तेवड़ा,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. हुजूर	..		तुअर, गन्ना समान.	चारा पर्याप्त.	
			(2) उपरोक्त फसलें समान.		
<b>जिला सीहोर :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. ..	5. ..	7. ..
1. सीहोर	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद.	8. पर्याप्त.
2. आष्टा	..		(2) ..		
3. इछावर	..				
4. नसरुल्लागंज	..				
5. बुधनी	..				

1	2	3	4	5	6
<b>जिला रायसेन :</b>	मिलीमीटर	2. बोनी का कार्य चालू है.	3. . . 4. (1) गेहूँ, जौ, राई-सरसों, मसूर अधिक. चना, मटर, लाख, तिवड़ा कम. (2) . .	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. रायसेन	..				
2. गैरतगंज	..				
3. बेगमगंज	..				
4. गौहरगंज	..				
5. बरेली	..				
6. सिलवानी	..				
7. बाड़ी	..				
8. उदयपुरा	..				
<b>जिला बैतूल :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई एवं गन्ना की कटाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) गेहूँ, मसूर, चना अधिक. (2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुईं.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. भैंसदेही	..				
2. घोड़ाडोंगरी	..				
3. शाहपुर	..				
4. चिचोली	..				
5. बैतूल	..				
6. मुलताई	..				
7. आठनेर	..				
8. आमला	..				
<b>जिला होशंगाबाद :</b>	मिलीमीटर	2. रबी फसलों की बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) धान, गन्ना, मूंगमोठ, उड़द, तुअर अधिक. सोयाबीन कम. (2) . .	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सिवनी-मालवा	..				
2. होशंगाबाद	..				
3. बावई	..				
4. इटारसी	..				
5. सोहागपुर	..				
6. पिपरिया	..				
7. वनखेड़ी	..				
8. पचमढ़ी	..				
<b>जिला हरदा :</b>	मिलीमीटर	2. रबी की बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) गेहूँ, (2) . .	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. हरदा	..				
2. खिड़किया	..				
3. टिमरनी	..				
<b>जिला जबलपुर :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. . . 4. (1) धान, मूँग, उड़द, सोयाबीन, तिल, तुअर कम. (2) . .	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. . . 8. पर्याप्त.
1. सीहोरा	..				
2. पाटन	..				
3. जबलपुर	..				
4. मझौली	..				
5. कुण्डमपुर	..				
<b>जिला कटनी :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई एवं गेहूँ, मटर की बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) चना, मसूर, अलसी, गेहूँ, जौ समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. कटनी	..				
2. रीठी	..				
3. विजयराघवगढ़	..				
4. बहोरीबंद	..				
5. ढीमरखेड़ा	..				
6. बरही	..				

1	2	3	4	5	6
<b>जिला नरसिंहपुर :</b>	मिलीमीटर	2. बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) तुअर, धान, मक्का, उड़द, गन्ना अधिक. सोयाबीन कम. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. गाडरवारा 2. करेली 3. नरसिंहपुर 4. गोटेगांव 5. तेन्दूखेड़ा	.. .. .. .. ..				
<b>जिला मण्डला :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) गेहूँ, चना, राई-सरसों, मसूर, मटर, लाख, अलसी सुधरी हुई. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. निवास 2. बिछिया 3. नैनपुर 4. मण्डला 5. घुघरी 6. नारायणगंज	.. .. .. .. .. ..				
<b>जिला डिण्डोरी :</b>	मिलीमीटर	2. रबी फसल की बुआई का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) मक्का, धान, सोयाबीन, तुअर, कोदों-कुटकी समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. डिण्डोरी 2. शाहपुरा	.. ..				
<b>जिला छिन्दवाड़ा :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) गेहूँ, चना, तुअर समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. छिन्दवाड़ा 2. जुन्नारदेव 3. परासिया 4. जामई (तामिया) 5. सोंसर 6. पांडुर्णा 7. अमरवाड़ा 8. चौरई 9. बिछुआ 10. हरई 11. मोहखेड़ा	.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..				
<b>जिला सिवनी :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई एवं गेहूँ की बोनी का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) धान, मक्का, तुअर, उड़द, मूँग, मूँगफली, गन्ना अधिक. ज्वार, कोदों-कुटकी, सोयाबीन, गेहूँ, मटर, मसूर, लाख, तिवड़ा, अलसी, राई-सरसों कम. तिल, सन, चना समान. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सिवनी 2. केवलारी 3. लखनादौन 4. बरघाट 5. उरई 6. घंसौर 7. घनोरा 8. छपारा	.. .. .. .. .. .. .. ..				
<b>जिला बालाघाट :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बालाघाट 2. लौंजी 3. बैहर 4. वारासिवनी 5. कटंगी 6. किरनापुर	.. .. .. .. .. ..				

टीप.— जिला भिण्ड, रतलाम, देवास, बड़वानी, विदिशा से पत्रक अप्राप्त रहे हैं.

राजीव रंजन,

आयुक्त,

भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश.